(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्ठम् विधान सभा के तृतीय सत्र का आठवां दिवस [संख्या 7

1] [2

मंगलवार,

दिनांक 7 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री ओंकार लाल चौहान ।

राजस्थान में आंगनबाडी बाल विकास का कार्यक्रम

54. श्री नाथूराम (बागीदोरा)

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) की अनुपस्थिति में] : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से राजस्थान में तीन आंगनबाड़ी बाल विकास कार्यक्रम (प्रोजेक्ट) खोले जाने के प्रस्ताव मांगे हैं ?

(2) यदि हां, तो राज्य में किस किस जगह ये प्रोजेक्ट खोले जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा भेजे गये हैं ?

(3) इन प्रोजेक्ट्स को खोलने के क्या क्राइटेरिया निर्धारित किये गये हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार अटरू अनुसूचित जाति व किशनगंज शाहबाद ट्राइबल क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट्स (आंगनवाड़ी कार्यक्रम) खोलने का विचार कर रही है ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जी हां ।

(2) वर्ष 1978-79 में राजस्थान में तीन समन्वित बाल विकास सेवा परियोजनाएं (दो ट्राइबल व एक ग्रामीण) खोले जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्ताव मांगे गए थे । राज्य सरकार द्वारा 2 ट्राइबल ब्लाक के लिए पिंडवाडा, छोटी सादड़ी व गिरवा ब्लाक्स तथा एक रूरल ब्लाक के लिए छबड़ा व राजसमन्द ब्लाक्स के प्रस्ताव भेजे गये हैं ।

(3) समन्वित बाल विकास परियोजना के लिए ब्लाक्स के चयन करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है:—

1. ऐसे क्षेत्र जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों का बाहुल्य हो और इनमें भी वे जो सबसे अधिक उपेक्षित हों ।

2. ऐसी गन्दी बस्तियां जहां अनुसूचित जातियों का बाहुल्य हो ।

(श्रीमती विद्या पाठक)

3. सूखाग्रस्त क्षेत्र ।

4. पोषाहार की कमी वाले क्षेत्र ।

5. सामाजिक सेवाओं के विकास में पिछड़े क्षेत्र ।

(4) जी नहीं ।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि यह जो प्रोजेक्ट खोले जाते हैं कितनी अवधि के लिए खोले जाते हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : ये प्रोजेक्ट केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित हैं। केन्द्रीय सरकार ही खोलती है और ये पाइलेट प्रोजेक्ट हैं। परफार्मेन्स ओरियेन्टेड हैं जिनका हर वर्ष रिव्यू होता है ।

श्री नाथूराम : नम्बर (4) में आपने कहा कि 'जी नहीं'। इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजे, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती विद्या पाठक : किसके लिए ?

श्री नाथूराम : नम्बर (4) में है, किशनगंज और शाहबाद के लिए. . .

श्रीमती विद्या पाठक : किशनगंज और शाहबाद तहसीलें ट्राइबल क्षेत्र में पहले से ही हैं । ट्राइबल सब प्लान को इस वर्ष से लिया गया है। नम्बर (4) में अटरू का नाम भी है, तो अटरू के लिए मैं निवेदन कर दूं कि अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपने अपने प्रगति विवरण में यह लिखा है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट पहले ही खोले जा चुके हैं । इससे तीस हजार शिशु और महिलाओं को लाभ होगा । तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपने अभी स्टेटमेंट दिया वह सही है या इस सम्बन्ध में जो प्रगति विवरण में है वह सही है ? बाल विकास योजना के बारे में जो प्रगति विवरण में है वह सही है या जो आपने अभी सदन में स्टेटमेंट दिया है वह सही है ? दोनों में से कौन सा सही है ?

श्रीमती विद्या पाठक : यह प्लान बांसवाड़ा जिले में चलाया जा रहा है। उसके अलावा तीन प्रस्ताव हैं जो सैंटर ने इसी वर्ष अप्रूव किए हैं । उनके लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : तीस हजार व्यक्ति किस तरह से इससे लाभ उठायेंगे, यह समझाने की कृपा करें । तीस हजार शिशु और महिलायें किस तरह से इससे लाभ उठायेंगी ? यह बतायें । और कितनी धनराशि इन पर खर्च होगी ?

श्रीमती विद्या पाठक : यह केंद्रीय सरकार का प्रोजेक्ट है । हमसे प्रपोजल्स मांगे हैं। वहां से जवाब आने पर ही बताया जा सकता है ।

श्री मूलचन्द डागा : आपने अपने प्रगति विवरण में लिखा है । आप लिख तो देते हैं लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि क्या लिखा है । आपने लिखा है कि तीन और प्रोजेक्ट देने का निर्णय केन्द्रीय सरकार ने लिया है । जिनमें दो ट्राइबल प्रोजेक्ट एवं एक ग्रामीण प्रोजेक्ट होगा जिनसे करीब 30,000 शिशु व महिलाएं लाभान्वित

(श्री मूलचन्द डागा)

होंगी। यह आपकी रिपोर्ट है। मैं आपको पढ़ने को दे सकता हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : आप पहले पढ़िये।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) : उसको पढ़ने के बाद समझने की भी कोशिश करें।

श्रीमती विद्या पाठक : आप जो प्रगति विवरण की बात कह रहे हैं उसका इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

श्री मूलचन्द डागा : सम्बन्ध यह है, आपने इस प्रोजेक्ट के बाबत विवरण दिया है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट खोले जायेंगे। इससे तीस हजार महिलायें और शिशु लाभान्वित होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से लाभान्वित होंगे, क्या यह समझाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती विद्या पाठक : इसके लिए आपको अलग से प्रश्न करना होगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : आपने अपने प्रगति विवरण में जानकारी दी है और ये आंकड़े दिए हैं। अब आप कहती हैं कि इनका सम्बन्ध नहीं है . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो बहुत बड़ी अजीब बात है। इसका अनुपूरक क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है, श्रीमान्, प्रगति विवरण में लिखा है, तीस हजार शिशु और महिलायें लाभान्वित होंगी। अब आपने उत्तर दे दिया कि यह इस क्वेश्चन से सम्बन्ध नहीं रखता। आपकी रिपोर्ट के आधार पर, आपके प्रगति विवरण के आधार पर मैंने प्रश्न पूछा है, आपने निराशाजनक उत्तर दिया . . .

श्रीमती विद्या पाठक : प्रगति विवरण के बारे में जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके लिए आपको अलग से प्रश्न करना चाहिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : इन तीन प्रोजेक्ट्स से क्या लाभ होगा, यह जानकारी चाही है। प्रगति विवरण में जो जानकारी दी है उसके आधार पर तीन प्रोजेक्ट्स से क्या लाभ होगा, यह फर्मा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : प्रगति विवरण में जो जानकारी दी गई है वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं, शिशु स्वास्थ्य लाभ, कम्युनिटी डवलपमेंट सम्बन्धी जो प्रगति हुई है उसका विवरण है . . .

श्री मूलचंद डागा : जी नहीं। आप यह कहें कि प्रगति विवरण में गलत लिखा है। आपने प्रगति विवरण में लिखा है कि सेवा परियोजना के पैटर्न के अनुसार राज्य में तीन और प्रोजेक्ट देने का निर्णय केन्द्रीय सरकार ने लिया है....

(व्यवधान)

ये मंत्री बनेंगे, सचिव बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे बनायेंगे, थोड़ा और इन्तजार करो।

Page No 4

(4)

श्री **अध्यक्ष** : इस तरह से बात मत कीजिए आपस में।

श्री मूलचन्द डागा : **अध्यक्ष** महोदय, यह प्रोजेक्ट है जो शिशु और महिलाओं से सम्बन्धित है....

श्री ईश्वरचन्द्र : योजना जो है वह बता दी है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, ये कैसे जवाब दे रहे हैं ? क्या ये मंत्री हैं ?

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : जो उत्तर दिया, जैसा दिया वह दे दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेंट्री पूछना चाहती हूं। माननीय मंत्री महोदया क्या यह बतायेंगी कि अटरू, जो कि जनजाति का क्षेत्र है, को छोड़ कर छबड़ा में यह केन्द्र खोलने का क्या कारण है ? इसका क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया है ?

श्रीमती विद्या पाठक : क्राइटेरिया के बारे में मैं प्रश्न के भाग (3) में पहले ही बता चुकी हूं। जहां तक अटरू और छबड़ा का प्रश्न है, माननीय सदस्या स्वयं भी छबड़ा गई हैं, उनको पता है कि छबड़ा पुराना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : आपको यह कब मालूम हुआ कि छबड़ा पिछड़ा क्षेत्र है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री महोदय, अटरू भी पुराना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है...

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय सदस्या का बड़ा आभारी हूं कि उनके मुंह पर छबड़ा का नाम तीन बार आया तो सही।.....

(व्यवधान)

छबड़ा में कोई काम होता है तो इनमें घबराने की क्या बात है।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाडा) : एक प्रोजेक्ट का एक साल का बजट कितना है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बात मत करिये।

नेक्स्ट। श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलायें कि एक प्रोजेक्ट का एक वर्ष का बजट कितना है ?

श्रीमती विद्या पाठक : यदि आपका प्रश्न इस प्रोजेक्ट के बारे में है जो कि विचाराधीन है तो अभी प्रपोजल्स मांगे हैं। यह प्रोजेक्ट अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। निर्णय आने के बाद ही इसके खर्च का पता

Page No 5

5

(श्रीमती विद्या पाठक)

चल सकेगा। यदि आप हर एक प्रोजेक्ट के खर्च के बारे में पूछना चाहें तो अलग से प्रश्न पूछिए।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनन्दन व्यास।

सिरोही पंचायत समिति के विद्युतीकृत गांव

55. **श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही पंचायत समिति के कुल कितने ग्राम विद्युतीकृत हैं।

(2) क्या यह सही है कि 60 प्रतिशत से अधिक ग्राम राजनैतिक कारणों से विद्युतीकृत किये हुए हैं ?

(3) क्या अब उन्हें मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के माध्यम से धन उपलब्ध कर विद्युतीकृत किया जावेगा ?

विद्युत मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) सिरोही पंचायत समिति में अब तक 24 ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) इस पंचायत समिति के योजना प्रायोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं होने के कारण मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अधीन गांवों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है। तथापि, पंचायत समिति के शेष गांवों के विद्युतीकरण का ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना बनाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट बनने के बाद ही ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना बनाना सम्भव हो सकेगा।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह योजना कब तक शुरू हो जाएगी ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस योजना में गांव कितने हैं ?

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या यह सर्वेक्षण सारी पंचायत समितियों का होगा ? झालावाड़ और झालरापाटन के बारे में क्या योजना है?

एक माननीय सदस्य : जो विद्युतीकरण हुआ है, उसके बीच में कुछ गांव रह गये हैं। उनके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सर्वेक्षण का कार्य कब तो शुरू हुआ, कब कम्प्लीट होगा ? कब योजनाएं हाथ में ली जायंगी ?

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, कई गांव ऐसे हैं जिनसे एक एक किलोमीटर और एक दो फर्लांग की दूरी पर बिजली है। क्या ऐसे जो गांव हैं, उनको आप बिजली देंगे ? यह आश्वासन मंत्री महोदय देने का कष्ट करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, अप्रेल के मध्य तक प्रारंभिक लोड का सर्वे होने वाला है। कुछ गांवों की आर. ई. सी. की स्कीम है। उसका एक प्रोसेस है, जिसके आधार पर आर. ई. सी. स्कीम का प्रोसेसिंग होता है। राजस्थान भर के बारे में उसका एक तरीका है...

(व्यवधान)

उसका एक तरीका है। लोड सर्वे का प्रोसेस होता है। वह स्कीम आर. ई. सी. को जाती है। वहां से एक टीम आती है और अध्ययन

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

करती है। इस प्रकार प्रदेश की अन्य पंचायत समितियों का भी सर्वेक्षण किया गया है और जितनी धनराशि उपलब्ध होगी उसके अनुसार विचार करके जो यह इम्बेलेन्स है, इसको दूर किया जायगा। इस विचार से गांवों का विद्युतीकरण करने की योजना है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पंचायत समितियों में लोड का कोई प्रश्न नहीं है। सर्वे हो चुका है।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना): क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिन गांवों में 132 के. वी. की लाइन है, उन गांवों को आप विद्युतीकृत करेंगे या नहीं?

एक माननीय सदस्य: जिन पंचायत समितियों का सर्वे पहले हो चुका है, और जिनका बाकी है, उनके सर्वे के बारे में मंत्री महोदय ने फर्माया है, तो यह सर्वेक्षण कितने अर्से में हो जायगा?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जहां 132 के. वी. की लाइन है उन गांवों का विद्युतीकरण सरकार कब तक करेगी?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य का सवाल है, अप्रेल के मध्य तक प्रारंभिक लोड का सर्वे होने वाला है। इसके बाद जिस प्रकार से सर्वे का प्रोसेस है, वह होगा। मकराना से आने वाले माननीय सदस्य का जो सवाल है, वह एक जनरल सवाल है। राजस्थान की सारी पंचायत समितियों के ग्रामों के विद्युतीकरण की एक योजना है। इस योजना के अनुसार जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध होगी, मैंने जैसा निवेदन किया इम्बेलेन्स को दूर करने का प्रयास किया जावेगा। कहीं पर 132 के वी. लाइन है, कहीं पर 11 के. वी. और कहीं पर 22 के. वी. की लाइन है। इस सवाल के संदर्भ में जो भी प्रयत्न होगा, वह किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : एक छोटा सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आपको भी समय दूंगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के नियमों के तहत जिन गांवों का गलत रूप से कनेक्शन हो गया है, जो कि अनसैक्शन्ड लोकेलिटीज थीं, नियमों के तहत उनको रेगुलराइज किया जा सकता है। राजस्थान में करीब ऐसे 108 गांव हैं। तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी और इनका नियमन करके विद्युतीकरण करेगी?

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सम्पतराम जी ने हमको एक प्रश्नावली भेजी थी, उसमें एक प्रश्न है, शिड्यूल्ड कास्ट्स के गांवों में बिजली नहीं पहुंचाई है या पहुंच गई है? ऐसी कौन कौन सी लोकेलिटीज हैं? उसका आन्सर भी हमने तैयार करवाया है। तो क्या माननीय विद्युत मंत्री जी इसमें दिलचस्पी लेंगे? वह आन्सर आपके पास भिजवाया गया था सम्पतरामजी के पास ही रह गया?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
माननीय सदस्य वह प्रश्नावली का उत्तर जरूर भेजें। शिड्यूल्ड कास्ट्स की लोकेलिटीज को बिजली देने में प्राथमिकता निश्चित रूप से दी जाएगी। जैसा कि चौमू से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न है। मैं इस बात की जानकारी ले रहा हूं। इन गांवों को रेगुलराइज करने की व्यवस्था की जावेगी। साथ में इस बात की भी जानकारी करा ली जाएगी कि पहले ये किस प्रकार से हुई, किस कारण से हुई, इसके लिए रेस्पोंसिबिलिटी किस पर फिक्स हो? यह सारी जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : आपने जैसी धांधली शिक्षा विभाग में की है, वैसी ही धांधली आप विद्युत् में तो नहीं करेंगे? खम्भे खड़े कर देंगे गांवों में कनेक्शन नहीं देंगे?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वे लगातार क्या मुझ से आकर कहते रहे, वह मैं यहां पर नहीं कहना चाहता...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कहिए कहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री माधोसिंह (सरदारपुरा):

जोधपुर नगर परिषद् में सफाई कर्मचारियों की भर्ती

56. **श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जोधपुर नगर परिषद् में जून, 1977 से लेकर जनवरी, 1978 तक प्रतिमाह कितने सफाई कर्मचारी भर्ती किए गए?

(2) क्या भर्ती रिक्त स्थान होने से की गई और भर्ती की सूचना नियमानुसार निकाली गई? अगर हां, तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री विज्ञान मोदी) : (1) जून, 1977 से जनवरी, 1978 तक नियमित वेतन श्रृंखला में केवल तीन सफाई कर्मचारी भर्ती किए गए हैं।

(2) जी हां। रिक्त स्थान होने पर ही भर्ती की गई लेकिन भर्ती की सूचना नहीं निकाली गई क्योंकि उक्त तीनों कर्मचारी नगर परिषद्, जोधपुर के मृतक सफाई कर्मचारियों के आश्रित हैं।

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि मैंने जो पर्टीक्यूलर सूचना मांगी है, वह न देकर सम्पूर्ण सूचना एक साथ दी गई है।

दूसरा प्रश्न यह है, क्या मंत्री महोदय यह महसूस करते हैं कि जोधपुर नगरपालिका के अन्दर इन सात, आठ महीनों के अन्दर जो इन तीन कर्मचारियों की भर्ती की गई है, क्या और कर्मचारियों की जगह खाली है? अगर खाली है तो कब से है और खाली जगह पर भर्ती करने की मांग नगरपालिका जोधपुर ने की है? डाइरेक्टर लोकल बाडीज को कब मांग की गई है? यह मांग कब भेजी गई है, यह सूचना दे दी जाए ताकि मालूम हो सके कि यह मामला कहां

(श्री माधोसिंह कछवाह)
पर है। इसकी पूरी जानकारी देने का कष्ट करें।

श्री दिग्वान मोदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रतिमाह भर्ती की जानकारी चाही थी। नियमित वेतन श्रृंखला में जिन जिन कर्मचारियों की भर्ती की गई है, ऐसे तीन कर्मचारी हैं। इनमें एक कर्मचारी की भर्ती 14-6-77 को की गई, दूसरे कर्मचारी को 11-8-77 को भर्ती किया गया था और तीसरे को 12-7-77 को भर्ती किया गया। इसके अलावा सुचारु रूप से शहर की सफाई हो सके, इसके लिए नगर परिषद् द्वारा पारिश्रमिक के आधार पर समय समय पर कर्मचारियों की भर्ती की गई है जिनकी कुल संख्या जनवरी, 1978 तक 21 है। इस समय नगर परिषद् जोधपुर में कितने सफाई कर्मचारियों के स्थान रिक्त हैं, इस बात की सूचना क्योंकि यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, उपलब्ध नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इतना लम्बा चौड़ा प्रश्न है। इस पर सप्लीमेन्ट्री होंगे, इसकी आपको तैयारी होना चाहिए।

श्री माधोसिंह कछवाह : प्रति माह कितनी भर्ती हुई और कितने स्थान रिक्त हैं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डागा जी को रोका जाए। मेरे प्रश्न का जवाब पहले आना चाहिए। डागाजी को रोका जाए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री खेतसिंह राठौड़।

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिए। सप्लीमेण्ट्री क्वेश्चन का जवाब देने की इच्छा है मन्त्री महोदय की ?

एक माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री माधो सिंह कछवाह : मुझे अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, सफाई कर्मचारियों की भर्ती की स्वीकृति डाइरेक्टर लोकल बॉडीज, जोधपुर से भेजी गई है या नहीं ? पूरा उत्तर दिया जाये, मन्त्री महोदय को कहा जाये। इस तरह से अधूरा उत्तर होते हुए भी कहते हैं कि हमने पूर्ण उत्तर दे दिया है।

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय,...

श्री खेतसिंह : आगे का सवाल पुकार लिया है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं जितनी जानकारी मन्त्री महोदय के पास होनी चाहिए, उतनी जानकारी नहीं है। इसलिए इसको पोस्ट पौन किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नेक्स्ट।

जोधपुर जिले के मार्गों का राष्ट्रीयकरण

57. **श्री खेतसिंह राठौड (शेरगढ़)** : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जोधपुर जिले में इस वर्ष कौन कौन से मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा

(श्री खेतसिंह राठौड़)

रहा है तथा उन पर रोडवेज की बसें कब तक चलाई जावेंगी ?

(2) राज्य में कितने प्रतिशत मार्गो का राष्ट्रीयकरण हो चुका है ? पूर्ण राष्ट्रीयकरण में कितना समय लगेगा ?

(3) राष्ट्रीयकृत मार्गो से जो आय राज्य सरकार को है वह इस पर कुल खर्च को देखते हुए घाटे की है या मुनाफे की है ?

यातायात मंत्री (श्री केदार नाथ) : (1) वर्ष 1977–78 में जोधपुर जिले में किसी मार्ग के राष्ट्रीयकरण किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(2) निगम द्वारा अब तक 35.17 प्रतिशत बस मार्गो का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। राज्य में पूर्ण राष्ट्रीयकरण वित्तीय संसाधनों व प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धि पर निर्भर करता है। वैसे छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीयकरण का प्रतिशत लगभग 81% हो जाने की आशा है।

(3) निगम की गत तीन वर्षों की लाभ/हानि की स्थिति निम्न प्रकार है:—

	लाभ	हानि
1975–76	–	50.67 लाख
1976–77	–	48.08 लाख (अनुमानित)
1977–78 (जनवरी–78 तक)	–	117.35 लाख (अनुमानित)

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह तरीका तो गलत है। प्रश्न तो मेरा है, मुझे पूछने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा, न तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और न बजट में इसका कोई जिक्र किया गया है। इससे क्या मैं यह समझूं कि आपने राष्ट्रीयकरण की नीति को छोड़ दिया है ? निगम घाटे में चल रहा है इसलिए प्राइवेट बसों को ज्यादा चलाने की सोच रहे हैं ?

श्री केदार नाथ : माननीय अध्यक्ष जी, बजट पर जनरल बहस आज से शुरू हो रही है। माननीय सदस्य बजट पर बोल लें। जहां तक पालिसी का सम्बन्ध है अब तक राज्य सरकार 10%, 8% राष्ट्रीयकरण कर सकी है।

श्री कौशलकिशोर जैन : निगम राष्ट्रीयकरण होते हुए भी घाटे में कैसे पहुंच गया है ? पैसेंजर टैक्स कितना बकाया है ?

श्री अध्यक्ष : एक एक करके प्रश्न पूछें।

श्री केदारनाथ : पैसेंजर टैक्स के एरियर्स ढाई करोड़ हैं।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : यह 30 करोड़ का घाटा किस प्रकार से होता है ? क्यों होता है ? यह घाटा किस प्रकार से पूरा होगा।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : जिसके पास एक बस थी, उसकी आमदनी है। ठेकेदारी से कई बसें चलती हैं। निगम को घाटा कैसे हो रहा है ? क्या सरकार ने…

श्री खेतसिंह राठौड़ : मालूम किया ?

श्री रतनाराम चौधरी : मालूम किया।

श्री केदारनाथ : यह घाटा टायर रिट्रियडिंग स्कीम से है। कीमतों की बढ़ोतरी है। टैक्स है। इसके अलावा सारी स्टेट्स के मुकाबले हमारे यहां फेयर कम है।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार की नीति क्या है ?

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : और स्टेट्स के मुकाबले आपकी रेट्स ज्यादा हैं। मन्त्री महोदय को पता नहीं है।

श्री केदारनाथ : ज्यादा नहीं है।

श्री शिवचरणसिंह : आपने गलत कहा है। और स्टेट्स के मुकाबले किराया ज्यादा है।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार अपना उत्तर पहले कुछ देती है, अब कुछ देती है। आज यह उत्तर दिया है और राजकीय उपक्रम समिति की 1976–77 की रिपोर्ट है उसमें है, आयुक्त ने कहा कि "आर्थिक कठिनाई पैदा नहीं होगी। राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।"

यह दृष्टिगत रखते हुए 30 मार्च, 1997 तक शतप्रतिशत राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह तो पुरानी सरकार की बात है।

श्री मूलचन्द डागा : आज आप कह रहे हैं कि 35% हुआ है।

श्री केदारनाथ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुक्त महोदय ने बिना सोचे समझे आंकड़े दिये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो आयुक्त महोदय का वक्तव्य है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री मूलचन्द डागा : समिति ने रिपोर्ट पेश कर दी है। पेश करने के बाद हाउस की सम्पत्ति है। इस पर विचार होना चाहिए।

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। 1965 की बसें रोडवेज में अनुबन्धित में चल रही हैं और 1976 की बसें खड़ी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्रीमती मदनकौर : इस घाटे का कारण क्या बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होना है ?

श्री केदारनाथ : एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या सरकार अब सुचारु रूप से चलाने का इरादा रखती है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : छतों पर भी सवारियां बैठती हैं और बसों के अन्दर भी भेड़-बकरियों की तरह सवारियां भरी हुई होती हैं फिर भी इसमें लॉस है, इसका क्या कारण है ? दूसरा क्या यह सही है कि रोडवेज में अव्यवस्था होने के कारण इसके प्रति लोगों में अश्रद्धा हो रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेजर श्री फतहसिंह !

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि घाटे का मुख्य कारण बसों की दुर्व्यवस्था और विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है ?

श्री केदारनाथ : कुछ हद तक मैं इस बात को मानता हूं।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने तीन साल का ढाई करोड़ रुपया टैक्स का बकाया बतलाया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार इसको वसूल करने की अब क्या कार्यवाही करेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या मन्त्री महोदय राष्ट्रीयकरण की नीति को जारी रखेंगे ?

श्री केदारनाथ : बिल्कुल।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक तरफ तो यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और दूसरी तरफ यह मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की उग्रता के साथ मेरी सहानुभूति है। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि बसों के उचित और सुचारु रूप से चलने की व्यवस्था करें।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी रोडवेज बसें बहुत कम हैं और सवारियां बहुत ज्यादा हैं, इसलिए प्राइवेट बसों को कान्ट्रेक्ट पर आप लेने की व्यवस्था कीजिये।

श्री शिवचरणसिंह : 35 पर्सेन्ट राष्ट्रीयकरण . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री नवरंगसिंह।

भाखड़ा से बिजली सप्लाई बन्द होने से अव्यवस्था

58. **श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़)** : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के उन क्षेत्रों में जहां भाखड़ा से बिजली की सप्लाई होती है, बिजली गड़बड़ी के क्या कारण हैं ? इनसे कौन कौन से जिले प्रभावित हो रहे हैं ?

(2) इस बिजली सप्लाई की गड़बड़ी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये हैं ?

Page No 12

(12)

(श्री नवरंग सिंह)

(3) बिजली सप्लाई की गड़बड़ी से फसलों को होने वाली क्षति की पूर्ति करने का क्या राज्य सरकार कोई उपाय सोच रही है?

(4) राज्य में वोल्टेज गिरने से अक्टूबर से अब तक कितने उपभोक्ताओं की मोटर व मीटर जल गये हैं? इसकी रोक थाम के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयास किया है?

(5) राज्य में इस समय उद्योगों और कृषि के लिए विद्युत् की कितनी प्रतिशत कटौती की जा रही है? इस कटौती के क्या कारण हैं?

विद्युत् मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी): (1) भाखड़ा और व्यास सिस्टम के साथ पेरेलल में चल रहे थर्मल स्टेशनों के उत्पादन में कठिनाइयां अथवा मशीनें बन्द होने के कारण सिस्टम में बिजली सप्लाई में फरवरी, 1978 के आरम्भ से गड़बड़ी चल रही है। इसका खास असर दिन में रहता है। भाखड़ा सिस्टम से बिजली राज्य के बीकानेर, गंगानगर, चूरू, झुन्झनू, सीकर, अलवर, भरतपुर जिलों और नागौर व जयपुर जिलों के कुछ हिस्सों को मिलती है।

(2) भाखड़ा सिस्टम के विभिन्न उत्पादन केन्द्रों को नियन्त्रित करने वाले अधिकारियों व सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी व नार्दर्न रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल इन गड़बड़ियों के विषय में प्रायः लगातार अवगत करा रहा है। जैसे जैसे मशीनें ठीक होती जाती हैं, प्रति दिन की स्थिति में सुधार होता है।

(3) राज्य में बिजली की कमी के बावजूद भी कृषि में काम में आने वाली बिजली पर कोई कटौती लागू नहीं की गई है। विद्युत् मण्डल उपभोक्ताओं को बिजली की निरन्तर सप्लाई देने का पूर्ण प्रयत्न करता है, परन्तु कभी कभी अप्रत्याशित कारणों से बिजली की सप्लाई में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः इसके लिये क्षतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) वोल्टेज गिरने के कारण जलने वाली मोटरों व मीटरों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वोल्टेज की कमी के कारण या वोल्टेज की कमी से होने वाली स्थिति में सुरक्षा के लिये उपभोक्ताओं को अच्छे किस्म के स्टार्टर लगाने चाहिए, जिनका काम वोल्टेज कम होते ही मोटर को बन्द कर देना होता है। वोल्टेज की कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के लिये उपभोक्ताओं को उचित कैपेसिटी के कैपेसिटर लगाना भी अनिवार्य किया जा चुका है।

(5) राज्य में इस समय विभिन्न उद्योगों पर दस से तीस प्रतिशत की कटौती लागू की गई है। कृषि उपयोग के लिये काम में आने वाली बिजली पर कटौती नहीं है, यद्यपि बिजली की उपलब्धि के अनुसार स्टेगरिंग किया जाता है। मन्डल का यह प्रयत्न रहा है कि कृषि उपभोक्ताओं को करीब 16/17 घण्टे प्रतिदिन बिजली मिले।

श्री शीशराम ओला (पिलानी): इतने दिनों से लगातार काश्तकारों को बिजली नहीं मिली, और गड़बड़ी हुई, क्या

(श्री शीशराम ओला)
यह बात सही है। अब आप कहते हैं कि अच्छे केपेसिटर लगाने चाहिए। कई दिनों से बिजली नहीं मिल रही है और आप कहते हैं कि बिजली में कटौती नहीं की गई है। रात में भी बिजली आंख मिचौनी करती है। कटौती नहीं की तो दिन में भी नहीं मिलती है इसका क्या कारण है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आर. ए. पी. पी. के बन्द हो जाने के कारण राजस्थान में जो बिजली के स्रोत हैं उनसे यह संभव नहीं था कि बिजली सप्लाई पूरी तरह से की जा सके इसलिए पंजाब और हरियाणा के थर्मल पावर प्रोजेक्ट से बिजली लेनी होती है। दो महीने से अधिक बन्द होने के कारण बिजली की टोटल उपलब्धि में कमी रही और हरियाणा और पंजाब के थर्मल प्रोजेक्ट की मशीनों के बन्द होने के कारण यह गड़बड़ी चल रही है। फिर भी हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब वहां की बिजली एकदम बन्द हो जाती है तो बिजली की मात्रा में कमी होने के कारण और लोड बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। इसको दूर करने के लिए हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, किसानों को बिजली की गड़बड़ी के कारण जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति की जायगी ? दूसरी बात आपने कहा कि मोटरों की संख्या उपलब्ध नहीं है, ट्रांसफार्मर की संख्या...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ट्रान्सफार्मर के बारे में नहीं पूछा, मीटर और मोटरों की संख्या पूछी है।

श्री नवरंग सिंह : मोटरों के आंकड़े हैं और जानबूझकर नहीं दिये जा रहे हैं, यह भारी संख्या में हैं। 180/– पर मीटर जो कास्ट ली जा रही है वह गलत है। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि सरकार इसको स्वयं वहन करने के लिये तैयार है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि बिजली में फ्लक्चुएशन्स होने के कारण ऐसा होता है, मोटर बन्द हो जाती है तथा मोटर काम करना बन्द कर देता है। केपेसिटर और स्टार्टर अच्छी क्वालिटी के नहीं होने के कारण ऐसा होता है। अब प्रश्न यह है कि जिस समय किसी थर्मल पावर से बिजली आ रही है और मशीन बन्द हो जाती है तो पूरी लाइन को तो बन्द करना संभव नहीं है। हम इस बात को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अच्छे स्टार्टर और केपेसिटर आवश्यक हैं।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने बताई वह विद्युत् मण्डल के वश में नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : भाषण की आवश्यकता नहीं है, मेरा प्रश्न है कि

(व्यवधान)

स्टार्टर और केपेसिटर की हिदायत जो दी गई क्या बिजली बोर्ड इस बात को नहीं समझता है कि...

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिए।

Page No 14

(14)

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : He is in possession of the floor of the House

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या खराब स्टार्टर को ठीक करने की आप व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जहां तक केपेसिटर लगाने का प्रश्न है, उनको लगाने की हिदायत जारी कर दी गई है। उसके लिए छ: माह तक का समय दिया गया है।

स्टार्टर की बात से आप ज्यादा परिचित होंगे। स्टार्टर कभी कभी अपने आप डाउन हो जाता है, लेकिन किसान जो दूर रहते हैं, वह समझते हैं कि फ्लक्चुएशन ठीक हो जायेगा। वह उसे बांध लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मक्कासर : क्या बिजली के कन्ज्यूमर को ट्रेन्ड करना आपका फर्ज नहीं है ?

श्री एच. एस. शर्मा (बेगूं) : आपका भी फर्ज है, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं उत्तर पर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : ट्रान्सफार्मर्स जल जाते हैं और दस दस दिन तक उनको ठीक नहीं किया जाता। इससे काश्तकारों की खेती को नुकसान होता है, बहुत भयंकर नुकसान होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपका भी वही हाल होगा जो पुरानी कांग्रेस का हुआ है।

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : अभी जो मंत्री महोदय ने उद्योगों के बारे में बताया कि दस से तीस प्रतिशत बिजली की कटौती की गई है, तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह जो कटौती की गई है वह एक साथ की गई है या बीच बीच में लाइट बन्द कर देते हैं ? बीच बीच में लाइट बन्द कर देने से फैक्ट्री का प्रोडक्शन खतम हो जाता है। यह कटौती किस प्रकार से की गई है ? यह बताने की कृपा करें।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कितने आप सप्लीमेंट्रीज पूछेंगे ? मंत्री महोदय को जो कहना था, वह उन्होंने कह दिया।

श्री श्योपत सिंह मक्कासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा बिल्कुल ही अलग प्रकार का सवाल है। नई बात पूछूंगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : क्या हाउस में कोई मंत्री गलत बयानी कर सकता है ?

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप एक ही पूछेंगे।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसानों की बिजली की कोई कटौती नहीं की गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विद्युत् मण्डल के मुख्य अभियन्ता श्री के.पी. सक्सेना, जो कि अभी आफिसर्स लाबी में बैठे हुए हैं, के हस्ताक्षरों से आदेश गये हैं और चौमू क्षेत्र में 6 घंटे से

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)
ज्यादा बिजली नहीं दी गई है। तो क्या उनके आदेश सही हैं या आपका भाषण सही है ?

अगर सरकार की नीति के खिलाफ विद्युत् मण्डल के अधिकारी ने आदेश जारी किये हैं, तो क्या मंत्री महोदय उनके खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मथुरादास माथुर ।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : मेरा बहुत इम्पार्टेंट सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिए, श्री श्योपत सिंह । अब दो सप्लीमेंट्रीज से ज्यादा की इस प्रश्न पर इजाजत नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर दोषी होंगे तो जरूर एक्शन लेंगे । यह कोई प्रश्न है ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जवाब तो आया नहीं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, No

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि स्टार्टर अच्छे होने चाहिए । तो आपने खराब स्टार्टर लगाने की इजाजत कैसे दी ? यह खराब स्टार्टर आप बिकवा रहे हैं ।

दूसरी बात यह है कि अगर खराब स्टार्टर हैं तो सरकार ने जब्त क्यों नहीं किये ? ऐसे स्टार्टर्स को मार्केट में आने ही नहीं देते ।

तीसरी बात, आपने कहा कि किसान ने बांध दिया है। यह जानकारी आपको कहां से मिली ? आपने कभी स्टार्टर के बटन के अलावा, स्टार्टर को हाथ लगाया है ?

इसके अलावा आपने कहा कि फ्लक्चुएशन्स आते हैं । यह फ्लक्चुएशन्स कोई कम बिजली के कारण नहीं आते । फ्लक्चुएशन्स तो आते हैं जब अन्तर्राज्यीय बिजली आती है । दूसरे राज्य उसमें से चोरी करते हैं तो हमारे यहां बिजली डाउन हो जाती है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह । एक अन्तिम सप्लीमेंट्री, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अखबारों में स्टेटमेंट दिया था और हमारे पास सर्क्यूलर्स आये थे बिजली विभाग की तरफ से कि काश्तकारों को बिजली की सप्लाई अनइन्ट्रप्टेड रहेगी, उसमें कोई कटौती नहीं की जायेगी । लेकिन क्या यह सही है कि राजस्थान के अन्दर किसानों की बिजली में भी कटौती की गई, पूरी कटौती की गई । छः छः घण्टों तक बिजली नहीं मिली है । तो क्या सरकार ने राजस्थान के किसानों को मुगालता देने के लिए और धोखा देने के लिए इस प्रकार की अखबारबाजी की ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने अपने जवाब में दो बातें कही थीं । एक बात · · ·

श्री श्योपत सिंह मक्कासर : चौमू से आने वाले माननीय सदस्य के सवाल का जवाब नहीं आया ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने निवेदन किया कि कृषि में काम आने वाली बिजली में कोई कमी नहीं की गई। थर्मल पावर स्टेशन, जहां से एक्स्ट्रा बिजली कृषि के लिए दी जाती है, का जब यूनिट फेल हो जाता है, तो सख्ती करनी पड़ती है।

श्री श्योपत सिंह मक्कासर : माननीय अध्यक्ष, हम रिपीटीशन नहीं चाहते। हमारे प्रश्नों का जवाब आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप बार बार पूछेंगे तो रिपीटीशन होगा, और क्या होगा ? सभी को सन्तुष्ट तो मंत्री महोदय नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भाखरा से जो बिजली आती है, उस पर हमारा कन्ट्रोल नहीं होने की वजह से दूसरी स्टेट्स डाइवर्ट कर देती हैं। इसी वजह से बिजली कम रहती है, यह बात आप मानते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मथुरा दास माथुर।

मंत्री महोदय विराजिये आप।

नैक्स्ट क्वेश्चन।

(व्यवधान)

No more supplementaries. Shri Mathura Das Mathur.

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा सप्लीमेन्ट्री प्रश्न नहीं है, हुजूर।

श्री अध्यक्ष : No more discussion.

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं एक बात निवेदन करता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मथुरा दास माथुर।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह किसानों का प्रश्न है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि किसानों की बातें टाली जाती हैं और जवाब नहीं दिया जाता।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था लेकिन जवाब नहीं आ रहा। राजस्थान का मुख्य मंत्री किसान, राजस्थान का विद्युत् मंत्री किसान . . .

कई माननीय सदस्य : No, No

श्री रामेश्वर दयाल यादव : लेकिन राजस्थान के किसानों की बात जब हाउस में आती है, तो उत्तर नहीं दिया जाता।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी किसान हूं मेरे पास भी 30 बीघा जमीन है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब ही नहीं आया। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)
राज्य सरकार किसानों का भला नहीं करना चाहती है इसीलिए मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दो महीनों में राज्य में किसानों को बिजली न मिलने के कारण किसानों की फसल जल कर राख हो गई है। मेरा तो स्पष्ट प्रश्न यही है कि क्या राज्य सरकार के आदेशों के कारण चीफ इन्जीनियर विद्युत् मण्डल ने किसानों को बिजली नहीं दी या चीफ इन्जीनियर ने अपनी मनमानी करके किसानों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने की नीयत से बिजली नहीं दी? अगर चीफ इन्जीनियर ने अपनी मनमानी करके ऐसा किया तो क्या राज्य सरकार चीफ इन्जीनियर के खिलाफ कार्यवाही करने और उसको निलम्बित करने की कार्यवाही करेगी? अगर नहीं करेगी, तो क्यों?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है सदन की कार्यवाही आज अभी स्थगित करके इस पर आधे घन्टे की चर्चा की जाय तो उचित होगा ताकि कोई उचित हल निकाला जा सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, श्री मथुरादास जी माथुर।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आयेगा? क्या हम यह समझ लें कि किसानों से सम्बन्धित कोई भी सवाल हाउस में नहीं पूछा जाय? क्या हम यह मान लें कि अगर हम किसानों के बारे में उनके भले के लिए कोई प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न का जवाब नहीं आयेगा। यह हमें मान लेना चाहिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रश्न हम पूछते हैं उसका जवाब नहीं देकर दूसरा जवाब दिया जा रहा है। कृपया स्पष्ट उत्तर दिलाने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण सप्लीमेंट्री प्रश्न उठाये गये हैं उनका उत्तर तो आना ही चाहिए।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे यह मान लेना चाहिए कि किसानों के हित के प्रश्नों का यहां कोई जवाब नहीं आयेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है कि उस पीरियड में जो कि स्टेगरिंग पीरियड का समय है, ऐसी कन्डीशन्स हो गयी थीं, बिजली पावर हाउस बन्द होने की वजह से निश्चित तौर पर पांच-सात दिन ऐसे हुए होंगे जब कि बिजली किसानों को नहीं मिल सकी होगी। अध्यक्ष महोदय, जब बिजली घर में ही खराबी हो जाये तो फिर बिजली घर में ठीक करने में समय तो लगता ही है। उस दरमियान में जरूर ऐसा पांच, सात या आठ दिन का समय आया होगा जब कि किसानों को स्टेगरिंग पीरियड में बिजली नहीं मिली होगी।

Page No 18

(18)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बिलकुल गलत कह रहे हैं। यह हाउस को मिस लीड कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सरासर गलत कह रहे हैं । हाउस को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब इस प्रश्न पर चर्चा समाप्त की जाय ।

नैक्स्ट ! प्रश्न संख्या 59

श्री मथुरादास जी माथुर ।

राजस्थान नहर एवं लिफ्ट योजना

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही प्रश्न संख्या बोल दी थी ।

59. क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर का दूसरा दौर कब तक पूरा हो जायेगा ?

(2) दूसरा दौर पूरा करने के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

(3) इसके लिए इस सालाना योजना में कितनी धनराशि रखी गई है ?

(4) विभाग के पास कितनी धनराशि खर्च करने की क्षमता है ?

(5) ईरान से राजस्थान नहर के दूसरे चरण को पूरा करने में क्या सहयोग मिलेगा ?

(6) राजस्थान नहर लिफ्ट योजनाओं पर राज्य सरकार का क्या मत है ? क्या राज्य सरकार उनको कार्यान्वित करना चाहती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राजस्थान नहर परियोजना मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) राजस्थान नहर परियोजना का दूसरा चरण वर्ष 1984-85 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(2) राजस्थान नहर के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए अनुमानतः 228 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ।

(3) इस वर्ष राजस्थान नहर द्वितीय चरण के लिए 14 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है ।

(4) द्वितीय चरण पर अगले साल से 14 करोड़ से भी अधिक रुपया प्रति वर्ष खर्च करने की क्षमता हो जावेगी ।

(5) यह भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(6) यह अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरे एक दो स्पेसिफिक प्रश्न हैं । पहला तो यह है कि क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना के दूसरे चरण को पूरा करने के लिये भारत सरकार और शाह आफ ईरान के बीच कोई बातचीत हुई जिससे ईरान द्वारा भारत सरकार को राजस्थान नहर को पूरी करने के लिये कर्जा देने की बात पक्की हुई ? क्या इस बातचीत में भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को कन्सल्ट किया या नहीं ? अगर नहीं किया तो क्यों ? इसके अलावा भारत सरकार ने क्या-क्या रिकमन्डेशन्स इसको पूरी करने के लिये की

(श्री मथुरादास माथुर)
थीं ? क्या क्या टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स कर्जे के लिये रखी गयी है ? इस कर्जे के लिये क्या रेट ग्राफ इन्ट्रेस्ट रखी गयी है ग्रौर उसका किस प्रकार भुगतान कियां जायेगा ? यह बताने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : ग्रध्यक्ष महोदय, इस संबंध में राजस्थान सरकार की भारत सरकार ग्रौर ईरान के शाह से कोई बातचीत नहीं हुई है। भारत सरकार ग्रौर ईरान के शाह के बीच में ही बातचीत हुई थी ग्रौर इस संबंध में बातचीत फाइनल स्टेज पर है। मुझे ऐसी ग्राशा है कि दो तीन दिन में ही भारत सरकार हमारे से इस बारे में कुछ जानकारी चाहेगी। वह जानकारी देने के बाद में जो स्थिति होगी वह फाइनल होगी।

श्री मथुरादास माथुर : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह भी मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या इसमें ऐसी शर्तें भी रखी जा सकती हैं जिससे कि राजस्थान सरकार का इन्ट्रेस्ट ही खतम हो जाय ? क्या मुख्य मन्त्रीजी किसी भी बात को भारत सरकार से फाइनल करने से पहले इस सदन को कान्फीडेन्स में लेंगे जिससे कि सदन को सभी बातों का ज्ञान रहे ? कोई भी एग्रीमेन्ट इस बारे में हो उसके पहले हाउस को कान्फीडेन्स में लेकर ही बात फाइनल करें जिससे कि न तो राजस्थान का ग्रहित हो ग्रौर न ही राजस्थान के किसानों का ग्रहित हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रध्यक्ष महोदय, जहां तक हाउस को कान्फीडेन्स में लेने की बात है इसके लिये तो मैं ग्रभी कुछ भी नहीं कह सकता हूं कि सदन को कान्फीडेन्स में लिया जायेगा या नहीं क्योंकि उस वक्त तक हाउस की कार्यवाही चलती होगी या नहीं, उस स्टेज पर क्या स्थिति होगी, ग्रभी मैं हाउस को नहीं बता सकता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी एग्रीमेन्ट किया जायेगा उसमें राजस्थान का ग्रहित नहीं होने दिया जायेगा ग्रौर न ही किसानों का ग्रहित होने दिया जायेगा। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी बातचीत फाइनल होगी उसके बारे में ग्रगर कोई विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य कुछ रुचि रखते होंगे तो मैं उनसे सलाह मशविरा करने में कोई संकोच नहीं करूंगा।

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : ग्रध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि राजस्थान के भूतपूर्व मंत्रिमण्डल ने राजस्थान कैनाल के दूसरे चरण में लिफ्ट इरिगेशन करने के बारे में कोई निर्णय लिया था ? उसके बारे में...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुबारक हो !

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जो भी ग्रन्तिम निर्णय लिया जायेगा उसमें राजस्थान का अहित नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ग्रध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने पहले यह निर्णय लिया था कि राजस्थान कैनाल के दूसरे चरण में लिफ्ट इरिगेशन की जायेगी ? इसके लिये पहले बीकानेर ग्रौर

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
उसके आसपास कोलायत में काम भी शुरू किया गया था लेकिन बाद में आर्थिक दृष्टि से महंगी होने के कारण लिफ्ट इरिगेशन योजना वर्तमान सरकार ने बन्द कर दी ? राजस्थान सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इसके बारे में क्या फैसला लिया ?

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 1976 में केबिनेट ने फैसला यह लिया था। पर बाद में आर्थिक दृष्टि से महंगी होने के कारण इस निर्णय को बदलना पड़ा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार उन सभी निर्णयों को बदल रही है जो कि भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने लिये थे ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सरकार की इस बारे में क्या योजना थी ?

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन ने यह फैसला किया कि लिफ्ट इरिगेशन इस एरिया में बहुत ही महंगी होगी। इसके लिये एक हाई पावर कमेटी भी बनायी गयी थी। उसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि लिफ्ट इरिगेशन महंगी है। इसलिये केबीनेट ने यह फैसला किया कि लिफ्ट इरिगेशन का सर्वे कार्य जो चल रहा था उसको स्टोप कर दिया जाय।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने यह रिवर्स क्यों किया ?

श्री केदारनाथ : आप मेरा उत्तर तो सुनिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कोलायत में लिफ्ट इरिगेशन के बारे में काम चीफ इन्जीनियर ने क्यों बन्द कर दिया ?

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, कोलायात में सर्वे का वर्क चल रहा था पिछले दो साल से। लेकिन बाद में जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आयी तब इस काम को बन्द कर दिया। चीफ इन्जीनियर का फैसला यह नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : वहां पर ऐसा बताया गया है कि चीफ इन्जीनियर साहब के आदेश दिये हुए हैं कि काम को बन्द कर दिया जाय।

श्री केदारनाथ : हाई पावर कमेटी ने यह रिकमन्डेशन्स की हैं कि लिफ्ट इरिगेशन वहां पर वायेबल नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह काम किस आदेश से बन्द हुआ है ? चीफ इन्जीनियर कौन होता है काम बन्द करने के लिये कहने वाला। जब राजस्थान की भूतपूर्व सरकार ने लिफ्ट इरिगेशन से वहां खेती कराने का निर्णय ले लिया था तो वह स्कीम रद्द कर दिया। यह आदेश नये मंत्रिमंडल ने किये हैं या चीफ इन्जीनियर के आदेशों से काम बन्द हुआ है ? अगर चीफ इन्जीनियर ने मनमानी करके ऐसे गलत आदेश कराये हैं तो क्या राज्य सरकार उन्हें दण्ड देने की व्यवस्था करेगी ?

Page No 21

(21)

श्री केदारनाथ : वहां पर तो सिर्फ सर्वे कार्य ही चल रहा था उसको राज्य सरकार के आदेशों द्वारा बन्द किया गया है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : किसके आदेशों से ?

श्री केदारनाथ : कह तो दिया कि राजस्थान सरकार के आदेश से।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय हाउस को मिसलीड किया जा रहा है। पहले मन्त्री जी ने बताया कि मन्त्रिमंडल ने निर्णय लिया और दूसरी तरफ यह पाया जाता है कि चीफ इन्जीनियर इरिगेशन ने राज्य सरकार को मिसलीड किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मंत्रिमंडल को चीफ इन्जीनियर द्वारा मिसलीड किया जा रहा है।

श्री केदारनाथ : कोई मिसलीड करने का सवाल नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, इसी के संबंध में. . . .

श्री केदारनाथ : थोड़ा सुन तो लीजिये!

श्री किशनसिंह भाटी : कुछ पूछना चाहता हूं . . . .

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क जयपुर): दोनों बोलते रहें उस बीच में पूछ लेता हूं।

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चीफ इन्जीनियर ने किस के हुकम से सर्वे का काम बन्द किया ? तो जब हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह बात कह दी कि हम अभी सीख रहे हैं और प्रशासन सिखा रहा है तो चीफ इन्जीनियर ने काम बन्द कर दिया और मंत्री को सूचना दे दी। अक्सर आदमी काम करता है तो मान सकते हैं कि काम अभी सीख रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : नोकरशाही हावी हो रही है।

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह है कि राजस्थान कैनाल का जो लक्ष्य निर्धारित था वह आज तक इसलिये पूरा नहीं किया गया है कि उसमें धन की कमी रही है। धन की कमी रहते हुए लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम निकाला गया जो कि मंहगा सिस्टम पड़ता है। जो डिसीजन कांग्रेस सरकार ने पालिटिकल बेसिस पर किया जो कि निर्णय गलत था और जो कि एक तरह से पोलिटिकल डिसीजन था और राजस्थान कैनाल, जो कि बिगेस्ट कैनाल थी धन को अपने जिले में डाइवर्ट किया, अपने जिले की तरफ डाइवर्ट किया उस गलत निर्णय को वर्तमान सरकार रोक कर पहले मैन कैनाल को और नेशनल प्रोजेक्ट को पूरा करेगी या नेशनल प्रोजेक्ट की कास्ट के ऊपर लिफ्ट इरिगेशन के काम को पूरा किया जायेगा ? पहले मैं यह क्लेरिफिकेशन माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं।

गत अधिवेशन में जब मैंने सवाल किया इस बारे में तो मंत्री महोदय ने बताया था

Page No 22

(22)

(श्री किशनसिंह भाटी)

कि राजस्थान कैनाल की पूर्ति धन की कमी की वजह से नहीं हो रही है तो धन की व्यवस्था कर पहले राजस्थान कैनाल को पूरा किया जायेगा या पालिटिकल ब्रांचेज, जो कि मथुरादास जी माथुर और दूसरे सदस्य चाहते हैं, पूरी की जायेंगी ? मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का जवाब दें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इस साल राजस्थान कैनाल का कितना रुपया सरेण्डर किया है ? काम रुपये की कमी के कारण से बन्द नहीं है। 2 करोड़ रुपया पहले सरेण्डर किया है और 2 करोड़ रुपया और सरेण्डर करेंगे। 10 करोड़ रुपयों का ऐसा आर्डर दे रहे हैं जिसका अभी उपयोग नहीं होना। यह तो रांग प्लानिंग और नैग्लीजेंन्स के कारण काम नहीं हो रहा है।

श्री केदारनाथ : कोई भी पैसा सरेण्डर नहीं किया जायेगा। जो भी रुपया एलोकेट किया जायेगा, 16 करोड़ पहली स्टेज पर और 14 करोड़ रुपया सैकिण्ड स्टेज पर यूटीलाइज किया जायेगा। माननीय सदस्यों को जानकारी दे दूं कि जो सर्वे के लिए पैसा था वह हमारे पास है। सर्वे बन्द कर दिया गया। इस लिफ्ट इरिगेशन के सिस्टम पर दुबारा मंत्रिमण्डल विचार कर रहा है। उसके लिए माननीय सदस्यों को विश्वास में लिया जायेगा और जिस जिस इलाके में लिफ्ट इरिगेशन की योजना थी उस इलाके के एम.पी. और एम.एल.ए. को विश्वास में लेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री किशनसिंह भाटी : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। क्या लिफ्ट इरिगेशन मैन कैनाल की कास्ट पर किया जायेगा ?

श्री केदारनाथ : मैन कैनाल की कास्ट पर नहीं किया जायेगा।

श्री शिवचरणसिंह : क्या शाह आफ ईरान ने इसलिए सहायता दी है कि हमारे डिफेन्स के मामलों में वह इन्टरफियर करें ?

श्री केदारनाथ : आपका ऐसा सवाल है कि जो आपको पूछना ही नहीं चाहिए था। क्या रिप्लाई दूं।

श्री शिवचरणसिंह : क्या यह राजस्थान कैनाल डिफेन्स के पाइन्ट आफ व्यू से पहले नहीं बनाई गयी थी ? क्या यह मैन उद्देश्य नहीं था ? इरिगेशन तो सैकण्डरी उद्देश्य था...

श्री केदारनाथ : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फारेन कोलोबोरेशन पहली बार इन्ट्रोड्यूज किया जा रहा है। इसलिए जैसा मुख्य मंत्रीजी ने निवेदन किया कि जो भी कन्डीशन्स एण्ड टर्म्स होंगी वह डेरोगेटरी नहीं हों, ह्यूमीलियेटिंग न हों इसका पूरा ध्यान रखा जायेगा। मैं भी, मान्यवर, यह निवेदन करना चाहता हूं कि सैन्टर और स्टेट रिलेशन्स के सारे पाइन्ट तय हो चुके हैं और जहां फारेन कोलोबोरेशन का सवाल है स्टेट को बुलाकर सारी बातें की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : क्या यह सही है कि लिफ्ट इरिगेशन के प्रारम्भ करने के बाद···

एक माननीय सदस्य : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : क्या यह सही है कि···

एक माननीय सदस्य : मैं पहले कभी नहीं बोला। पहली बार बोल रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : क्या यह सही है कि लिफ्ट इरिगेशन योजना के प्रारम्भ करने से कमाण्ड एरिया बढ़ेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछ रहा हूं। 7 मार्च, 1967 को गोली काण्ड करके जनतंत्र का गला घोटा गया था जिसमें 6 आदमी शहीद हुए 6 मार्च को शहीद दिवस माणक चौक, जयपुर को शहीद चौपड़ के नाम से पुकारा जाए। यह नारा 6 मार्च को श्री भैरोंसिंह जी शेखावत का था। आज वह मुख्य मंत्री हैं। इस वायदे को वह पूरा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

सन्देश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्नांकित सन्देश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है।

"दिनांक 6 मार्च, 1978

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका 4 मार्च, 1978 का पत्र संख्या एफ. 10 (2) सदन/वि. स./78-4827 मिला। इस कृतज्ञता सन्देश के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। आप कृपा कर उनके पास तक मेरा कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई :—

(1) सर्वश्री रघुनाथ विश्नोई, मूलचन्द डागा, श्योपतसिंह मकासर, अब्दुल अजीज, परसराम मदेरणा, खेतसिंह, गंगाराम चौधरी, रणमलसिंह, रामसिंह, राम रघुनाथ, रामदेव, माधोसिंह, रामलाल व सुमित्रासिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से कल दिनांक 6 मार्च को दिन के समय विधान सभा भवन के बाहर जयपुर जिले के प्रदर्शनकारी किसानों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज, अश्रुगैस एवं हवाई फायर की घटना के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

इसी प्रश्न पर कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना भी दी है। मैं इन प्रस्तावों को राज्य सरकार को जानकारी प्रस्तुत करने के लिये भेज रहा हूं। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री मोहम्मद जहूर, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 14 फरवरी को नौगांवां के मेव ग्रामीणों की पुलिस द्वारा की गयी पिटाई के विषय में।

यह प्रस्ताव भी राज्य सरकार की जानकारी के लिये भेजा जा रहा है। जानकारी मिलने पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) सर्व श्री रामनारायण चौधरी, मनफूलाराम व दूलाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है और हरिजनों को सताया जा रहा है, इस विषय में।

इस प्रस्ताव में एक से अधिक मुद्दे उठाने की कोशिश की गयी है और किसी घटना विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है। यह प्रस्ताव अस्पष्ट होने के कारण मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री वृद्धिचन्द्र जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले के 852 गांवों में से 355 गांवों में अकाल राहत कार्य पर्याप्त संख्या में न खोलने के विषय में।

इस प्रश्न को बजट पर सामान्य बहस के दौरान उठाया जा सकता है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैंने पहले 4 मार्च को एडजोर्नमेन्ट मोशन भी दिया था।

(व्यवधान)

मेरी एक बात सुनें।

उस स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ? आज हुई तारीख 7।

श्री अध्यक्ष : अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : यह बड़े दुःख की बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुछ अनुशासन का भी तो ख्याल रखिये।

माननीय सदस्य श्री डागा, सरकार का उत्तर प्राप्त हो गया है। मैं इस सम्बन्ध में कल आपको मौका दूंगा।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है और समय से पूर्व दिया है। वह प्रस्ताव यह है कि बूंदी जिले के ग्राम पंचायत के सरपंच की नाक काट ली गई चाकू से। उसके प्राण लेने की कोशिश की गयी। उस पर घातक हमला किया गया। उसको घातक चोटें पहुंचायी गयीं। उसका हाथ तोड़ दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव सरकार की जानकारी हेतु भेजा गया।

श्री माणकलाल ठाकोर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह राजनैतिक कारण से, राजनैतिक प्रतिशोध के कारण से उसके साथ ऐसा किया गया है। जो बिलाड़ा सरपंच है वह जनता पार्टी का जीता हुआ सरपंच है और हारा हुआ व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का था। उसने उस जीते हुए सरपंच का हाथ तोड़ दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : भई, तुम्हारी कमजोरी है।

(व्यवधान)

श्री माणकलाल ठाकोर : कृपया इस पर वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें। गृह मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में आश्वासन देने की कृपा करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था....

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव का जवाब मुझे कब तक मिलेगा ? मुझे इसका जवाब मिलना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : स्थगन प्रस्ताव जिस प्रकार से सूची में आये हैं। पहला नाम विश्नोईजी का है, फिर मेरा नाम है और उसके बाद फिर उनका नाम है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप देख लीजिये। पहले मैंने दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और किसी को बोलने ही नहीं देते हैं।

श्री मोहम्मद जहूर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मेरे स्थगन प्रस्ताव का जवाब दिलाया जाय।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष के दो माननीय सदस्यों ने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि लॉ एन्ड आर्डर की स्थिति कैसी हो गयी है। एक सरपंच की नाक काट ली गयी। दूसरे में 40 हजार रुपया मारपीट करके ले लिया। एम. आई. रोड पर चोरियां हुईं। इस प्रकार का जो वातावरण बन रहा है। गृह मंत्रीजी इसके बारे में स्थिति का स्पष्टीकरण करें कि क्या इस शासन में चोर रहेंगे, गुंडे रहेंगे अथवा यहां पर लॉ एण्ड आर्डर का शासन रहेगा ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : हाउस में कैसा माहोल हो रहा है। इस व्यवस्था को तो सुधारिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : चाहे नाक कान कांग्रेस के व्यक्ति ने काटे हों या जनता पार्टी के व्यक्ति ने काटे हों, यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ और इस पर विचार नहीं हुआ तो हाउस की नाक जनता काट लेगी। इस सदन की नाक नहीं कटे इसलिये इस पर विचार होना चाहिये। यह

(श्री राम कृष्ण दास गुप्ता)
बूंदी के अखबारों में तीन दिन पहले खबर आयी है अगर सरपंच के विषय में वास्तव में विचार नहीं करते हैं तो सदन की नाक कटेगी। गृह मंत्री महोदय को इस बारे में सदन के अन्दर कहना चाहिये। मोहम्मद जहूरजी ने चार्ज लगाया। सरपंच की नाक कटी, चोरी हुई, 40 हजार रुपये मारपीट करके ले गये, यह सब गलत हुआ है। आखिर पुलिस क्या कर रही थी? हाउस के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये आप व्यवस्था दें। न्याय और समय की मांग है सब काम छोड़ कर गृह मंत्रीजी को आदेश दें, मुख्य मंत्रीजी को कहें, कल कोई मेरी नाक काट लेगा तो क्या होगा?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के अन्दर निवेदन करना चाहता हूं कल किसान रैली आयी और किसान रैली में . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य बोलिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : किसानों का नुकसान हुआ। किसानों को पीटा गया। यह प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाले . . . . .

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : लॉ एण्ड आर्डर की प्रोबलम है। किसानों को किसने मारा? आप लोग ध्यान दें। मैं चाहूंगा कि यह रिपोर्ट अखबारों में आयी है कि विधान सभा के ऊपर से अश्रुगैस के गोले छोड़े गये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आपके समक्ष एक दर्जन स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे हैं। जो भी अप्रिय घटना घटी है इस सदन के पास और पुलिस ने कुछ कार्यवाही सदन के प्रिसिंक्ट्स के अन्दर की है वह बहुत सीरियस नेचर की है। राज्य सरकार को तथ्यों की जानकारी इस सम्बन्ध में प्राप्त करने के लिए आपने आदेश दिये हैं लेकिन हम ऐसा सोच कर चलते थे ऐसे इम्पार्टेंट और लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार स्वयं पहल कर जानकारी देगी। इसलिये सरकार यदि स्टेटमेंट दे सकती है तो सरकार को आदेश दिया जाय कि स्टेटमेंट दे। अगर नहीं देना चाहती है तो जो तथ्य हैं उन तथ्यों को खोलकर रखने का माननीय सदस्यों को हक है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे विरोधी दल के माननीय नेता की आपत्ति पर दो शब्द तो कहने दीजिये। मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। इस सदन के प्रिसिंक्ट्स में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो आपत्ति जनक हो। अतएव इस सम्बन्ध में सरकार से कोई जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रही।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है। कल किसानों की रैली पर जिस ढग से लाठी चार्ज हुआ, अश्रुगैस के गोले छोड़े गये यह राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में पहला मौका है। यह पहला मौका है हिन्दुस्तान में जब कि इस तरह से हजारों

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
किसानों पर लाठी चार्ज किया गया हो, उन पर अश्रु गैस के गोले छोड़े गये हों, यह पहली मिसाल है। यह अच्छा नहीं हुआ है। यह सारी घटना . . . .

श्री रामनारायण चौधरी : कल ये . . . .

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह (मकासर): Sit down,

श्री रामनारायण चौधरी : कल ये किसानों पर गोली चला रहे थे . .

श्री श्योपतसिंह मकासर : शर्म आनी चाहिये। डेमोक्रेसी है . . .

श्री रामनारायण चौधरी : ठेकेदार हो. .

श्री श्योपतसिंह मकासर : ठेकेदार बने फिरते हो . . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दलाल हो तुम . .

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कांग्रेस शासन में चूरू और . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, This dual bettle shoud stop.

श्री श्योपतसिंह मकासर : कल जो घटना हुई . . .

श्री रामनारायण चौधरी : कोई अधिकार नहीं किसानों का नाम लेने का . . .

श्री अध्यक्ष : दोनों विधायक, आप स्थान ग्रहण करें। अब तो डुअल बैटल समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं. . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : यह किसान नहीं है, यह लैण्डलार्ड हैं . . .

श्री श्योपतसिंह मकासर : तुम लैण्डलार्ड के चमचे हो. . . .

श्री ईश्वर चन्द्र : यह रावण अंगद संवाद रुकवाइये।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : कल का सवाल उठा, कल जिस तरह लाठी चार्ज हुआ ऐसा लाठी चार्ज, जैसा मैंने कहा, हिन्दुस्तान में पहली मिसाल है। हजारों किसान अपनी मांग लेकर आये थे। वे कोई लाठियों से लैस नहीं थे. . .

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस होती तो गोलियां चल जातीं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : किसान यहां पर हजारों की तादाद में थे . . .

श्री हरिश कुमार शर्मा (रामगंजमंडी) : अध्यक्ष महोदय, यह सब्जी मन्डी या मैदान नहीं है। ये यहां पर इस प्रकार से लड़ रहे थे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अरे आप क्या कर रहे हो।

श्री ईश्वरचन्द्र : हाउस में यह दो बार कैसे बोलेंगे...

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने किसानों का सवाल उठाया। इस सवाल को न तो इस पक्ष के लोग पसन्द करते हैं, न उस पक्ष के लोग चाहते हैं...

(व्यवधान)

उस सवाल को उठाने न दिया जाये, यह बहुत बड़ी साजिश है। इस असेम्बली के बाहर और अन्दर किसानों का कोई भी सवाल उठाये उस सवाल को उठने मत दो, यह साजिश है।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह झूठ है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस तरह के लोग हैं, बीच में बैठे हुए। यह साजिश चल रही है। न किसी की बात बाहर करने दो, न अन्दर करने दो। कल की घटना टाली जा सकती थी। कल की घटना को रोका जा सकता था। मैंने लगातार कल सारी घटना को देखा। मैं सबसे पहले हमारे नये गृह मंत्री को, जिनकी काबलियत से प्रभावित होकर मुख्य मन्त्री ने उनको नया ओहदा दिया है, लाठी चार्ज और अश्रु गैस के लिये बधाई देना चाहता हूं। शुरूआत आपने खतरनाक की है। मुख्य मंत्री जी बहुत खतरनाक शुरूआत है। यह हमने नहीं की है। यह जो सब कुछ हो रहा है, यह आपके लोग कर रहे हैं। अन्दर और बाहर यह जो आपने चिड़ियाघर बना रखा है, मंत्रिमण्डल ऐसा बना रखा है सारे का सारा, चाहे कुछ लोग इस बात को पसन्द करें चाहे ना पसन्द करें, मगर मैं खबरदार कर देना चाहता हूं, मुख्य मंत्री महोदय, अगर आपका रवैया यही रहा, तो भयंकर परिणाम होंगे राजस्थान में। हम लोग तो अपने राजस्थान के वाटर्स को, राजस्थान की जनता को यह कहकर नहीं आये हैं कि इस राजस्थान को लड़ाई का क्षेत्र बनायेंगे। हमने वायदा किया है, मिल–जुल कर हम सब राजस्थान की खुशहाली चाहते हैं, हम राजस्थान से एक ऐसे राज को खतम करना चाहते हैं जिसमें तानाशाही थी। आप कल बाहर चले जाते, मुख्य मंत्री जी, तो आपको मालूम होता इस घटना का, यह प्रदर्शन किनका था और कौन लाया था...

एक माननीय सदस्य : कल आपने टोपी नहीं पहन रखी थी।

श्री श्योपत सिंह मकासर : सिर फूटने का अन्देशा है, इसलिये पहन कर आया हूं।

(व्यवधान)

श्री हरिश कुमार शर्मा : माननीय सदस्य बोलते जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, इनको रोकिये।

(व्यवधान)

श्री हरिश कुमार शर्मा : माननीय सदस्य बीच में बोल रहे हैं, इनको बीच में बोलने से रोका जाय।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : ऐसा मालूम पड़ता है, मुख्य सचेतक महोदय माननीय सदस्यों को यह कह कर लाये हैं कि किसान की बात हो तो हो हल्ला किया जाय।

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था एक बात–कल की घटना को रोका जा सकता था। भविष्य में भी ध्यान रखें कि ऐसी घटना न घटे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय आप क्यों नहीं गये? आपकी जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों को सम्बोधित करने के लिये कहा। बाहर जाकर दो बात उनको कहनी थी। 30 साल कांग्रेस ने जो रवैया अपनाया, अगर वही रवैया आपने भी अपनाया तो हम असेम्बली से बाहर नहीं निकलने देंगे। ये वे लोग थे जिन्होंने सत्ता सौंपी है। आपकी पार्टी के ही लोग हैं। यह मार्क्सवादी पार्टी का प्रदर्शन नहीं था। वे लोग अगर प्रदर्शन करने आये तो आपको बाहर जाने में क्या परहेज था? अगर आप बाहर चले जाते, और सूझ–बूझ से काम लेते तो यह घटना रोकी जा सकती थी। अगर आपने इस प्रकार का रवैया अपनाया तो भविष्य में और काण्ड होंगे यहां। कल यहां पर दो प्रदर्शन थे–एक विद्यार्थियों का था दूसरा किसानों का।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि किस तरह की हालत हुई। जैसे जौहरी बाजार में 7 मार्च का फायरिंग हुआ था, फायरिंग का वही सीन था। दो-तीन घन्टे मल्ल युद्ध होता रहा। आपके आई. जी. मौजूद थे, आपके सारे अधिकारी मौजूद थे, किसी आदमी ने नहीं सोचा कि इसको टाला जाय। जब अश्रु गैस छोड़ना शुरू कर दिया तो लगातार दो घंटे तक अश्रु गैस छोड़ी गई, आपकी पुलिस के घोड़े आये। इधर लाठी चार्ज हुआ, उधर लाठी चार्ज हुआ और किसी ने सीरियस नहीं समझा...

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय सदस्य को बोलने से नहीं रोकें। आज यह हाउस तय कर दे कि किसी माननीय सदस्य को कुछ कहने का अधिकार है या नहीं। मुख्य सचेतक महोदय आज इनको कुछ कह कर लाये हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय खेतसिंह जी ने बात कही, मैं कहता हूं मैंने देखा है। मैं बाहर गया, अश्रु गैस के बीच में गया। दुबारा पुलिस को ले गये, मैंने कहा इस पुलिस को वापस कर लो नहीं तो वे भड़केंगे। मैं बाहर खड़ा था। आपकी इस असेम्बली की चौटी पर मे फायरिंग होते देखा और अश्रु गैस के गोले छोड़ते देखा। मैं इस बात का गवाह हूं। लोगों को रोका गया, चौपड़ पर आपकी घोड़ा पुलिस आई। इस प्रकार अश्रु गैस के गोले छोड़कर आप सोचते हैं कि जनता पार्टी के नाम को रोशन कर रहे हैं? आपको, अन्दर और बाहर लोग एक्सप्लाइट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इस प्रकार का व्यवहार न हो। पार्लियामेंट के एक माननीय सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है, उसको कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज शायद आप सोचते होंगे दौलतरामजी के साथ ऐसा हुआ है कोई बात नहीं है। तो आज राम के साथ हुआ तो कल किसी सिंह के साथ होगा। यह जो जातियों का युद्ध हो रहा है, इस पर काबू कीजिये। यह राजस्थान के हित में नहीं है, यह किसी

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

सूरत में राजस्थान के हित में नहीं है। आज जो बातें किसानों में फैलाई जा रही हैं वे बहुत खतरनाक बातें हैं। आज आपके चारों तरफ चापलूस लोग रहते हैं और हर मुख्य मन्त्री के चारों ओर चापलूस लोग रहते हैं। इसलिए असेम्बली के माध्यम से मैं अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं, आपके सारे समाजवाद की विचारधारा रह जायगी। राजस्थान में एक चीज हो रही है तो फ्यूडल वर्सेज किसान वर्ग का है, उसकी बात भी नहीं सुनी गई। बात सुनने के एवज में उन पर लाठियां बरसाई गईं, आग में घी डाला गया। इसको, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, रोकिये और आपस में बैठकर तय कीजिये, सारे राजस्थान की तस्वीर को मत बिगाडिये। कोई बुरी मांग नहीं थी उनकी, इस बात को टाला जा सकता था। मैं दुबारा गृह मंत्री जी को इस नये तोहफे के लिये, अच्छे तोहफे के लिये मुबारकबाद देना चाहता हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इस इश्यू पर मैं भी बोलना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल जो सारा नजारा देखा, उसके बारे में मैं सदन को अपनी बात कहूंगा ताकि सरकार जांच करते समय उन मुद्दों को ध्यान में रखे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जब हाउस में था तब अचानक पुलिस ने इस गेट के बाहर जाकर लाठी चार्ज शुरू किया। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि लाठी चार्ज की परि-स्थिति कैसे आई, इसकी शुरुआत किसने की? सरकार के पक्ष को कल रेडियो पर भी सुना, बहुत से पुलिस वाले घायल हुये हैं। और बहुत से आफिसर घायल हुए हैं। किसानों पर जो लाठी चार्ज हुआ वह तो सबने देखा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी देखा होगा। उस समय बातचीत चल रही थी, माननीय मुख्य मंत्री जी तथा एम० पी०, एम० एल० एज० में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत चल रही थी। किसानों का शान्तिपूर्ण प्रदर्शन था। पर्चे पहले ही निकल गये थे, सरकार को मालूम था कि तारीख 6 को शान्तिपूर्ण प्रदर्शन होगा। जैसी आपको जानकारी होगी क्योंकि आप विराजमान थे और हम भी थे माननीय गृह मंत्रीजी थे, उनको भी ध्यान होगा कि किसी ने सूचना दी। प्रदर्शनकारी किसान लोग आफिसर्स को पीट रहे थे। शायद उनको पता नहीं गृह मंत्री जी ने आदेश दिया होगा, इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स होंगे कि सख्ती से काम लिया जाय। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौजूद थे, एस० पी० मौजूद थे। उसके बाद वे कहां गये। लेकिन गये जरूर। तो अवश्य इस प्रकार का आदेश हुआ होगा उनका, जवानों का तो दोष हम मान नहीं सकते।

यह प्रदर्शन जो हुआ विधान सभा के सामने हुआ। सारे आफिसर, सारे विधायकगण, सांसद यहां पर थे, उस प्रदर्शन में 15-20 विधायक भी थे। और संसद सदस्य भी थे। सांसदों में अग्रणी श्री दौलतराम जी सारण थे जो जनता पार्टी के एम. पी. हैं और घणे ही वोटों से जीत कर आये हैं, यह कोई मामूली बात नहीं है। दूसरे कोई सोचें कि यह कांग्रेस का जुलूस था जिससे बदला

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

निकाला गया था सी.पी.एम. का था या सी. पी. आई. का था, यह भी नहीं कहा जा सकता। किसानों ने शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों का चार्टर निकाला था, उसमें विवरण दे रखा था अपनी मांगों का और उसके फलस्वरूप वे यहां पर आये थे, जैसे हमेशा आया करते हैं। आप जानते हैं कि उसमें बड़े और छोटे सभी तरह के, किसान थे, बूढ़े और जवान भी थे। किसान अपने ट्रैक्टर लेकर पीसफुली यहां पर आये थे, जहां से जुलूस रवाना हुआ वहां से लेकर विधान सभा तक आये थे। अगर उनको किसी तरह का बखेड़ा करना होता, उनकी बखेड़ा करने की मन्शा होती, अनडिजायर्ड एलीमेंट उनमें होते तो यह सारी परिस्थिति विधान सभा के सामने ही क्यों पैदा हुई? रास्ते में भी ऐसी घटना हो सकती थी। ऐसा कभी-कभी होता है कि अनडिजायर्ड एलीमेंट होता है तो रास्ते में दुकानें लुटती हैं, जबरदस्ती चीजें खोसते हैं, जबरदस्ती चन्दा मांगते हैं। ऐसी घटनायें भी हमारे सामने हमेशा आई हैं लेकिन इसमें इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हमें इस बात का बड़ा भारी दुःख है कि एक तरफ बातचीत चल रही थी इन मांगों के बारे में और माननीय मुख्य मंत्री जी बराबर इस बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने माना था कि मांगे तो वाजिब हैं। आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में विचार विमर्श हो रहा था कि बीच में ही यह बखेड़ा हो गया। अब सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति क्यों सामने आई? इसके लिए यह कहा गया कि जाटों का झगड़ा है, जाति विशेष का झगड़ा है तो मैं समझता हूं कि इसमें जाति का कोई झगड़ा नहीं है। हर जाति के किसान यहां पर मौजूद थे, जाट मौजूद थे, राजपूत मौजूद थे, अनुसूचित जाति के भी थे। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कोई जाट राजपूत का झगड़ा था। इस में आपको यह मुद्दा ढूंढना पड़ेगा कि शुरुआत किसने की? मैं भी ऊपर बारी से देख रहा था कि किस प्रकार ऊपर से बड़े-बड़े पत्थर आये। किसान अपने ट्रैक्टरों पर बैठे हुए थे उन पर पत्थर पड़े ऊपर से। यह मेरी आंखों से देखी हुई बात है कि ऊपर से बड़े-बड़े पत्थर आये। यह बात सही है कि फिर नीचे से भी पत्थर फेंके लेकिन जब प्रवोकेशन होता है तो एक कांकड़ी भी बगाते हैं, छेड़ देते हैं तो दूसरी तरफ भी इर्रीटेशन होता है। यह मुद्दा नहीं है कि सैल्फ डिफेंस में लाठी चार्ज किया गया। प्रश्न यह है कि शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत किस तरफ से की गई?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुद्दा यहां पर यही उठता है कि किस की गलती थी और किस ने सबसे पहले भड़काया? यह मामूली बात नहीं है। जब दूसरी तरफ से गड़बड़ कर दी, लाठी चलाने की वारदात हो गई तो सैल्फ डिफेंस का हुकुम भी दिया होगा या कुछ किया होगा। आपने असलियत नहीं देखी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय बतायें कि इसमें प्रवोकेशन की क्या बात हुई, किसने इसकी शुरुआत की? इसमें किसी दूसरे एलीमेंट का, मैं दूसरी पार्टी का भी सवाल नहीं है, कांग्रेसी एलीमेंट का सवाल नहीं है। पीसफुल किसानों के प्रदर्शन पर क्यों लाठी चार्ज करना पड़ा, यह आपको पता लगाना चाहिये। यह मेरे स्वयं की

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

देखी हुई बात है कि ऊपर से पत्थर फेंके गये, नीचे से भी पत्थर गए और उनको तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े करके फेंके गए। यह गुस्से में आकर किया गया या शांत करने के लिए किया गया ? इसमें शांत करने की बात तो हो नहीं सकती, गुस्से में आकर ही किया गया है। जब दूसरी बार भी लाठी चार्ज से काबू में नहीं आए तो अश्रु गैस के गोले छोड़े गए। फिर धाभाई जी की हवेली से दूर-दूर तक अश्रु गैस छोड़ी गई। किसान अपने ट्रैक्टर छोड़ छोड़ कर भाग गये। अश्रु गैस इतनी छोड़ी गई कि कुम्भाराम जी और दौलतराम जी, जो मौजूद थे, को बेहोशी सी आई थोड़ी देर के लिए, फिर वे ठीक हो गये। फिर वहां पर मीटिंग हुई। बजरंगलाल जी ने कहा कि पंडित केदारनाथ जी को बोलने दो। भीड़ पहले उनको सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर बजरंगलाल जी बोले कि पंडित केदार नाथ जी सरकार की तरफ से आये हैं, वे कुछ कहना चाहते हैं। जब दौलतराम जी ने भी कहा कि सुनो, सुनो, तो भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हुए और कहा कि पहले तो लाठी चार्ज करते हो, अश्रु गैस छोड़ते हो और अब भाषण देने आये हो। बजरंगलाल जी ने कहा कि माननीय पंडित केदारनाथजी को पहले बोलने दो फिर आपके जचे जो करना।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पंडित केदारनाथ जी ने सरकार का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि यह बहुत बुरी घटना हुई है। यह घटना किसी की गलती से हुई है इसका मुझे खुद को दुःख है। मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करायें कि झगड़ा किसने किया। यह मामूली मामला नहीं है। यह आपकी सरकार का मामला है, यह किसानों के प्रदर्शन का मामला है। किसानों की तरफ से जो वाजिब मांगें रखीं गई उन पर आप स्वयं सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात-चीत कर रहे थे। फिर यह घटना कैसे हो गई, इस पर आपको बहुत गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा और असलियत का पता भी लगाना पड़ेगा कि शुरुआत कहां से हुई। खाली हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा। आपकी जवाबदारी है, आपकी सरकार की जवाबदारी है। पहले भी यहां पर दो दो घंटे तक इस तरह से बहस होती रही है। हमने भी सुना है। घंटी भी बजी तो उसको भी चुप कराया या आपने ही। आप आज इस मामले को मामूली नहीं मान सकते। इस तरह से नहीं टाल सकते, पूरी तरह से फैक्ट्स सामने आने चाहिए, किसानों का भी मुद्दा पेश होना चाहिए। जो कुछ हुआ है वह ठीक नहीं हुआ है। यह बिल्कुल अशोभनीय घटना हुई है। ऐसी स्थिति थी कि बारह बजे से लेकर दो ढाई बजे तक यह सब होता रहा है, इतने समय तक यह सब होता रहा जबकि सारे मंत्री यहां पर मौजूद थे। मुझे भी कहा था कि इधर से मत जाओ, बसें वहां खड़ी हैं उधर से जाओ। हमने कहा कि हम उधर से क्यों जायेंगे। उधर जाने का कोई सवाल नहीं है, क्या हो रहा है, क्या कोई गोली चल रही है ? कोई मारकाट हो रही है ? कोई हत्या हो रही है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अशोभनीय घटना हुई है, सभी लोगों ने इसको देखा है। इसमें गलती किस की थी, आप इसका पता लगायें। जिसने भी जान-बूझ कर गलती की है, उसका पता लगायें। इसमें किसी एलीमेंट के होने का सवाल नहीं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है, यह तो आपकी जनता पार्टी का ही जुलूस था, इसमें कांग्रेसी एलीमेंट होने का, अनडिजायरेबल एलीमेंट होने का सवाल नहीं है, सी. पी. एम. या सी. पी. आई. का सवाल नहीं है। जिस किसी ने यह किया है उसको आप ढूंढ निकालें और ढूंढ निकालने के बाद में इन्साफ करें। जिन लोगों के चोट लगी है, सरकारी अधिकारी भी उनमें शामिल है उनके साथ भी अन्याय हो तो यह भी ठीक नहीं है। लेकिन जो पीसफुल किसान बाहर से अपनी मांगें लेकर आए थे वे ट्रैक्टर छोड़-छोड़ कर भाग गए, लोग इधर-उधर भागे तो उनको खींचना और मारना यह शोभनीय नहीं था? लोग फिर आये कि कहीं हमारा नुकसान नहीं हो जाय तो उन पर लाठी चार्ज किया, अश्रुगैस छोड़ी गई। अगर उनको बखेड़ा ही करना होता तो ट्रैक्टर छोड़ कर क्यों जाते? बिल्कुल शांत और इन्नोसेंट लोग आए थे। बड़े-बड़े अधिकारी भी यहां पर मौजूद थे। अध्यक्ष महोदय, यह सब विधान सभा के सामने हुआ है। जैसा आपने कहा कि विधान सभा के अन्दर नहीं हुआ। तो अन्दर होने का प्रश्न नहीं है। यह विधान सभा के गेट के आगे हुआ है। गेट बन्द किये गए हैं और बाद में मैंने और माननीय सरदार साहब, जो विधायक हैं, ने नीचे जाकर कहा कि हमको बाहर क्यों नहीं जाने देते, गेट क्यों नहीं खोलते हो? तुम गेट खोल दो, कोई बाहर से आने वाला नहीं है। इसके बाद गेट खोले गए। इसमें आपस में झगड़े की बात नहीं है। आप कहें कि यह जातिवाद का मामला है, अन्दरूनी झगड़ा है तो इसका तो हमें पता नहीं है। लेकिन आपको इन झगड़ों को मिटाने के लिए, जरूर कोशिश करनी पड़ेगी। अगर कोई झगड़ा है तो यह पता लगाना पड़ेगा कि किस ने यह किया है। उसको आप ढूंढने की कोशिश करें। इसमें कोई नाराज हो जाय तो नाराज होने का प्रश्न नहीं है। किसानों की मांगें सभी उठाते हैं, आप भी उठाते थे, हम भी उठाते हैं, दौलतराम जी, कुम्भारामजी, श्योपतजी सभी मांगें उठाते हैं। आप भी उनसे वोट मांग कर, उनके वोटों से जीत कर आए हो। आप भी उनसे वोट मांगते हो, उनके वोट के जरिये जीत कर आए हो। किस-किस को मारा यह खास मुद्दा नहीं है बल्कि मुद्दा यह है कि पहले गलती किस ने की? किसने घटना को इतना उग्र रूप दिया कि अश्रुगैस छोड़नी पड़ी? क्या खतरा पैदा हो गया था, किसानों ने ऐसा कौन सा उग्र रूप धारण कर लिया था कि उनको लाठियों से मारना पड़ा? इसकी आप निष्पक्ष जांच करायें और जो भी दोषी अधिकारी हों, जो एलीमेंट हों, उनको ढूंढ निकालें और उनको दण्ड दें। यह घटना विधान सभा के सामने हुई है, आपकी आंखों के सामने घटना हुई है, इसकी भी आप जांच नहीं करते हैं तो वैसे ही होगा जैसे कि सबके सामने कत्ल होता है और किसी तरह से अपराधी छूट कर चला जाता है। इससे लॉ एण्ड आर्डर की हालत खराब होती है।

अभी एक एडजोर्नमेंट मोशन था कि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन खराब हो रही है। बेकसूर लोग इस तरह से मारे जायेंगे तो इसके असर से गांवों में और झगड़े बढ़ेंगे। लोग यही समझेंगे कि निर्दोष लोग इसी तरह से मारे जा रहे हैं तो हम भी किसी तरह से कमजोर नहीं हैं। बड़े बड़े लोग इस तरह से काम कर रहे हैं तो हम भी दबने वाले नहीं हैं। बूढ़े-बूढ़े

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लोग यहां पर कह रहे थे कि हम भैरोंसिंह जी से दबने वाले नहीं हैं। अब भैरोंसिंहजी ने पत्थर थोड़े ही फेंके थे, लेकिन जब सत्ता में बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। सत्ता में बैठने वालों के खिलाफ नारे भी लगते हैं। सरकार में रहेंगे तो यह सब होगा। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा खयाल है कि भैरोंसिंहजी काफी समय तक हाउस के सदस्य रहे हैं, बहुत काम्पीटेन्ट मुख्य मन्त्री हैं लेकिन आपके साथी लोग अगर इस तरह की घटना करते हैं तो इससे आपकी पोजीशन खराब होती है। आप इस पर एक्शन लेने का निर्णय लें ताकि इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले, सभी माननीय सदस्यों को संतोष हो, माननीय अध्यक्ष महोदय को संतोष हो, बाहर प्रदर्शनकारी आए उनको संतोष हो और सदन के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय। यह घटना विधान सभा के सामने हुई है। जो कुछ हुआ है आपके सामने हुआ है, दो ढाई घण्टे तक हुआ है। यह घटना बड़ी अशोभनीय हुई है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी व्यवस्था करें। विधान सभा के सामने ऐसी घटना पूर्व में कभी नहीं हुई। नन्दाजी के समय दिल्ली में हुई था जब वह गृह मन्त्री थे। साधु लोग प्रदर्शन करके चले गये थे। पार्लियामेंट के सामने गोली चल गई थी। ऐसी वहां पर घटना हुई थी लेकिन ऐसी स्थिति यहां पर कभी नहीं हुई। फिर ऐसी स्थिति क्यों आई, इसकी आप निष्पक्ष जांच करायें और सख्ती से एक्शन लें। जुडीशियल जांच करायें और दूसरा जो भी कर्मचारी ऊंचा हो या छोटा हो, जो भी दोषी हो उसको दण्ड दिया जाय। यह हम मान नहीं सकते कि यह किसानों ने किया है। लोगों को प्रवोक किया गया है। प्रवोक किसने किया, यह पता लगाना है। लेकिन यह बात निश्चित है कि ऊपर से पत्थर आए थे। आप कहें कि अश्रु-गैस ऊपर से नहीं छोड़ी, पत्थर ऊपर से नहीं फेंके, नीचे से फेंके, तो मैं निवेदन करूंगा कि बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े तोड़ तोड़ कर फेंके गए हैं। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जावे, जुडीशियल इन्क्वायरी करवाई जावे और जो भी दोषी है उनको दण्ड किया जावे। यह मेरी मांग है। यह प्रदर्शन किसानों का शांत प्रदर्शन था, इसमें सभी पार्टी के लोग शामिल थे, यह नान-पोलिटिकल जुलूस था, जिसमें सभी तरह के किसान शामिल थे, इसलिए इस पर अवश्य कार्यवाही होनी चाहिए।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, इस मसले पर चन्द बातें मैं भी सदन में अर्ज करना चाहता हूं। किसान का जब सवाल आता है, हरिजन का सवाल जब आता है तो सदन के सभी माननीय सदस्य इसको सपोर्ट करते हैं। वे अपना सारा सपोर्ट हरिजन को देते हैं, किसान को देते हैं। कुछ आदमी किसानों को गुमराह करते हैं। उनका वोट लेकर यहां सदन में आते हैं और उनको भूल जाते हैं। उनके वोट लेकर और वायदा देकर आते हैं, किसान, मजदूर और माइनोरिटीज को वायदा करते हैं, उन वायदों के आधार पर ही हम यहां सदन में आकर बैठते हैं। यहां पर आकर गुटबन्दी में बंध कर किसानों के खिलाफ, उनके हितों के खिलाफ कार्य करते हैं। अस्सी प्रतिशत आदमी जो हिन्दुस्तान में हैं, वे किसान हैं। उनके वोट लेकर यहां पर जो आते हैं, वे

(डा. हरिसिंह)

उन्हें ही गुमराह करने को तैयार हो जाते हैं। तो उस आदमी को यह सोच लेना चाहिए कि किसान अब जाग गया है। अगर किसान नहीं जगा है तो उसे अब ज्यादा देर जागने में नहीं लगेगी। वह जाग जाएगा। पिछले सत्र में इस सदन में किसानों की इतनी आलोचना सुन कर मुझे दुःख हुआ। मैं यह मानता हूं कि आज देश में 80 प्रतिशत किसान हैं, तो हम सब किसान हैं···

श्री राम नारायण चौधरी : यह आप हमें कह रहे हैं या सरकार को कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : अपने आपको भी कह रहे हैं या नहीं ?

डा. हरिसिंह : मैं अपने आपको भी कह रहा हूं···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं है। आप इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं उठा सकते।

डा. हरिसिंह : इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष काफी लोगों को आपने सुना है, इसलिए मुझे भी अवसर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप पांच मिनट चर्चा उठा सकते हैं। सदन की परम्परा के अनुसार आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं उठा सकते, उस पर चर्चा नहीं होती है।

श्री राम नारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष, यह आपके अधिकार में है। जो माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं उनको भी आप समय दे सकते हैं

डा. हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष, आपने पांच मिनट की इजाजत दी है। मैं पांच मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि किसान यूनियन किसी पोलिटिकल पार्टी का विंग नहीं है। किसान यूनियन न किसी ट्रेड यूनियन बेसिस पर ही है। किसान यूनियन किसानों के चहुमुखी इन्ट्रेस्ट्स को वाच करने के लिए है। अगर इस बारे में किसी माननीय सदस्य को भ्रम है, तो यह निकाल देना चाहिए। अब किसानों को ज्यादा गुमराह नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, आज किसान दुखी है, किसान भूखा है, किसान नंगा है। वह सरकार को विधिवत नोटिस देकर, पहले से सूचना देकर अपनी भूख और नंगेपन की समस्याओं को लेकर यहां पर आया था। वह अपनी समस्याओं को यहां पर रखने आया था। वह भूखा, गरीब, नंगा किसान अपने रहनुमाओं की जय जयकार करने को यहां पर आया था। उसे जय जयकार के बदले लाठियां मिलीं। उसके नेताओं ने उसके सामने आकर उसको दर्शन नहीं दिए। उसके रहनुमाओं को वह नहीं देख सका। उसके रहनुमाओं के पास वह आया था और उसके रहनुमाओं ने बदले में उसको लाठी दी। उन रहनुमाओं के दर्शन तक उसको नहीं मिले। वह उनकी जय जयकार नहीं बोल पाया। वह किसान दुखी होकर, लाठी खाकर, पिट कर वापस चला गया। प्रोफेसर केदार मेरे साथ गये थे। उसके साथ क्या हुआ, वह खुद इसको देख कर आये हैं। वे इस बात के साक्षी हैं। वह किसान कितना शान्त था। कितना भूखा, नंगा, कमजोर था लेकिन उसके साथ कितनी ज्यादती हुई है। यह प्रोफेसर केदार

(डा. हरिसिंह)
ने अपनी आंखों से देखी है। माननीय सदस्य बजरंगलाल भी साथ में थे। सभी माननीय सदस्य यह बात जानते हैं। किसानों की आवाज को बुलन्द करने के लिऐ जलूस उनका यहां पर आया था। यह कुछ माननीय सदस्य भी जानते हैं। किसान अपने अधिकार न ले, वहीं पर ही बैठा रहे, भूखा रहे, नंगा रहे, वही किसान है, यह हमारी परिभाषा है। जो किसान भूखा, नंगा हो, घूमने लायक नहीं हो, मिलने लायक न हो, वह किसान बढ़िया है, यह परिभाषा है। अगर किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इकट्ठा हो जाता है तो वह खतरनाक किसान हो जाता है। यह खतरा है कि 80 प्रतिशत आदमी जाग जायेंगे तो ये दो सौ आदमी कहां पर रहेंगे? ये दो सौ सदस्य यहां पर नहीं रहेंगे। इस सदन में नहीं रहेंगे। इसलिए किसान· · ·

श्री शिवचरणसिंह : मगर कान रहेंगे...

डा. हरिसिंह : जो स्वयं किसान है, वह रहेगा। आज सरकार ने किसान को सुनने तक से महरूम कर दिया, इससे वह किसान बहुत दुखी है। मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करें ताकि इस सदन को सही जानकारी मिल सके।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रस्ताव है,

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, किसान यूनियन का जो जलूस था, उसके बारे में सदन के सामने अपने विचार रखना चाहता हूं. . .

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार है और हमारे पर ही पाबन्दी लगा रही है, हम पर ही लाठियां चला रही है···

श्री अध्यक्ष : एक एक कर के बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मुझे पांच मिनट का समय दिया जाए। जो कुछ हुआ है, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार ने . .

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जनता सरकार ने जनता पर लाठियां चलाई हैं। पहले हमारी बात भी सुन ली जाय।

(व्यवधान)

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, हमको भी बोलने का मौका दिया जाए।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसानों को हम अन्नदाता कह कर सम्बोधित करते हैं। वे ही किसान कल अपनी मांगों के सम्बन्ध में एक प्रदर्शन लेकर विधान सभा के सामने आये थे। एक मांग तो उनकी बिजली की दर को कम करने की थी। उनकी बात नहीं सुनी गयी। जो पुलिस चोरियों और डाकों को नहीं रोक पाती है उस पुलिस ने उन पर लाठी चलाई। किसान न्याय की मांग लेकर यहां पर आये थे और यहां पर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, विधान सभ

(श्री नूरा)

भवन के ऊपर से उन पर आंसू गैस छोड़ी गई, तो यह तरीका सरकार का गलत था। वे सरकार से भयभीत हो गये और वे अपने ट्रैक्टर को छोड़ कर भाग गये। मैं यह कहना चाहूंगा, चाहे किसान यूनियन का प्रदर्शन हो लेकिन उसमें सभी शामिल थे। इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले जनता पार्टी के नेता थे, जनता पार्टी के एम. पी. थे, वे ही इसका नेतृत्व कर रहे थे। सत्ता पार्टी के लोग यह प्रदर्शन कर रहे थे, और उन्हीं के खिलाफ यहां पर इतनी पुलिस का इन्तजाम किया गया। तो हम विरोधी पक्ष वाले यह महसूस करते हैं कि जब यहां पर विरोधी पक्ष का जलूस आएगा, उनका प्रदर्शन होगा, उस हालत में उस पर तो सीधे ही गोलियां चलेंगी। जो जुलूस लेकर आए थे, उन पर आंसू गैस छोड़ी गयी। यह घटना कल ही विधान सभा के सामने हुई है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस सारे मामले की जांच कराएं। यह भी आपसे आश्वासन चाहूंगा कि विरोधी पक्ष के लोग प्रदर्शन लेकर जब यहां पर आएं तो उनके साथ ऐसी घटना न घटे। इस घटना से हमें यह आशंका होती है कि उनका और ज्यादा दमन होगा। जनतन्त्र में सभी को अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार है। जो कुछ कल हुआ, वह उनके साथ हुआ जिनका सत्ता पक्ष के लोग नेतृत्व कर रहे थे। यह घटना विधान सभा के सामने ही कल हुई है, यहां पर मिनिस्टर भी मौजूद थे, सत्ता पक्ष के विधायक थे, विपक्ष के विधायक थे, ऐसी हालत में यहां पर जो घटना घटी है, यह उचित नहीं है। सरकार इस स्थिति को संभाल सकती थी। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि प्रजातन्त्र में विरोधी पक्ष को भी अपना पक्ष रखने और प्रदर्शन करने का अधिकार है, उनको भी अपनी मांगें रखने का अधिकार है। उनके साथ भी ऐसी हालत न हो इसलिए हमारे मुख्य मंत्री महोदय को मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि इन सारे हालात पर वे अपने विचार प्रकट करें और यह जो घटना घटी है, उसके लिए न्यायिक जांच कराने का आदेश दें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कल राजस्थान विधान सभा के सामने किसानों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज की बात है, उसका मैं आंखों देखा हाल कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले के किसान, किसान यूनियन के माध्यम से राजस्थान विधान सभा के सामने पहुंचे। उनका जो छपा हुआ पर्चा था उसमें 21 मांगें थीं।

कई माननीय सदस्य : 22 मांगें थीं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : 22 मांगें थीं। उनके प्रतिनिधि मण्डल ने अवगत कराया तो मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि यहां आकर मिल लें। मैं नीचे गया और माननीय सारण साहब, मैं, डा. हरीसिंह और कुछ विधायक माननीय मुख्य मन्त्री से मिले। 22 मांगों में से 11 मांगों तक हम पहुंच चुके थे। ये मुख्य मन्त्री महोदय ने मान ली थीं। कुछ मांगें बजट में आई हैं। लेकिन उनमें से ज्यादा से ज्यादा मांगें मुख्य मन्त्री महोदय ने मान लीं। किसानों ने राजस्थान विद्युत मण्डल में दो प्रतिनिधियों की मांग की थी। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने दो नहीं एक प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व देने की बात मान

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

ली। जहां तक मीटर सिस्टम का सवाल है, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसका उल्लेख है। राज्य सरकार मान चुकी है कि मीटर व्यवस्था हट जायेगी। लेकिन इतनी ही देर में नीचे से आवाज आई। मैंने भी नीचे जाकर देखा। मैं यह कहूंगा कि न तो पुलिस की गलती थी और न किसानों की गलती थी। मैं नीचे आया तो देखा कि एक झुण्ड किसानों और पुलिस के बीच में था। वह जयपुर शहर का असामाजिक तत्व के लोगों का झुण्ड था। उसका किसानों से कुछ लेना देना नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसमें कांग्रेस (आई) के रमाकान्त व्यास के लोग थे।

(व्यवधान)

जब मैं बोल रहा हूं तो माननीय सदस्य विघ्न नहीं डालें।

मैंने जाकर देखा, जो 100-200 ट्रैक्टर ट्रालियां थी उन में कुछ ऐसी भी थीं जिन में पत्थर थे। उनमें से वह कांग्रेस (आई) के लोग फेंक रहे थे।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : झूठे आरोप लगा रहे हैं। गलत है। गलत है।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, माननीय सदस्य· · ·

(व्यवधान)

मैं निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य एतराज कर रहे है लेकिन मैं जयपुर जिले के 90%. किसानों को व्यक्तिगत रूप से पहचानता हूं। मैंने आंखों देखा है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह जनता पार्टी के लोगों ने ही बदमाशी की है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अश्रु गैस छोड़ी गई है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जो जो अभद्र व्यवहार किया गया है, वह न पुलिस ने किसानों के साथ किया है और न किसानों ने पुलिस के साथ किया है। 10% ऐसे थे जिनका हमारी किसान यूनियन से कोई सम्बन्ध नहीं था। नीचे हमारी जनता पार्टी के नेता कुम्भाराम आर्य उनके साथ थे। किसानों ने पुलिस को कुछ नहीं कहा। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो जनता पार्टी की सरकार पर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, वह निराधार हैं और कतई बेबुनियाद हैं। कल जो पत्थर चलाये गये, वह उन्होंने चलाये जो रमाकान्त व्यास, कांग्रेस (आई) के एजेन्ट थे।

(व्यवधान)

अपने को किसान कहते हैं। मैं भी किसान का लड़का होने के नाते बोलता हूं। किसानों की जो मांगें हैं, वह राजस्थान सरकार से मनवायेंगे। मौजूदा सरकार की नीति है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है, गांवों के विकास की भावनायें हैं।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)
राजस्थान की ग्रामीण जनता जाग चुकी है। इसलिये वह सरकार के सामने अपनी मांगें रखेगी।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ): माननीय सदस्य ने जो आरोप कांग्रेस (आई) पर लगाये हैं वह झूठे आरोप लगाये हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, यह जो झगड़ा हुआ है उसके बारे में चौधरी कुम्भाराम आर्य और दौलतराम सारण, जो संसद के सदस्य हैं, ने अपने भाषण में कहा है। सभी वहां मौजूद थे। रामेश्वर जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब के पास चाय पी रहे थे। रसगुल्ले खा रहे थे। दौलतराम सारण ने साफ-साफ कहा है। उन्होंने जो कहा है वह अखबारों में आया है। वह सभी ने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा है, भैरोंसिंह और उनकी सरकार आज से गांवों में नाक रगड़ती हुई घूमेगी। क्या कांग्रेस (आई) ने यह किया है? आप यह कहिये कि दौलतराम सारण इन्दिरा जी से मिल गये हैं, तो कोई बात समझ में आयेगी। झूठी बात रख कर आप हाउस को गुमराह कर रहे हैं। अभी आपके हरिसिंह क्या कह रहे थे। जो भी इस बात को जानते हैं वह मानते हैं कि वह सरकार के गुण्डे थे। आपके दिल में किसानों के लिये प्यार नहीं है। झूठा ही अपने को किसान कहने का दावा करते हैं। आप इस बात से बाज आ जायें। आपके दिल में किसानों के लिये तमन्ना नहीं है और कांग्रेस (आई) पर आरोप लगा रहे हैं। रामेश्वर जी, शायद आप उन बातों को भूल गये हैं। आप कितनी ही चापलूसी करें, आपको न पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी बनाने वाले हैं और न मन्त्रिमण्डल में लेने वाले हैं। मैं इस बात के लिये चैलेन्ज देता हूं कि कल मेरे दल का कोई भी व्यक्ति हो तो इसकी न्यायिक जांच करवाने के लिये तैयार हूं। आप इस बात के लिये तैयार नहीं होंगे क्योंकि आपके घर में ही आग लग रही है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी इस बात को दोहराना चाहूंगा कि यह सरकार दिशाहीन है। सरकार दिशाहीन होगी तो घर घर यही कार्य होंगे। इनको आप दूर नहीं कर सकते। यह लक्ष्यहीन सरकार है इसकी कोई दिशा नहीं हैं, यह किसानों के बारे में नहीं सोचती, किसानों पर....

(व्यवधान)

अत्याचार करने के बाद...

(व्यवधान)

आम जनता का विश्वास खोने जा रही है।

(व्यवधान)

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ...

श्री जयकृष्ण शर्मा : अगर उनकी दिक्कतों को दूर नहीं किया तो मैं विधान सभा में चैलेन्ज करता हूं कि आज किसानों को पीटा है कल वे आपको भी पीटेंगे, आपको.....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह भाषण तब तक चलते रहेंगे जब तक कि माननीय

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
मुख्य मंत्री जी, सदन के नेता स्थिति को स्पष्ट नहीं करते ।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने ग्रपनी आंखों से जो देखा है, वह बताना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : धक्के खाने वाले बोल रहे हैं।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा): ग्रध्यक्ष महोदय, मैं जब कल विधान सभा की बैठक स्थगित होने के बाद बाहर गया तो वहां पर कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे । मुझे यह बताया गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी काश्तकारों की बात सुनने के लिये नीचे ग्रा रहे हैं । कुछ काश्तकार लोग जलेब चौक के मेन दरवाजे की तरफ से ग्रन्दर ग्राने की कोशिश कर रहे थे । ग्रध्यक्ष महोदय, मैं वहां पर पहुंचा । जो सीन मैंने वहां पर ग्रपनी ग्रांखों से देखा, वह मैं बताता हूं ग्रौर जिस तरह से लाठी चार्ज हुग्रा वह मैं निवेदन करना चाहता हूं । काश्तकार लोग दरवाजे के पास थे, दरवाजा बन्द था । मुझे ऐसा बताया गया कि ग्रादेश से दरवाजा बन्द किया गया है । पुलिस उस दरवाजे पर तैनात थी । लोग वहां पर सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे । एक एडीशनल एस. पी. वहां पर तैनात था, उसने आदेश दिया कि लोगों को सीढ़ियों पर चढ़ने से रोका जाय तो पुलिस के जवानों ने पास जो छवड़ी सी थी उससे यह धक्के देने लगे । फिर न मालूम क्या भ्रान्ति हुई जिससे पुलिसमैनों ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया । मैं दौड़ करके उनके बीच में गया ग्रौर कहा कि मत मारिये । इतने में एक लाठी मेरी कमर में भी पड़ गई । इसके पश्चात्, जब काश्तकारों पर लाठी चलाई जा रही थी तो, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, काश्तकारों ने भी कुछ जवानों के डण्डे छीन लिये ग्रौर बराबर डण्डे मारना शुरू कर दिया । उससे एडीशनल एस. पी. के हाथों पर भी चोट ग्राई । तब मैं दौड़कर सदन में ग्राया ग्रौर माननीय प्रोफेसर केदारजी को सारी घटना सुनाई । मैंने कहा पण्डितजी, बुरी तरह लाठी चार्ज हो रहा है, ग्राप चलिये । तब तक स्थिति शान्त हो गई थी । उसके बाद हम लोग माननीय मुख्य मन्त्रीजी के चैम्बर में गये ग्रौर उनसे बात कर रहे थे, उस समय दनादन ग्रश्रु गैस के गोलों की ग्रावाज ग्रा रही थी । उस समय गृह मन्त्री महोदय ने भी कहा कि काश्तकार लाठियां छीनकर पुलिसमैनों पर डन्डे बरसा रहे हैं । तब माननीय सदस्य नवरंगसिंहजी ने कहा कि इस प्रकार की बातें हुई तो हम सदन से इस्तीफा दे देंगे । ऐसी बातें हमने स्वयं ग्रपनी ग्रांखों से देखी हैं । गृह मन्त्री जी ने ग्रपना स्टेटमेंट बदल दिया ग्रौर कहा कि लोगों ने मुझे कहा है ऐसा । ग्रध्यक्ष महोदय, जब हम नीचे ग्राये तो दनादन ग्रश्रु गैस के गोले चलाये जा रहे थे । मैंने जिलाधीश महोदय को निवेदन किया तो वे मेरे पर बरस पड़े ग्रौर कहने लगे कि यह प्रशासन का मामला है । ग्रध्यक्ष महोदय, विधान सभा की छत से भी पत्थर ग्रा रहे थे ग्रौर प्रदर्शनकारी भी सड़कों पर से दरवाजे पर पत्थर फेंक रहे थे, मैंने ग्रपनी ग्रांखों से देखा ।

एक माननीय सदस्य : विधान सभा की छत के ऊपर कौन थे ?

श्री हरचन्द सिंह : काश्तकार चढ़ गये होंगे। इस तरीके की घटना हुई। मैंने मेरी आंखों से देखा है, विधान सभा का दरवाजा बन्द था...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। भाभाई जी की हवेली में भी कुछ गोले गये थे। इस तरह की अवांछनीय घटना हुई, लोगों की आंखों में बुरी तरह आंसू थे, यह सीन मैंने अपनी आंखों से देखा। इसमें गलती पुलिस वालों की है, अवांछनीय तत्वों की है या प्रदर्शनकारियों की है, यह अन्दाजा लगाया जा सकता है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, क्या हम यह मानकर चलें...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया एक एक करके बोलिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल आंखों की देखी बात कह रहा हूं कि झगड़ा कब शुरू हुआ। अभी जो बताया यह सब झगड़ा होने के बाद की बात है–

(व्यवधान)

इसका क्या कारण है, वह आपके सामने रखना चाहता हूं। लाठी चार्ज क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, किसानों पर ज्यादती क्यों हुई ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया एक एक बोलें।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मैं सिर्फ 5 मिनट बोलना चाहता हूं।

विधान सभा की बैठक स्थगित होने के साथ मैं बाहर गया दरवाजे पर। जो ट्रैक्टर खड़े थे, उनमें किसान खड़े थे किसानों और पुलिस के बीच में कम से कम 150 लड़के थे। वे लड़के खराब नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि 'भैरोंसिंह हाय हाय।' 'किसान एकता जिंदाबाद' 'शिड्यूल्ड कास्टस जिंदाबाद', तरह तरह के गंदे नारे लगा रहे थे मैंने अपने कानों से सुना...

(व्यवधान)

किसानों के हाथ में कोई लाठी नहीं थी, कोई पत्थर नहीं था, लेकिन वे लड़के जो बीच में थे और अपनी मांगों के लिए नारे लगा रहे थे, उन लड़कों ने बदमाशी की और पुलिस वालों को धक्का दिया...

कई माननीय सदस्य : आप गलत कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : 30 साल तक आपने किसानों को परेशान किया है...

(व्यवधान)

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : हम लोग अपनी मांगों को लेकर गए थे, आप झूठ बोल रहे हैं...

Page No 42

(42)

श्री अध्यक्ष : बहुत आपत्तिजनक है। एक एक सदस्य बोलें।

श्री रतनलाल वर्मा : शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मेरी समझ में नहीं आता, क्या आरोप लगा रहे हैं...

श्री दुलाराम : यहां पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रजातंत्र के इतिहास में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो शासक दल के हैं, फिर क्या कहना चाहते हैं।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : बड़ा अहम मसला है। प्रजातंत्र के इतिहास में यह पहला अवसर है जब कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से विधान सभा के सामने पहुंचे। किसानों के मसले थे, अपनी मांगों को लेकर मुख्य मन्त्री को अपना मांग-पत्र देने का उनका उद्देश्य था। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से काश्तकार चले आ रहे थे, कहीं किसी किस्म की कोई गड़बड़ी नहीं थी लेकिन पुलिस ने काश्तकारों को जगह जगह रोकने का प्रयत्न किया और उत्तेजना फैलाने का भरसक प्रयत्न किया।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज तक हर वर्ग ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखीं लेकिन प्रजातंत्र के इतिहास में यह पहला मौका है कि काश्तकारों ने अपनी मांगें आपके सामने रखीं। सरकारी कर्मचारियों ने, मजदूर यूनियनों ने अपनी मांग सरकार के सामने रखीं और मनवाईं. काश्तकार 30 साल से शोषित हैं लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। 30 साल काश्तकार को दुखी किया गया, उसका शोषण किया गया। काश्तकार को आज तक 'जय जवान जय किसान' का नारा लगाकर रिलीफ न पहले की सरकार ने दिया है, न इस सरकार ने दिया है। उस शोषण से दुखी होकर अपनी वाजिब मांगों को लेकर वे विधान सभा के सामने पहुंचे। उनके प्रतिनिधि उनकी मांगों को लेकर माननीय मुख्य मंत्री से बात कर रहे थे। उनसे निवेदन किया गया था कि आप बाहर आकर किसानों से मांग-पत्र ले लें। मुख्य मंत्री ने इंकार कर दिया कि यह दस्तूर नहीं है। कल तक जब छबड़ा के अन्दर चुनाव था तो सी. एम. साहब के लिए दस्तूर था। हाथ जोड़कर घर घर जा रहे थे और कल जब वे अपनी वाजिब मांगों को लेकर यहां पहुंचे और अपने अधिकार की मांग की तब मुख्य मंत्री महोदय के लिए दस्तूर नहीं रह गया।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कल जो काश्तकारों के साथ घटना हुई, वह अशोभनीय है। सरासर ज्यादती व जुल्म किया गया है किसान पर। मैं सोचता हूं कि 7 मार्च का दिन ही ऐसा है। पहले की सरकार ने जयपुर में गोली चलाई और इस सरकार ने लाठी चलाईं। सांगरिया के अन्दर गोली चलाई, गंगानगर में गोली चलाई और जनता सरकार ने भी अश्रु गैस कल छोड़ी और लाठियां चलाईं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के जुल्म काश्तकारों को बरदाश्त के बाहर हैं। अध्यक्ष महोदय, काश्तकार अपनी मांगें लेकर विधान सभा के बाहर आता है और मुख्य मन्त्रीजी

(श्री बहादुरसिंह)

को अपना मांग-पत्र देना चाहता है तो आज किसान को इस जनता पार्टी के राज्य में यह भी हक नहीं है। मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, पुलिस के द्वारा यह कहा गया कि किसानों की भीड़ उत्तेजित थी। अध्यक्ष महोदय, किसानों की भीड़ बिलकुल ही उत्तेजित नहीं थी। अगर किसानों की भीड़ उत्तेजित होती तो हमारे भूतपूर्व गृह मन्त्रीजी केदारनाथजी शर्मा उस भीड़ में कैसे जाते? इतना ही नहीं, सिर्फ केदारनाथ ही नहीं गये थे हम लोग भी वहां पर गये थे। हमने अपनी आंखों से देखा कि काश्तकार बहुत ही शान्तिपूर्ण ढंग से वहां खड़े थे। कोई उत्तेजना वहां पर नहीं थी। काश्तकार तो अपनी मांगें मुख्य मन्त्रीजी को शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करके, देना चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज इस जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार काश्तकार का शोषण हो रहा है। अब एक किसान अगर गेहूं की खेती करना चाहता है तो राज्य सरकार 23 पैसे प्रति यूनिट से बिजली सप्लाई करती है और अगर एक करोड़पति उसी गेहूं के मैदे से बनाई जाने वाली डबल रोटी बनाना चाहे तो उसको पांच पैसे प्रति यूनिट से राज्य सरकार द्वारा बिजली दी जाती है। यह कहां का न्याय है? इसके अलावा जब काश्तकार की गेहूं की फसल तैयार होकर आती है तो गेहूं के भाव बाजार में अनायास ही कम हो जाते हैं और ज्यों ही फसल का समय समाप्त होता है त्यों ही गेहूं के भाव आसमान को छूने लगते हैं। तो इस प्रकार हर जगह काश्तकार के साथ अन्याय हो रहा है और उसका शोषण हो रहा है। आखिर, अध्यक्ष महोदय, काश्तकार कब तक इस शोषण को बर्दाश्त करता रहेगा? अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि अगर काश्तकार को पानी की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी तो सरकार उसको पानी नहीं देगी, उसे किसी प्रकार का अनुदान नहीं देगी। लेकिन अगर शहर में कोई स्वीमिंग पूल बनाना हो तो राज्य सरकार लाखों रुपये उसके लिये दे देगी। चाहे काश्तकार भूखा और प्यासा मर जावे, राज्य सरकार को उसकी कोई परवाह नहीं है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को पूछना चाहूंगा कि आखिर सरकार का यह अन्याय बेचारा काश्तकार कब तक बर्दाश्त करता रहेगा? आज अगर किसान अपने हक मांगने और अपना दुख दर्द सुनाने राज्य सरकार के पास आना चाहे तो उसको आने नहीं दिया जाता है। मुख्य मन्त्रीजी उसके मांग-पत्र को लेने को तैयार नहीं हैं। उल्टे काश्तकार पर अश्रुगैस चलाई जाती है और उस पर लाठी चार्ज किया जाता है। उस पर गोलियां चलाई जाती हैं। तो आखिर इतनी ज्यादती और जुल्म राज्य सरकार काश्तकार पर कितने दिन और ढाती जावेगी? अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह की ज्यादतियां आज काश्तकार पर हो रही हैं उस तरह की ज्यादतियां तो मेरे ख्याल में इमर्जेन्सी के समय में भी नहीं थीं। इमर्जेन्सी में जो तानाशाही चल रही थी उससे ज्यादा जुल्म और ज्यादतियां इस जनता पार्टी की तानाशाही के वक्त में चल

(श्री बहादुरसिंह)

रही हैं। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस घोर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जब-काश्तकार अपनी मांगों को लेकर अपना मांग-पत्र प्रस्तुत करने शहर में आते हैं तो उन पर यहां पुलिस द्वारा डन्डे बरसाये जाते हैं और उनके साथ पुलिस तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा मारपीट की जाती है, अश्रु गैस के गोले चलाये जाते हैं। अगर इसको बन्द नहीं किया गया तो मैं यहां पर स्पष्ट तौर से कह देना चाहता हूं कि गांव वाले भी इन पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को अपने गांवों में नहीं घुसने देंगे।

इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कल जो काश्तकारों के साथ जुल्म और अन्याय हुआ, लाठी चार्ज किया गया व अश्रु गैस छोड़ी गयी उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये तथा जिस एस.पी. के आदेशों से शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले काश्तकारों पर डन्डे बरसाये गये थे और अश्रु गैस के गोले छोड़े गये थे, जिससे कि कई काश्तकार घायल हो गये, उसको सस्पेण्ड किया जाना चाहिये और उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये।

धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। श्री राम रघुनाथ।

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, कल विधान सभा के सामने जो किसान अपनी बात कहने व मांग-पत्र देने के लिये आये थे उनके साथ पुलिस द्वारा जो बर्ताव किया गया उस घटना को सुनकर व देख कर बहुत ही दिल का दर्द होता है, शर्म आती है। अध्यक्ष महोदय, यहां इस सदन में और सदन के बाहर मुख्य मन्त्रीजी ने कई बार नहीं बल्कि बार बार यह कहा कि राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी किसान हैं किन्तु जब एक किसान के पास दूसरे किसान लोग अपनी समस्याओं को लेकर आये थे तो मुख्य मन्त्री जी ने उन किसानों का यह स्वागत किया, उनके साथ यह बर्ताव किया कि उन्होंने आये हुए किसानों पर लाठी चार्ज कर, उन पर अश्रु गैस के गोले और गोलियां चला कर उनको अपना तोहफा भेंट किया। अध्यक्ष महोदय, किसानों ने बहुत पहले ही मुख्य मन्त्रीजी को यह सूचना दे दी थी कि हम अपनी 22 मांगों को लेकर आयेंगे तथा अपनी मांगें विधान सभा के समक्ष आपको सुना कर अपना मांग-पत्र प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसान लोग अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यहां पर अपना मांग-पत्र मुख्य मन्त्रीजी को प्रस्तुत करने बहुत ही शान्तिपूर्ण ढंग से आये। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी साजिश राज्य सरकार द्वारा यह की गयी कि जो किसान लोग राज्य के कोने कोने से, जयपुर जिले से आने वाले थे उनको जयपुर शहर के बाहर ही नाकों पर रोकने की कोशिश की गयी। अध्यक्ष महोदय, किसानों के पास कोई कार वगैरह तो होती नहीं, उनके पास तो वही ट्रैक्टर, ट्रोली वगैरह होती है और उनका तो वही बैल छकड़ा है। उससे अधिक कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, किसान लोग

(श्री रामरघुनाथ)

अपने ट्रैक्टर, ट्रोलियों पर सवार होकर जब जयपुर शहर के बाहर हजारों की तादाद में आते हुए दिखायी देने लगे तो राज्य सरकार ने पुलिस से साजिश कर या मुख्य मन्त्री जी के इशारे से उन लोगों को जयपुर शहर के बाहर ही रोक दिया तथा उनको यह कह दिया कि तुम जयपुर शहर में नहीं जा सकते हो। उनके ट्रैक्टर्स वगैरह के जो रजिस्ट्रेशन के कागज पत्र थे वह भी उनसे छीन लिये गये। कई ट्रैक्टर्स को जबरदस्ती वहीं रोका गया। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो किसान लोग विधान सभा के बाहर 10-11 बजे पहुंचने वाले थे उनको 12 बजे तक जयपुर शहर में नहीं घुसने दिया गया। अध्यक्ष महोदय, कितने दुःख की बात है कि जो गरीब किसान लोग बेचारे राजस्थान के कोने कोने के गांवों से आये थे उनको शहर में ही नहीं घुसने दिया गया सिर्फ इसी साजिश के कारण कि यह जाकर अपनी समस्याओं को मुख्य मन्त्री जी को नहीं कह सकें। उन्हें विधान सभा के सामने नहीं आने देने के लिए वहीं रोक लिया गया।

अध्यक्ष महोदय, यहां राजधानी में हजारों लोग अपना जुलूस निकालते हैं, कई बार छात्र और मजदूर लोग हड़तालें करते हैं तब अपने लम्बे लम्बे जुलूस निकालते हैं पर उन्हें कभी भी राज्य सरकार ने नहीं रोका। पर गांवों से आये हुए किसानों पर राज्य सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार अपने आपको किसानों का हमदर्द बनने का दम भरती है, ने अश्रु गैस के गोले छोड़ाये और उन पर लाठी-चार्ज कराया। अध्यक्ष महोदय, इससे स्पष्ट है कि जनता पार्टी की सरकार किसानों की हमदर्द नहीं है। जो किसान लोग दूरदराज के गांवों से राजधानी में विधान सभा के सामने अपनी मांगों को लेकर मुख्य मंत्री जी से मिलने आये थे उनको शहर के बाहर अलग अलग जगह पर रोका व एक साथ नहीं आने दिया गया। किसानों को मजबूर होकर अलग अलग रास्तों से आना पड़ा, जिन किसानों से रजिस्ट्रेशन के कागज छीन लिए गये थे, वे कागज वापस लिये बिना शहर में आ गये। क्या करते, मजबूरी थी। यहां पर मुख्य मन्त्री जी को मांग-पत्र प्रस्तुत जो करना था। अध्यक्ष महोदय, इस तरह दूर दराज के गांवों से आने वाले किसानों को रोकने की यह साजिश मुख्य मंत्री जी की नहीं तो फिर किसकी हो सकती है। क्या कारण है कि उनके ट्रैक्टर, ट्रोली के रजिस्ट्रेशन के कागजात छीन लिए गए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी कहे बिना नहीं बैठूंगा।

अध्यक्ष महोदय, वह लोग रजिस्ट्रेशन व अन्य कागजों को छोड़कर यहां आ गये, कई लोग अपने ट्रैक्टर्स को छोड़कर ही यहां पहुंच गये। अध्यक्ष महोदय, किसान लोग बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने कार्यक्रम को पूरा करने यहां आ रहे थे तो बीच में कई जगह पर आर. ए. सी. के जवानों ने और पुलिस के घोड़ों ने उनको रोका। इस कारण उस जुलूस के दो टुकड़े हो गये। कुछ लोग जो चौपड़ के पीछे थे वे पीछे रह गये एवं बीच में आर. ए. सी. के, पुलिस के घोड़े और पुलिस लाठियां लिये हुए खड़ी थी। प्रथम तो उनको अलग अलग जगहों पर रोका गया तो भी वे लोग बहुत

(श्री रामरघुनाथ)

ही शांतिपूर्ण ढंग से आये, जहां थे वहीं रुके रहे फिर भी यहां पर अखबारों में आज यह छपा कि किसानों ने विधान सभा के ऊपर अलग अलग रास्तों से आक्रमण किया। कितने दुःख की बात है मुझे यह कहते हुए बहुत ही दुःख होता है कि किस तरह से राज्य सरकार झूठी खबरें अखबारों में किसानों के खिलाफ में छपवाती है। जो किसान लोग बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आ रहे थे उन्हें पुलिस के घोड़ों से, आर. ए. सी. के जवानों के माध्यम से और सिविल पुलिस के द्वारा जगह जगह रोका गया। अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और जब 80 प्रतिशत जनता में से कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के सामने आना चाहें तो राज्य सरकार उनको इकट्ठा होकर आने नहीं दे, और उन्हें अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दे और उल्टे उन पर यह लान्छन लगाये कि किसान लोग ट्रैक्टर ट्रोली में पत्थर भर कर अलग अलग रास्तों से आक्रमण करने आये, यह बहुत ही शर्म की बात है।

इसके बाद में एक घटना और घटी। जो किसान नेता उन किसानों के साथ थे उन्होंने किसानों को पुलिस के द्वारा रोकने पर अपने किसान भाइयों से यह कहा कि जो भी जहां है वह वहीं रहें और शांतिपूर्ण ढंग से खड़े रहें। आधे लोग चौपड़ के उधर और आधे इधर। जो लोग इधर थे वे लोग आकर विधान सभा के बाहर बैठ गये या खड़े रहे। किसानों को वहीं रोककर किसान नेता लोगों ने कुछ किसान नुमाइन्दों व कुछ विधायकों, जो उनके साथ थे, के द्वारा मुख्य मंत्री जी को बुलावा भेजा पर मुख्य मंत्रीजी ने आने से इन्कार कर दिया। फिर भी वह लोग शांतिपूर्ण ढंग से वहीं बैठे रहे। व अपना मांग-पत्र उन विधायकों व अपने उन नुमाइन्दों के साथ में मुख्य मंत्रीजी को प्रस्तुत करने भेज दिया। फिर भी यहां यह कहा गया कि किसान लोग उत्तेजित थे। यह गलत है क्योंकि इस दरमियान में माननीय मंत्री श्री पेदारजी दो बार नीचे गये। अगर वहां झगड़ा होता तो वह कैसे जाते? उन्होंने उन किसानों की बात को सुना और किसानों ने उनकी बात को सुना। परन्तु चूंकि भीड़ ज्यादा थी और पुलिस उनको तितर बितर करना चाहती थी इसलिये पुलिस के अधिकारियों ने उनको पीछे हटाने के लिए उन पर हल्का लाठी चार्ज करवाया। उसके बाद में जब भीड़ पर अधिक दबाव पड़ा और इधर उधर भगदड़ मची तो मुख्य द्वार बन्द कर दिया गया। बाद में खिड़की में से अश्रु गैस के गोले छोड़े गये। फिर भी जब भीड़ न हटी तो दरवाजा खोलकर उनके ऊपर लाठीचार्ज दुबारा किया गया। उस लाठी चार्ज से कई किसान लोग लहु लुहान हो गये जिसमें कई लोगों के टांके आये हैं। लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि उन घायल किसानों की किसी ने खैरियत तक नहीं पूछी। मैं मुख्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या आपने किसी भी घायल किसान की खैरियत पूछी? आप तो कल आराम से पीछे के रास्ते से भाग गये। उन दूर दराज के गांवों से आए हुए किसानों की पिटाई तो आपने कराई पर कुछ भी उनकी खैरियत नहीं पूछी। जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगें प्रस्तुत करने आये थे वे यह स्नेह का तोहफा ले बैठे। इतना ही नहीं एक बात और भी है। पुलिस के कुछ लोग विधान सभा के

(श्री रामरघुनाथ)
भवन के ऊपर आ गये और ऊपर से उन्होंने अश्रु गैस के गोले बरसाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह लोग किसको पूछ कर विधान सभा के ऊपर आये ? अध्यक्ष महोदय, अभी आपने विपक्ष के नेता महोदय को बताया था कि विधान सभा पर चढ़ने की बात मेरे सामने नहीं आई है। मैंने जानकारी प्राप्त करली है। उस समय विपक्ष के नेता श्री मदेरणा जी तो चुप रह गये थे पर, माननीय अध्यक्ष, मैं कह रहा हूं स्पष्ट तौर से कि आपको यह सूचना गलत दी गई है। वरना विधान सभा पर तो पुलिस के लोग थे तथा वहीं से अश्रु गैस के गोले चलाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद तीन बजे तक यहां पर था। मैंने खुद ने देखा कि विधान सभा के ऊपर से गोले उन गरीब काश्तकारों पर बरसाये जा रहे थे।

श्री सुरेश कुमार : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, सदन की घड़ी थोड़ी तेज दौड़ रही है। कृपया आप इसे दो घंटे पीछे करवा दीजिये।

श्री रामरघुनाथ : अध्यक्ष महोदय, ये आने वाले किसान किसी एक विशेष पार्टी के नहीं थे। किसान यूनियन किसी एक पार्टी की नहीं है। यह गैर राजनैतिक पार्टी है। कल किसान लोग आये थे। श्री कुम्भाराम जी व दौलत रामजी, जो जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी अगुवाई कर रहे थे, साथ थे। लेकिन उनके साथ आये किसान वे किसान थे जो जनता पार्टी के साथ भी हैं, कांग्रेस के साथ भी उठते बैठते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी उठते बैठते हैं। यदि किसान का किसी विशेष राजनैतिक पार्टी से ही लगाव होता तो आवश्यक नहीं कि आप यहां पर जीतकर ही आते और वह उसी पार्टी को वोट देता जिससे वह सम्बन्धित है। इस घटना से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कौन किसान का भला कर सकता है। यह भी प्रतीत हो गया कि आप किसान का कितना भला कर सकते हैं। बार बार कहते हुए शर्म आती है कि दूर दराज से आने वाला किसान कभी यह उम्मीद नहीं करता था कि आप उसके साथ इस तरह की घटना घटित करेंगे। आप अपने आपको किसान कहते हैं। यदि आप किसान होते तो यह अशोभनीय और शर्मनाक घटना नहीं घटती। आपको मालूम होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, यह सब सोचा हुआ तयशुदा प्लान था। ऐसा कौनसा जुल्म हो गया था जिसने आपको बाध्य कर दिया था कि आप उन शान्तिप्रिय किसानों पर अश्रु गैस के गोले व हवाई फायर चलायें। इतना हो जाने के बावजूद भी प्रोफेसर केदार पुनः किसानों के बीच दूसरी बार गए तथा अपनी बात अपनी ओर से व मुख्य मन्त्रीजी की ओर से कही। अगर किसान अशान्त होता, इतना हो जाने पर अगर गोली व अश्रु गैस व लाठी चार्ज को बर्दाश्त न कर लिया होता तो प्रोफेसर केदार साबुत वापस नहीं आ सकते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसान कितना शान्त था। उन लोगों के सर रंग कर जो आपने भेंट उनको दी वह सरासर अन्याय था।

श्री ग्योपतसिंह मकासर : उस भीड़ को वहां से हटाया नहीं।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ : जो किसान यहां पर आये थे, जो कि दस हजार से किसी भी प्रकार से कम संख्या में नहीं थे, उनको अलग अलग भागों में क्यों बांटा गया ? क्या, मुख्य मंत्री महोदय, आप सोचते हैं कि किसान यदि शान्तिप्रिय नहीं होता तो प्रोफेसर केदार के साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटती ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप नहीं आये तो भी सुना ।

श्री रामरघुनाथ : प्रोफेसर केदार आये तो किसानों ने इतना कुछ हो जाने पर भी उनको शान्ति से सुना और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई । प्रोफेसर केदार कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने 'मुख्य मन्त्री मुर्दाबाद' का नारा लगाया । दस हजार किसानों की रैली थी। किसान अपने कष्टों की, दुखों की आवाज को लेकर आपके पास आए थे । वे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं आये थे बल्कि राजस्थान के अन्य किसानों की आवाज भी उनके साथ थी । मुख्य मन्त्री जी, आप किसान हैं तो आपकी आवाज भी उनके साथ ही थी जो उनकी जुबान से आपको सुननी चाहिये थी । प्रोफेसर केदार ने उनके समक्ष भाषण दिया, किसानों ने उनको शान्ति से सुना और वे वापस लौट कर आ गये । इस बात का बड़ा अफसोस है कि जो भोले-भाले किसान आये उनमें से कई तो ऐसे थे जिनको शहर में आने का पहला ही मौका था, वैसे भी किसान को शहर में आने का कम अवसर मिलता है, कई लोग तो ऐसे भी थे जो एक दो बार भी नहीं आये, उन्होंने कौनसा जुल्म किया था जिसकी भेंट आपको इतनी सुन्दर लगी बड़ी ? आप पुन व्यक्तिगत रूप से जाकर उनको बताते । इसके बाद भी क्या आप सोचते हैं कि इतनी बड़ी जो घटना घटी वह राजस्थान में आगे नहीं बढ़ेगी ? इन मांगों में से 9 मांगें तो उनकी बिजली के सम्बन्ध में थीं । जिनमें से कई बातें तो आपने बजट भाषण में मान लीं । जब आपने मान ली हैं तो उनको उनके पास जाकर आपको बताने में क्या कष्ट था ? आपने अपने छबड़ा के चुनाव में कोई किसान ऐसा नहीं छोड़ा, कोई झोंपड़ी ऐसी नहीं छोड़ी जहां आप वोटों की भीख मांगने नहीं गए । तो जो किसान जयपुर जिले के आये थे अपनी उचित मांगों के साथ आये थे उनको अपनी बात कहने में आपको कौनसा कष्ट हो रहा था ?

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी और विशेष बात है जो मैं निवेदन करना चाहता हूं । मुख्य मंत्रीजी, कल जो अशोभनीय और शर्मनाक घटना घटी इससे अधिक और कोई अशोभनीय घटना किसान वर्ग के साथ राजस्थान में हो नहीं सकती । आपने किसानों के साथ में सरासर अन्याय किया है, अत्याचार किया है जैसा कि आज तक किसान के साथ कहीं नहीं हुआ । आप अच्छे शासन की दुहाई देते हैं । आप की जो गलतियां हैं वे आप चाहते हैं कि आपको कोई सुनाये नहीं, जनता अपने कष्ट आप तक पहुंचाये नहीं । आपने रेडियो में खबरें सेन्सर कर रखी हैं । आप अखबार वालों को सही खबर छापने देते नहीं । इस तरह से आपका राज चलने वाला नहीं । अगर आप में थोड़ी सी भी मानवता, मुख्य मंत्रीजी, रह गई है तो इस सदन में किसानोंके साथ हुई इस अशोभनीय घटना के लिये क्षमा मांगिये । साथ में मैं निवेदन करना

(श्री रामरघुनाथ)
चाहूंगा कि इस सम्पूर्ण घटना की न्यायिक जांच कराने की घोषणा करें तथा आज ही अपना वक्तव्य सदन में देने की कृपा करें। साथ ही विश्वास है कि आगे इस प्रकार की कोई अशोभनीय घटना नहीं होगी।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : जनता पार्टी के अखबार वाले गुलाम नहीं हैं। आज वे स्वतंत्र हैं।

एक माननीय सदस्य : बैठ जाइये आप, उनको बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : नवज्योति ने बताया है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रामरघुनाथ : एक मिनट !

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 2 बजे तक चर्चा होगी, आखिर सरकार की ओर से भी तो उत्तर आयेगा।

श्री रामरघुनाथ : जो घटना घटी है उसका उत्तर दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष : आप अपने मन की, जो कुछ हो, निकाल लीजिये लेकिन समय का भी ध्यान रखिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह।

एक माननीय सदस्य : मुझे भी समय दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कई बार मैं निवेदन कर चुका हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह।

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का सबसे कम समय लेने वालों में से हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, कल जो अशोभनीय घटना हुई, उसके लिये केवल 2 मिनट का समय लेना चाहता हूं।

कल जयपुर जिले के हजारों दुखी, पीड़ित, भूखे, नंगे किसान यहां सरकार के दरवाजे खटखटाने आये थे····

श्री मूल चन्द डागा : भूखा, नंगा राजस्थान····

श्री हजारीमल सारण : उस जगह आये जहां से सारे राजस्थान के भाग्य का निर्णय होता है। उनकी कुछ मांगें थीं, जैसे, बिजली पानी आदि की। कुछ ऐसी मांगें थीं जो मांग यदि न मांगें, सरकार के दरवाजे न

(श्री हजारीमल सारण)
खटखटायें, विधान सभा पर अपनी बात न कहने आयें तो उनका पेट नहीं भरेगा। आधा पेट तो वैसे ही खाली रहता है। जो कुछ भी अनाज उनके पेट में गिरता है वह भी नहीं गिरेगा। इसलिए वे सरकार के पास मांगों को लेकर आये।

श्री मूलचन्द डागा : निराश होकर लौटे।

श्री हजारीमल सारण : मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस बात पर सोचें कि यह वह ही किसान है जिसने इन्दिरा गांधी के जेल के सींकचों से निकाल कर आपको यहां गद्दी पर बिठाया। यह वही किसान है जो कल आपकी जय जय कार कर रहा था। यह वही किसान है जो कल माननीय केदार जी की जय बोल रहा था, जनता पार्टी की जय बोल रहा था, फूलमालाओं से आपको लाद दिया था और आपको गद्दीनशीन किया था। यह वही किसान था, मुख्य मंत्रीजी। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप किस लिए हैं फिर ? वे आपके पास सोना मांगने के लिए नहीं आये। बिजली, पानी और राहत के लिये आपके पास आये थे। लेकिन एक एतराज तो मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति है और वह इस बात का है कि आपने कांग्रेस की परम्पराओं को निभाया है। आप हमारे नेता हैं, जनता पार्टी के मुख्य मंत्री हैं। कांग्रेस सरकार की परम्परा रही है कि लोग यहां प्रदर्शन करने के लिए आयें, चाहे दस लाख लोग आयें, मर जायें, लेकिन मुख्य मंत्री उनसे नहीं मिल पायें। यह परम्परा कांग्रेस सरकार की थी। वह तो आपकी भी जय बोलने आये थे। यदि आपका भी पदार्पण वहां होता तो आपकी भी वह जयघोष करते लेकिन मुझे अफसोस है कि आप अपनी जय बुलवाने के लिए भी किसानों के सामने नहीं आये। वह जयपुर जिले के किसान थे जिनकी आप को मुझ से कहीं अधिक जानकारी है। आप नीचे नहीं आये और उसी सिलसिले में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने जनता पार्टी के 8 महीने के शासन काल में प्रथम बार कांग्रेस के इतिहास को दोहराते देखा और पुलिस और नौकरशाही का नंगा नृत्य देखा। मेरे पास इसके उदाहरण हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करेंगे मैं आपकी घोषणा को कान्ट्रेडिक्ट करूंगा, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जो बात मैंने अपनी आंखों से देखी और जिसका मैं आई विटनेस हूं उसको कहे बिना सदन में नहीं रह सकता। इस विधान सभा भवन के ऊपर की छत से गैस के गोले बरसाते हुए मैंने अपनी आंखों से पुलिस वालों को देखा है। मैं पुलिस की इस ज्यादती को बहुत अन्यायपूर्ण समझता हूं। मुझे इस प्रकार की घटना आज तक देखने को नहीं मिली। आई. जी. श्री गणेश सिंह जी, जयपुर के सुपरिन्टेंडेण्ट पुलिस मिस्टर राठौड़ ने कल वीभत्स काण्ड किया। मैं सारा चार्ज इनके ऊपर लगाता हूं, मैं उनको आरोपित करता हूं कि इन्होंने चाहे बीच में विद्यार्थी हों, चाहे जैसा चौमू के माननीय सदस्य श्री रामेश्वर दयाल जी ने कहा कि उसमें कुछ अवांछनीय तत्व रहे हों, मुझे मालूम नहीं लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि पुलिस ने जानबूझ कर अपनी पुरानी बातों को संजो कर फिर इस प्रकार का सारा काण्ड दोहराया।

(श्री हजारीमल सारण)

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, यह वही गणेश सिंह जी आई. जी. हैं, यह वही सुपरिन्टेन्डेन्ट, पुलिस मिस्टर राठोड़ हैं, यह वही पुलिस के अधिकारी हैं जिन्होंने इन्दिरा गांधी के इशारों पर लोगों की हत्यायें कराई थीं; निर्दोष लोगों को जेलों में डाल दिया था और इमर्जेन्सी के दौरान देश को बरबाद कर दिया था। यह वही पुलिस के अधिकारी हैं, मुख्य मंत्री जी, यह आज क्या नहीं कर सकते? इनको मौका मिलना चाहिये, यह कभी नहीं चूक सकते।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि शाम को 4 बजे किसान यूनियन की सभा हो रही थी। मैं अपने स्वभाव से ऐसा नागरिक हूं जो हुल्लड़बाजी के कामों में शामिल नहीं होता। मुझे 19 महीने मीसा में डिटेन किया गया मेरी फाइल आपके सामने है, मेरे खिलाफ एक भी आरोप नहीं पायेंगे। कभी उग्र जलसों में, जुलूसों में, कोई गड़बड़ी में शामिल नहीं होता। यह मेरा प्रमाण है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मैं विधान सभा के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। 4 बजे भाषण सुन रहा था। आई. जी. गणेश सिंह और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस मिस्टर राठोड़ ने वहां आकर कहा, भाषण सुनिये। मैंने कहा कि मेरे इधर खड़े होने से कोई आपत्ति है क्या? मैंने कहा कि मैं विधान सभा का सदस्य हूं। उन्होंने कहा कि हमें किसी सदस्य का पता नहीं, हमसे बकवास मत कीजिये। मैंने कभी आज तक इस प्रकार की जलालत वाली बात नहीं सुनी। श्री दौलतराम सारण जैसे गांधीवादी व शान्ति प्रिय व्यक्ति के साथ इस प्रकार का मिस्टर राठोड़ दुर्व्यवहार करें, और पुलिस द्वारा सांसद श्री सारण को इंगित करके अश्रु गैस के गोले छोड़े गये जिससे उनकी बेहोशी की हालत हो गयी, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिये। हमारी जनता सरकार के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है, हम कांग्रेस के चरित्र को नहीं दोहराना चाहते हैं। यदि इसको आप दोहरायेंगे तो जो इधर बैठे हुए हैं यह सारी पंक्ति इधर आ जायेगी। यदि इस प्रकार की कार्यवाही चलती रही तो जनता पार्टी के हक में नहीं होगा। देश में कहीं तानाशाही वापस न आ जाये इस भय से मैं यह सलाह देना चाहूंगा कि कल जो दुर्घटना पुलिस के अधिकारियों ने जानबूझकर की है इसकी न्यायिक जांच करायें। चाहे किसी ने भी कार्यवाही क्यों न की हो उन्हें दण्डित किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह !

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) : माननीय अध्यक्ष जी, कल 6 तारीख को विधान सभा के बाहर किसानों के और कुछ हरिजन छात्रों के प्रदर्शन पर जिस प्रकार से हवाई गोलियां, लाठी और अश्रु गैस का प्रयोग किया गया मैं समझती हूं कि इस सरकार के लिए न केवल यह अशोभनीय है बल्कि निन्दनीय भी है और लोकतन्त्र के नाम पर एक कलंक है। वैसे तो जनता सरकार के मुख्य मंत्री जी को नेक सलाह देना विरोधी दल की सदस्या होने के नाते मेरा धर्म नहीं है लेकिन फिर भी मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि मुझे कई बातों के ऊपर बड़ा आश्चर्य हुआ

(52)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

है। 30 साल की इस लोकशाही में राजस्थान विधान सभा की स्थापना के बाद कई बार ऐसे मौके आये हैं कि जब संविधान में प्रदत्त अधिकारों के मुताबिक जनता के कई संगठन विधान सभा के बाहर आते रहे हैं और अपना प्रदर्शन करते रहे हैं। संविधान में सबको यह अधिकार है। हम जब वहां बैठते थे, मेरा मतलब कांग्रेस वहां बैठती थी तब, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि प्रदर्शन कराने का काम, लोगों को यहां पर लाने का काम विरोधी दल के लोग, जिनमें आप खास तौर से होते थे, किया करते थे लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने इस प्रकार नृशंस रूप से या बर्बर रूप से प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज और गोलियां नहीं चलाई।

एक माननीय सदस्य : तब तो गोली काण्ड भी हुआ ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो गोली काण्ड की बात करते हैं उसके बारे में भी निवेदन करना चाहती हूं कि उसके पीछे तो कोई उद्देश्य था। विरोधी दल की कोई पार्टी का जब प्रदर्शन होता है उसके ऊपर वह पार्टी संवेदनशील न हो वह अलग बात है लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जैसा कि बोलने वाले लोग कह रहे थे, मैं तो मानती हूं कि किसानों का यह संगठन कोई पार्टी नहीं थी बल्कि किसान सामूहिक रूप से अपनी बात के लिए, अपने कष्टों के निवारण के लिए यहां पर प्रदर्शन करने के लिए आये थे, लेकिन सबसे अधिक दुःख की बात तो यह है कि आप ही के लोग तो यह प्रदर्शन कर रहे थे, आपकी ही पार्टी जिसकी सरकार है वही उनके ऊपर इस प्रकार से हवाई फायर करे, लाठी चार्ज करे, अश्रु-गैस का प्रयोग करे अपने ही सांसदों पर, अपने ही नेताओं पर, अपने ही कार्य-कर्ताओं पर और विधायकों पर यह आश्चर्य की बात भी है, और शर्म की बात भी है। माननीय नेता महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि यह लोकतन्त्र की स्वस्थ परम्परा नहीं है। जब कभी इस प्रकार के प्रदर्शन हों, किसी की भी जल्दबाजी से या किसी के भी एक्शन से ऐसा काम हो जाता है तो आप तो किसान हैं, आपने तो स्वयं इस बात का दावा किया है कि आप किसान हैं, आपके मंत्रि-मंडल में ज्यादा संख्या में लोग किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो यदि इस प्रकार की बात हो गयी थी, कोई अप्रिय घटना हो गयी थी तो उसके लिए आप माफी मांगते या संवेदना प्रकट करते तो आप कोई छोटे नहीं होते हैं। गलतियां सबसे होती हैं। काम करने वाले से ही गलती होगी। लेकिन यह परम्परा आपने डाल दी, इस प्रकार के प्रदर्शन पर लाठी चार्ज किया जाये, अश्रु गैस का प्रयोग किया जाये और फिर इस घटना की गम्भीरता को कम करने अथवा भ्रांति पैदा करने के लिए आप ही की पार्टी के लोग यहां सदन में कुछ नये तथ्य रखकर गोली काण्ड को जस्टिफाई करें तो मैं समझती हूं कि यह लोकतन्त्र के लिए स्वस्थ्य परम्परा नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सम्मुख एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा करना चाहती हूं। पहले आसन ने इस प्रकार की व्यवस्था दी थी की उन्हें मालूम नहीं है कि विधान सभा की छत से और उसके परिसर से किसी प्रकार के कोई अश्रु गैस के गोले छोड़े गये

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

या पत्थर फेंके गये। लेकिन माननीय सदस्य, जो कि चश्मदीद गवाह थे, जब वह बात कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से यह बात देखी है तो प्रश्न यह खड़ा होता है, विधान सभा के इस परिसर में आपकी बिना इजाजत के कुछ लोग पहुंचे और यह सब कुछ किया। यह वैधानिक प्रश्न है और सदन के विशेषाधिकार हनन का इश्यू बनता है। इसके ऊपर सदन को विचार करना होगा कि यह सब कैसे हुआ? इसके लिये प्रशासन को दोषी माना जा सकता है। किस हैसियत से विधान सभा की छत से पत्थरों को फेंका गया, यह विचारणीय प्रश्न है। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करती हूं कि इस बात को बार-बार कहा गया है कि विधान सभा में घुसने का प्रयत्न किया गया। विधान सभा की बैठक तो खतम हो गई थी। विधान सभा में घुसने का उद्देश्य क्या था? विधान सभा की बैठक 12॥ खतम हो गई थी, यह सब काण्ड उसके बाद हुआ है। इसलिये यह बात समझ में नहीं आती, यह कैसे हुआ। तो, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपसे यही निवेदन करती हूं कि आखिर इस प्रकार के किसानों की यूनियन जब प्रदर्शन के लिये यहां पर आये, तो प्रदर्शन करने का उनका अधिकार है। एक बात ही कह कर आपने पीछा छुड़ा लिया कि दस्तूर नहीं है। जनता पार्टी ने बड़े बड़े दस्तूर तोड़ दिये। दस्तूरों की परिधि को कब तक मानते रहेंगे? क्या बड़ी बात हो जाती, कौन सा कहर ढा जाता? जनता के कारण आप मुख्य मंत्री हैं, जनता ने चुनकर भेजा है, आप किसानों के पास आ जाते, उनकी मांगों के बारे में जवाब देते, कुछ मान लेते बाकी के बारे में आप आश्वासन देते और कुछ मांगों के लिए मजबूरी जाहिर कर सकते थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस अप्रिय घटना को, मुख्य मंत्री जी, रोका नहीं गया, जो कुछ हुआ है उसका हमें बड़ा अफसोस है। दस्तूरों के घेरे को मुख्य मंत्रीजी तोड़ दें और जनता के दर्द को समझने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : काफी चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्य। विपक्ष के नेता बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अब बहुत हो गया, बहुत चर्चा हो गई। कृपया आसन को सहयोग दें, स्थान ग्रहण करें। इस पक्ष के सदस्य महोदयों से मेरा अनुरोध है कि कृपया शांति रखें, सदन की परम्पराओं को समझें।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : मेरी भावनाओं को प्रकट करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : मेरी बात बीच में ही रह गई है।

श्री शिवचरण सिंह : हिन्दुस्तान की हिस्ट्री में यह पहला मौका था। कांग्रेस के जाने के बाद उसी ढंग को प्रवृत्तियां हुईं चाहे वे चरणसिंह ने शुरू की हों, चाहे राजस्थान की जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू की हों। किसानों के अन्दर जागृति पैदा हुई है। सारी सरकारें आईं और गईं सबने

(श्री शिवचरणसिंह)

किसानों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। सबने किसानों के लिये किया, यह इतिहास बताता है। जब किसान विधान सभा के सामने आये, यूनियन का कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनके बीच में गया। मैंने उनको मुबारकबाद दी कि आपने एक संगठन बनाया है इसकी नितांत आवश्यकता थी। मुझे आशा थी कि मुख्य मंत्री जी घोषणा करेंगे। जिस प्रकार दूसरी यूनियन्स बनती हैं उनको मान्यता प्रदान की जाती है उसी प्रकार किसानों की यूनियन को मान्यता प्रदान की जायेगी। उसके बारे में कुछ घोषणा करेंगे····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट लूंगा। और कोई बात नहीं कहता, सुझाव की बात चाहता हूं। किसानों के हित की बात है, यह आप भी मानते हैं।

तो, माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरी धारणा थी कि आज किसानों के बारे में सरकार कुछ घोषणा करेगी। किसानों की जो 22 मांगें थीं वे ऐसी मांगें थीं जिनके बारे में सरकार को कुछ विचार करना चाहिये था। बड़ा अच्छा होता, मुख्य मंत्री जी घोषणा करते कि इन सारी बातों को मानते हैं। कोई राजनीति की बात नहीं है। यह किसानों के हितों की बात है। दरअसल किसान सब के बीच में है। किसानों की सब को फिक्र करनी चाहिये। चाहे सरकार के पक्ष के लोगों के इशारे का प्रश्न हो, चाहे प्रशासन की ढिलाई का प्रश्न हो, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। जो कुछ घटना घटी, उसके लिये खेद प्रकट करना चाहता हूं। किसानों का यह पहला प्रदर्शन था। यही प्रतिनिधित्व है किसानों का।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं इस सदन के अन्दर कि यह जात-पांत का नारा है, यह खतरनाक है। इस बात को हाइलाइट करते हैं, राजपूत और जाट, इन दो जातियों के नाम लिये जाते हैं। मुख्य मंत्री जी ने गलती की है। इन्होंने नहीं सोचा, मंत्रि-मण्डल का गठन किस प्रकार से हो? किसानों का नाम आता है तो दूसरी बात करते हैं। पिछले 30 सालों के इतिहास में जो कुछ घटना घटती रही हैं। लेकिन आज भी राजपूत किसान हैं, जाट किसान हैं, गूजर किसान हैं, सारे लोग किसान हैं और सारे किसानों का यह प्रदर्शन था।···

एक माननीय सदस्य : हरिजन भाई भी थे।

श्री शिवचरणसिंह : वे पिछड़े हुए हैं, आप उनको एक्सप्लाइट कर रहे हैं। भूखा मरने के लिये मजबूर कर रहे हैं।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को कि जात-पांत का वातावरण न बनायें। इस राजस्थान का जात-पांत के नाम पर बंटवारा न करें। आज पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भर्ती होती है तो वह जाति के आधार पर हो, मंत्रि-मण्डल में जाति के आधार पर सिफारिश हो, यह कतई उचित नहीं है। यदि, मुख्य मंत्री महोदय, आपने इस चीज को नहीं तोड़ा तो आपका वही हाल होगा जो पुराने लोगों का हुआ है। आप सदन के नेता हैं, इस सारी व्यवस्था को मानना चाहिये और··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बहुत चर्चा हो गई, स्थान ग्रहण करें।

श्री शिव चरण सिंह : माननीय सदन के नेता खेद प्रकट करें, क्योंकि ये किसानों के नेता हैं। अगर किसानों के साथ इस प्रकार की घटना घटे तो खेद की बात है। नेता महोदय इसका खेद प्रकट करें, क्योंकि हाउस के दरवाजे पर उनकी बेइज्जती हुई है। जनता पार्टी की ज्यादा बेइज्जती है, क्योंकि वे बुलाकर लाये थे। अगर आप खेद प्रकट नहीं करेंगे तो वे आपसे जवाब तलब करेंगे और आप पर चार्जेज लगायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं उठा सकते हैं, माननीय सदस्य !

श्री दूला राम (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का मसला है और मैं नहीं बोलूं, यह नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन है यह भी परम्परा का सवाल है···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कल की घटना को हमने आंखों से देखा है··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत चर्चा हो गई है। अब स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

अगर आप दो मिनट बोलना चाहें तो मैं आभारी होऊंगा अन्यथा मुझे मजबूर होकर कार्यवाही करनी होगी। अगर आप क्षुब्ध भी हों तो मुझे परवाह नहीं है। सदन की परम्परा के अनुसार चलना चाहिये। I will be now very firm, अब चर्चा बहुत हो गई है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ! माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें !

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक किसान सभा का जुलूस इस विधान सभा के सामने आया और उससे पहले···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम स्थगन प्रस्ताव में नहीं है।

(व्यवधान)

दो मिनट।

श्री रामनारायण चौधरी : किसानों के साथ अत्याचार हुआ है। माननीय सदस्य का एडजोर्नमेंट मोशन है। उसको आपने स्वीकार किया है इसलिये पांच मिनट बोलने दीजिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उनको समय दे दिया और वे लीडर हो गये··

(व्यवधान)

(श्री बजरंग लाल शर्मा)
मुझे दो मिनट का समय तो कम से कम दिया जाना चाहिये ।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समय मिलना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है समय मिल चुका है । मुझे बोलने दें ।

(व्यवधान)

कल 6 तारीख को किसान यूनियन की ओर से किसान एक जुलूस बना कर यहां प्रदर्शन करने आये थे । उसमें सबसे ज्यादा हरिजन थे···

(व्यवधान)

वे विधान सभा के समक्ष अपनी मांगों के लिये प्रदर्शन कर रहे थे । अपनी मांगें राज्य सरकार से मनवाने के लिये शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव मैंने स्वीकार करने से असमर्थता प्रकट की है । आप केवल दो मिनट चर्चा कर सकते हैं लेकिन संक्षेप में ।

(व्यवधान)

श्री दूला राम : हरिजन छात्र जो हैं वे किसानों के ट्रैक्टरों के बीच में आ गये । जब अश्रु गैस छोड़ी तो हरिजनों पर ज्यादा छोड़ी गई । किसानों के ट्रैक्टरों के बीच में वे आ गये । सबसे ज्यादा अश्रु गैस की मार हरिजनों पर पड़ी । अध्यक्ष महोदय, यहां पर हमेशा हरिजनों का नाम लिया जाता है और उन्हीं पर अत्याचार किया जाता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन लोगों का क्या होगा जिनके सिर फूट गये, जिनके पैर टूट गये, जिनकी अंगुली कट गयी, जिनके हाथ कट गये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है इस राज्य सरकार के गृह मंत्री जी हरिजन हैं । लेकिन फिर भी हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं । मैं आपको बीकानेर की घटना सुनाता हूं । बीकानेर में एक···

(व्यवधान)

बाबा महन्त दास की मूर्ति लगी हुई थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके ऐनक को लाठी से तोड़ दिया । वे राष्ट्र के एक महान् नेता थे । वे हरिजनों के ही नहीं सम्पूर्ण समाज के नेता थे और सबसे सम्बन्ध रखने वाले थे । उसकी जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो पुलिस ने रपट दर्ज नहीं की···

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह बिलकुल गलत बात है । अध्यक्ष महोदय, मेरे घर के सामने मूर्ति लगी हुई है । आज नहीं उसका चश्मा एक साल से गायब है । किसी ने उस मूर्ति के हाथ नहीं लगाया है ।

श्री दूला राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बीच में बोलने का ठेका ले लिया है क्या ?

(श्री दूलाराम)

अध्यक्ष महोदय, वहां के लोग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गये और माननीय सदस्य कह रहे हैं एक साल पहले चश्मा टूटा है। मेरा निवेदन है वह एक साल पहले नहीं अभी टूटा है। मुझे शक है कि असामाजिक तत्वों ने उसका चश्मा तोड़ा है···

(व्यवधान)

तो मेरा निवेदन है, यह एक हरिजन नेता का प्रश्न है, एक राष्ट्र के नेता का प्रश्न है इसलिये गृह मंत्री जी उस घटना की जानकारी करने की कोशिश करें।

अब रहा हरिजन छात्रों पर लाठी चार्ज करने का प्रश्न, तो विधान सभा के सामने वे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। माननीय गृह मंत्री जी यहां थे लेकिन उन्होंने लाठी चार्ज रोकने का किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया। मुझे दुःख है, किसानों के लाठी पड़ी और जो बीच में हरिजन छात्र थे, उन पर ज्यादा लाठी पड़ी। जुलूस के बीच में हरिजनों पर, अध्यक्ष महोदय, लाठियां ज्यादा पड़ी हैं··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब स्थान ग्रहण करें।

श्री दूलाराम : शान्तिपूर्ण तरीके से वे अपना प्रदर्शन कर रहे थे, शांत तत्वों द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि कोई माननीय सदस्य इस प्रकार से झूठी बातें कह कर हरिजनों को बदनाम नहीं कर सकते···

श्री रतनलाल वर्मा : मैं खुद वहां पर मौजूद था।

श्री दूलाराम : हरिजनों को बदनाम करना चाहते हैं···

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : गन्दे गन्दे नारे लगा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं स्वयं मौजूद था।

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : मेरे कहने का मतलब यह है कि हरिजनों को बदनाम नहीं किया जाय। माननीय सदस्य रतनलालजी पर शायद लट्ठ नहीं पड़ा है इसलिए इतने जोर शोर से कह रहे हैं। वे न तो जनता पार्टी के हैं, न कांग्रेस के हैं, न दूसरी कांग्रेस के हैं, न सी. पी. एम. के हैं, न सी. पी. आई. के हैं, और न ही किसी दूसरी पार्टी के हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही निवेदन है कि हरिजन छात्रों की मांगें मानी जाय। उन पर जो अत्याचार हुए हैं, एक हरिजन गृह मंत्री के होते हुए, इसलिये दोषी व्यक्तियों को निश्चित रूप से दण्ड मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त, 1977 के रोज मोरार जी भाई ने अपने भाषण में कहा था कि लोकतंत्र में जनता की सरकार सर्वोपरि होती है। अब हम जनता को हुक्म नहीं देंगे, जनता हमें हुक्म देगी। यदि हम कसूर करेंगे तो जनता हमारे कान खेंचेगी। जनता की कान

(श्री मूलचन्द डागा)

खींचने का अधिकार है। जनता पार्टी की यह थोथी और आकर्षक घोषणाओं का कल हमने नमूना देख लिया। मैंने इस मांग-पत्र को जब, श्रीमान, कल यहां आया, बजट भाषण यहां पर हुआ उसके पहले मैंने टेबल पर देख लिया था। उसमें लिखा हुआ था, राजस्थान किसान यूनियन के अधिवेशन के अन्दर पारित प्रस्तावों पर मांग-पत्र, जो किसानों की समस्यायें हैं वे आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थीं। समय की कमी है इसलिए अधिक नहीं कह कर मुझे तो इस सरकार पर एक लांछन लगाना है, दोष लगाना है है और वह यह है कि यह अनिर्णय की सरकार है। यह सरकार निर्णय लेना नहीं जानती। जब मांग-पत्र पहले दे दिया गया, किसानों की यूनियन बन चुकी थी, उसने अपनी मांगें रखीं, उन्होंने अपनी आवाज को बुलन्द किया, अपनी बात को कहा लेकिन यह सरकार उनकी मांगों पर निर्णय नहीं ले सकी, उसका यह परिणाम हुआ। जब दरवाजे पर आए, दरवाजे के पास आए, जिस प्रकार सरदार हरचन्दसिंह ने कहा, पुलिस ने उनके लिए न्याय के दरवाजे खोलने के बदले बन्द कर दिए। जब जनता पार्टी की सरकार अपने आपको जनता सरकार मानती है और कहती है कि हम तो लोगों के बीच में जायेंगे, हमें पुलिस की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, हम तो खुले दरवाजे लोगों से गले मिलेंगे, वही जनता पार्टी की सरकार, उसी जनता पार्टी की सरकार के मिनिस्टर आपके इस पवित्र प्रांगण में बैठे रहे और पुलिस के लोग आपके मकान की छत पर चढ़ गये श्रीमान अध्यक्ष महोदय की इच्छा के बिना ही। श्रीमान को मालूम नहीं हुआ जब कि सफेद कपड़े पहने हुए आपका मार्शल है और इतनी बड़ी फौज है आपकी। इसमें हमारी विधान सभा का बहुत अपमान हुआ है, पुलिस ने हाउस का अपमान किया है, श्रीमान। श्रीमान को कमेटी के द्वारा इस बात की जांच करानी चाहिए कि क्या हमारे संविधान के इस पवित्र मन्दिर में पुलिस को आने का अधिकार था? आने का समय भी कौनसा? जब सदन के महान नेता यहां पर मौजूद थे और आप मौजूद थे? बहुत बड़ा आपके सामने प्रश्न है, श्रीमान। प्रोफेसर केदार अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण नीचे चले गये लोगों के बीच में। लोगों के नेता के नाते लोगों के बीच में चले गए और उनसे बात की। शेखावत साहब, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन एक बात बताता हूं, बहुत बड़ी बात है, कल ही एक आर्टिकल आया था। मैंने उसको पढ़ा था, उसमें लिखा है:

"Election time is a season when politicians have to be polite, when even if only for a brief spell, the vain become humbl , the weak important and the bored come to life."

चुनाव आता है तब राजनीतिज्ञ बड़ा विनम्र हो जाता है, चुनाव निकल जाता है तो सत्ता के मद के अन्दर ऊपर उठ जाता है। श्रीमान, जब आप से हम प्रार्थना करते हैं तो एक दफा इन्कार करने के बाद भी समय दे देते हैं, फिर मुस्करा कर शांत कर देते हैं। लेकिन आपको भी मालूम होगा कि यहां पर किस प्रकार की आवाजें हो

(श्री मूलचन्द डागा)

रही थीं धड़ल्ले से सैल ब स रहे थे। तो भैरोंसिहजी को सबसे पहले जाना चाहिए था और सबसे पहले उस सैल का शिकार उनको बनना चाहिए था। राजस्थान का मुख्य मन्त्री और जनता का नेता बनने वाले को जनता के बीच में जाकर खड़ा होना था। इससे जनता शांत हो जाती। उनकी बातें सुन लेते, समस्या का निराकरण हो जाता। उनकी जो समस्यायें हैं उन पर यह सरकार कोई भी निर्णय ले नहीं पाती। न आपका विद्युत मन्त्री निर्णय ले पाता है न कोई और मन्त्री। यह तो केन्द्रीयकरण कर दिया है शासन का। यह सारा शासन एक के हाथ में हो गया। विकेन्द्रीकरण की दुहाई देने वाली सरकार के मुख्य मन्त्री बिजली का काम देखेंगे, गृह मन्त्री का काम भी वह देखेंगे गृह मन्त्री होते हुए। सारा काम अपने हाथ में लेने के कारण शासन ठीक नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : धन्य हो।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा है, भगत तो मेरे पैदा हुए। उस समय तक जिन्दा रहो जब तक मैं हूं।

तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके कारण क्या थे? उन्होंने अपनी मांगें रखीं, ट्रैक्टर और ट्राली कर की मांग रखी, बिजली की मांग रखी। जब बात कर रहे थे, डाक्टर साहब बात कर रहे थे, मुख्य मंत्रीजी के कान में बात कर रहे थे तब मुख्य मंत्रीजी कृपा करके नीचे चले जाते। लोगों से बात कर लेते तो लोग पिघल जाते लेकिन आप हमें दोष देते हो। इंसाफ सरकार नहीं करती, अपनी गलतियों को कबूल नहीं करती और अपने पापों को छुपाने के लिए हमको दोष देती हैं। हम नहीं कहते, आपके खुद के लोग कहते हैं। हमारे पर गलत आरोप लगाते हो। दोष आप करो, आपके लोग बयान दें और अपने पापों को छुपाने के लिए हम पर दोष लगाते हो। इंसान गलती करता है, गलती इंसान से होती है लेकिन गलती का समर्थन करने वाला शैतान होता है। गलती का समर्थन करना शैतान का काम होता है। आप शैतान नहीं हैं। आपसे गलती हुई है, आप कबूल करिए। गलती इंसान से होती है लेकिन आप गलती का समर्थन करें और गलती को चुनौती दें, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करवाई जाय। हम यह भी चाहते हैं कि यह अनिर्णय की सरकार निर्णय

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेना सीख जाय। किसानों की बात सुन लीजिए, सुन कर निर्णय दे दीजिए और सदन के सामने अपना स्टेटमेंट दीजिए।

श्री रामेश्वर (जमुवारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत एक मिनट के लिए निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको एक मिनट भी नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है

Page No 60

(60)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट . . .

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव है ?

श्री रामेश्वर (जमुवारामगढ़) : मैं एक मिनट में निवेदन कर देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपा करके स्थान ग्रहण करें । मैं इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री रामेश्वर : एक मिनट, श्रीमान !

श्री बंजरगलाल शर्मा : श्रीमान, मैं सिर्फ दो मिनट का टाइम चाहता हूं ।

मेजर श्री फतहसिंह : I promise I will take two minutes.

श्री रामेश्वर (जमुवारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय: मैं आपको सारी स्थिति एक मिनट में बता देना चाहता हूं ।

जमुवारामगढ़ में एक शीतला माता का मंदिर है वहां पर एक मीटिंग रखी गई थी । उसकी हमारे भूतपूर्व प्रधान कांग्रेस के श्री भैरुलाल भारद्वाज ने अध्यक्षता की । उस मंदिर में एक गुप्त मीटिंग हुई थी । उस मीटिंग में जमुवारामगढ़ में जो अपोजीशन के कार्यकर्ता हैं वे सब पधारे थे । माननीय कुम्भारामजी चौधरी भी पधारे थे । वहां पर इस चक्रव्यूह की रचना की । उस मंदिर में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये सारे निर्णय ले लिए थे कि यहां पर क्या क्या करना है । वह गुप्त मीटिंग मदिर में हुई थी और उसके अन्दर यह तय हुआ कि मय लाठी और पत्थर के साथ जाओ, मैंने यह प्रत्यक्ष भी देखा है . . .

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महज इत्तफाक की बात है कि कल उस जुलूस, जिसे किसान आंदोलन के नाम से कहा गया, को देखने की मैं भी एक आंखों देखी गवाह हूं ।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में आते समय रास्ते में गुजरते हुए उस जुलूस को मैंने एक तरफ खड़े होकर देखा जिसमें ट्रैक्टर और ट्रोलियों के थोड़े थोड़े फासले पर बैनर लगे हुए थे । उन बैनर्स पर कहीं फुलेरा तहसील, तो कहीं सांगानेर तहसील और कहीं आमेर तहसील आदि आदि लिखा था ।

अध्यक्ष महोदय, आमेर तहसील का नाम देख कर मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ । मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उन ट्रैक्टर्स और ट्रोलियों में आमेर तहसील का कोई किसान नहीं था । निश्चित रूप से उनमें असामाजिक तत्व थे । अध्यक्ष महोदय, असामाजिक तत्व शब्द मैं इसलिये इस्तेमाल कर रही हूं कि उन व्यक्तियों ने ट्रैक्टर और ट्रोलियों में पत्थर भी रखे हुए थे ।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी तैयारी के साथ आकर विधान सभा के नीचे सरकार विरोधी अशोभनीय नारे लगाना और बिला वजह पुलिस पर पथराव करना जाहिर करता है कि कल हुई अपने बचाव में जवाबी कार्यवाही और अश्रु गैस के लिये उन्होंने स्वयं पुलिस को उकसाया । अतः कल की हुई

(सुश्री पुष्पा जैन)
दुर्घटना के लिये वे स्वयं जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री और मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे कल हुई घटना की जांच आवश्य करवायें और दण्ड जरूर दें लेकिन उन समाज विरोधी लोगों को जो वास्तव में कल पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही के लिये जिम्मेदार हैं।

डा. हरिसिंह : यह गलत है। अगर ट्रैक्टर में एक भी पत्थर और लाठी की बात सही हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं अन्यथा माननीय सदस्या इस्तीफा दें।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह गलत है...

श्री राम रघुनाथ : अध्यक्ष महोदय, यह कितने आश्चर्य की बात है कि माननीय सदस्या पुष्पा जैन यह कह रही है कि कल की रैली ही नहीं थी। माननीय मंत्री सूर्य नारायण जी चौधरी मेज थपथपाकर उसकी ताईद करना चाहते हैं, यह कितने आश्चर्य और शर्म की बात है कि एक इतना जिम्मेदार मंत्री किसानों के विषय में इतनी हलकी हरकत करे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको यह सब पता था तो मुख्य मंत्री महोदय को बता देना चाहिए था। इससे यह जो घटना कल घटी है, वह नहीं घटती।

मेजर श्री फतहसिंह : मैं सिर्फ दो मिनट लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आसन को सहयोग दीजिए।

मेजर श्री फतहसिंह : दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान गांवों में बसता है। कल किसान यूनियन के प्रदर्शन को देखने से यह मालूम हुआ कि मानो जयपुर गांव बन गया है। किसान अपनी मांगों को लेकर आए थे। मेरे दृष्टिकोण में उनकी मांगे उचित थीं लेकिन मांगें स्वीकार की जायं या नहीं की जायं, यह वित्तीय प्रश्न है। इसका उत्तर तो मुख्य मंत्री और सरकार ही दे सकती है। श्रीमान, जब से राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद में कई कन्वेन्शन टूटे हैं। सबसे बड़ा कन्वेन्शन तो उस वक्त टूटा था, जब मुख्य मन्त्री महोदय ने शपथ ली। चार दीवारी के उस माहोल में इने गिने लोगों को नहीं बुलाया गया बल्कि आम जनता वहां गई और सब के सामने शपथ ली। दूसरी बात यह है कि जनता सरकार के बनने के बाद मंत्रियों के दरवाजे सब के लिए खुल गए जो पहले नहीं खुले हुए थे। यह कन्वेन्शन भी टूटा था। अब प्रश्न यह आता है कि जो प्रदर्शनकारी आए, उनसे मुख्य मन्त्री मिलें या नहीं मिलें। मैं समझता हूं कि कई प्रदर्शन हुए, 7–8 महीनों में। कई लोग जुलूस निकाल कर यहां पर आये। उनके प्रतिनिधि मुख्य मंत्री महोदय से मिले होंगे। मेरी जानकारी में नहीं है। कांग्रेस के जमाने का यह कन्वेन्शन अगर फिर टूटता तो जनता सरकार और जनता के लिए यह एक उचित बात होती। मुख्य मंत्री महोदय जाकर प्रदर्शनकारियों से मिल लेते। मांगें स्वीकार

(मेजर श्री फतहसिंह)

करना या न करना, यह जो फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स की बात है, यह दूसरी बात है।

अब कल की घटना हुई उसमें टीयर गैस के सैल फेंके गये। लाठी चार्ज हुआ, पथराव हुआ। यह सब जो हुआ, यह मेटर आफ इन्क्वायरी है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि फौरन सारे कन्वेन्शन को तोड़ कर के इस मामले की जांच करायी जाए। अब तक ऐसे मामलों की जांच हुई तो इस कन्वेन्शन को भी तोड़े और सरकार इसकी जांच के आदेश दे। यह राज्य सरकार को मेरा सुझाव है, नम्र निवेदन है कि कन्वेन्शन को तोड़ना है। अगर यह मालूम हो कि असामाजिक तत्व थे और उन्होंने यह काम किया, या आपका जो प्रशासन है, उसका कोई दोष है, या कि किसान यूनियन वालों ने यह काम किया या अधिकारियों ने यह काम किया, यह मैटर आफ इन्क्वायरी है। इसलिये कृपा कर के मेरा सुझाव है कि पुराने कन्वेन्शन को तोड़े और जांच का आदेश दें।

धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : पुलिस और सरकार को बदनाम करने वालों की जांच कर के इनकी पोल खोली जाये।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क जयपुर): अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रधान मंत्री श्रद्धेय मोरारजी देसाई के आदर्शों से मैं अनुप्रेरित होता हूं। जहां तक होता है जीवन में उन आदर्शों को उतारने की मैं चेष्टा करता हूं। हमारे प्रधान मंत्री श्रद्धेय मोरारजी देसाई का कहना है कि मैं गलती करता हूं तो कान पकड़ो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर प्रधान मंत्री कोई गलती करते हैं और हम उनका कान पकड़ने के लिये जायें और प्रधान मंत्री मिलने नहीं आवें, या प्रधान मंत्री तक पहुंचने नहीं दिया जाए तो उस आदेश को, जो उन्होंने स्वयं दिया है, कैसे इम्पलीमेंट करें ताकि हमारे बीच में दूरी न हो। कल जो कुछ हुआ, उसको भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। दस-पन्द्रह हजार किसान यहां पर आए। वह यह चाहते थे कि मुख्य मंत्री उनसे मिल लें। परन्तु हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने कहा, ऐसी परम्परा नहीं है। मैं मानता हूं, कल का दिन परम्पराओं के बारे में चर्चा का दिन था। परम्पराएं टूटने का दिन था। सदन की परम्पराओं को क्षति पहुंचाई गई। परन्तु मुख्य मंत्री महोदय जाकर के किसानों से मिल लेते तो यह स्थिति नहीं बनती। अध्यक्ष महोदय, सब से अधिक दुःख की बात तो यह है कि जब किसान यूनियन का डेलीगेशन यहां पर, विधान सभा भवन में मुख्य मंत्री महोदय से बात कर रहा था, जिस समय बातचीत चल रही थी, उस समय धमाके की आवाज आई। टीअर गैस चल रही थी। इस बुरी तरह से टीअर गैस छोड़ी गई, 127 टीअर गैस के गोले छोड़े गये उनका धुआं विधान सभा भवन के अन्दर, इस परिसर के अन्दर इतना आच्छन्न हुआ कि गृह मंत्री के आंसू, मुख्य मंत्री के आंसू आ गये। ये आंसू तो जो ऊपर थे उनके आये और जो लोग नीचे थे, उनका आप अन्दाज लगाइये, उन किसानों के बारे में आप सोचिये क्या स्थिति हुई होगी। मुख्य मंत्री किसान हैं, हमारे एस.पी. किसान हैं, हम सब किसान

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

वर्ग के हैं और हमारे गृह मंत्री तो बहुत ही पिछड़े वर्ग के किसानों में से आए हैं। इस सब के बावजूद इन किसानों और हमारे बीच में दूरी है और इस दूरी के बीच में हैं लाठियां, टीअर गैस और है फरेब, झूठ। अध्यक्ष महोदय, आपने अभी यहां पर यह नाटक देखा कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, पत्थर किसानों ने फेंके। कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं पत्थर किसानों ने नहीं फेंके। अभी एक माननीय सदस्या ने कहा, वे जब यहां विधान सभा भवन आ रही थीं तो उन्हें यह देखने का सौभाग्य मिला कि प्रदर्शनकारियों के पास पत्थर और लाठियां थीं। माननीय सदस्या ने जो कहा, उसे मैं सही मानता परन्तु मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब वे विधान सभा आ रही थीं उस वक्त तो यह प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ था। तब कहां से उन्होंने यह सब देखा है। इस तरह से, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य एक दूसरे के प्रति विरोधी विचार प्रकट कर रहे हैं। इस तरह की दो बातें कहीं जिन दोनों में फेवचुअली भेद है, मतभेद है। जहां तक करेक्टनेस का प्रश्न है विधान सभा भवन के सामने, तीन घण्टे, चार घंटे तक जो प्रदर्शन होता रहा उसके बारे में इतने तरह की विरोधी विचारधारा आ रही है। जिस मामले में सारा सदन आन्दोलित है। अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में आपके बयान पर माननीय सदस्यों ने टीका टिप्पणी की है। वह है, इस सदन के भवन की ऊपर की मंजिल पर पुलिस पहुंची थी या नहीं पहुंची थी? पहुंची थी तो कैसे पहुंची थी? किस की अनुमति से आई थी? किस की अनुमति से पहुंची थी? भवन की ऊपर की मंजिल से टीयर गैस छोड़ी गई है? माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद का जवाब दिया था तो यह कहा था कि जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध अगर कोई दुर्व्यवहार करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपका यह बयान आया है। एस.पी. ने दौलतराम सारण को क्या कहा? उनके विरुद्ध क्या कहा?

कई माननीय सदस्य : हजारी लाल भी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : हजारी लाल सारण भी गये थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया? डा. हरीसिंह ने कहा है, अगर मैं सत्य नहीं हूं तो इस्तीफा दे दूंगा।

(व्यवधान)

उन्होंने कहा है, अगर *** बयान सही हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आठ महीने के बाद ऐसा मौका आया है इसके बारे में सुनने का मौका मिला है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस सारे मामले की सत्यता को जानने के लिए कि इसमें सत्यता कितनी है इसकी जांच करायें। जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने शाह कमीशन के सामने गवाही देने से इसलिए इन्कार किया कि शपथ टूट जायेगी तो हमारे प्रधान मन्त्री मोरार जी देसाई ने यह कहा था कि सच्चाई से बढ़कर कोई शपथ नहीं है। तो मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज चारों तरफ कन्फ्यूजन है। सच्चाई से बड़ी कोई चीज नहीं है। मुख्य मंत्री महोदय, इससे जो कलंक है, जो दाग है, उसकी सफाई होगी। मैं इसलिये मांग करता हूं कि आपको

***शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

सदन की राय इस मामले में जान लेनी चाहिए कि सारे मामले की जांच कराई जाये या नहीं। मेरा निवेदन है कि इसकी जांच कराई जाये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मार्च का पहला सप्ताह है। यह जयपुर के लिए शुभ नहीं है। पहले भी यहां मार्च के पहले सप्ताह में गोली-काण्ड हुआ था। जिस पर बेरी कमीशन बना। कल जो कुछ हुआ, उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के स्टूडेण्ट्स थे जोधपुर यूनिवर्सिटी के उन्होंने पत्थर बरसाये या किसने पत्थर बरसाये? माननीय रामेश्वरजी और प्रो. केदारजी साथ साथ गये थे। मैं भी दोनों के साथ था। वह भी देख रहे थे और मैं भी देख रहा था। मैं नहीं कह सकता कि वह आंखें बन्द करके देख रहे थे या खोल कर देख रहे थे। मैं निवेदन करूं कि जिस वक्त झगड़ा हुआ उस वक्त रामेश्वरजी थे ही नहीं। वे मुख्य मंत्री महोदय के पास सोफे पर बैठे हुए थे। हो सकता है कि उन्होंने दूर दृष्टि या तीसरे नेत्र से देख लिया हो कि कांग्रेस (आई) के लोग पत्थर बरसा रहे हैं। यह सत्यमेव जयते केवल इस सदन का ही नहीं है, पूरे राष्ट्र का है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए निवेदन है कि सरकार को आदेश दिये जायें कि सच्चाई को सदन सामने रखे। इसमें बहुत से माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि अगर सच नहीं हो तो इस्तीफा दे देंगे। अगर सदन के सदस्यों की सच्चाई बनी रहेगी तो जनता सरकार का प्रतिनिधित्व ठीक रहेगा। अगर प्रतिनिधित्व इस प्रकार का हुआ तो जिस प्रकार की भावनाएं सामने आती हैं वह आयेंगी। आपने, अध्यक्ष महोदय, देखा है सारे तथ्यों को, इनमें सच्चाई कहां है। गैस छोड़ी गई है। लाठी चार्ज किया है। जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ था तो यह कहा गया था कि कहीं लाठी नहीं चलाई गई है। वह प्रस्ताव पास करने के बाद लाठी चार्ज हो तो क्या वह प्रस्ताव एक फ्राड नहीं था? छल या धोका देना नहीं था? क्या वह प्रस्ताव पास करना आत्म प्रवंचना नहीं था? इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जिनके बारे में कहा जा रहा है, कांग्रेस (आई) के बारे में कहा जा रहा है, मेरा निवेदन है कि मार्च 1969 के गोली काण्ड की जांच करने के लिए बेरी कमीशन भी बिठाया गया था। आज रामेश्वर जी ने जो बात कही है या जैसा कि रतनलाल जी ने कहा है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स स्टूडेण्ट्स थे, यदि आप इसके लिए हाउस की कमेटी बैठा देंगे तो सच्चाई सामने आ जायेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने थोड़ा सा समय दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूं। मुझे कुछ साथियों ने वह शैल्स लाकर दिये हैं। मैं चाहता हूं कि वह आपको दिखाऊं। देखिए यह वह शैल्स हैं। यह उन लोगों के हाथों पर चलाये गये हैं जिनके लिए प्रथम बजट में कहा गया है कि खुरदरे हाथों ने उस सरकार को गिराकर हमारे हाथों में सरकार सौंपी है। यह जो सीधा मस्तक करके खड़ा हो गया है...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा प्रश्न है जो भावनात्मक है। इस प्रश्न का हल नहीं आया तो यह देश के दस हजार या दो करोड़ किसानों का ही सवाल नहीं है, यह बड़ी संख्या में आने वाले किसानों का ही

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

प्रश्न नहीं, यह हमारी ताकत का सवाल है, यह उस ताकत का सवाल है जिसने कांग्रेस को उखाड़ फेंका है। यह उस वर्ग का प्रश्न है जो देश को अनाज देता है। यह उस वर्ग का प्रश्न है जिसकी ओर केन्द्रीय सरकार भी उन्मुख है। इसको हल करने का केवल एक ही रास्ता है और वह है, जांच आयोग बनायें या आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बनाई जाय।

धन्यवाद !

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन्होंने मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है उनका जवाब देने के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने या तो मेरा बयान सुना नहीं और यदि सुना तो उसे समझा नहीं। मैंने अपने आपको गवाह जरूर बताया लेकिन नीचे हुए झगड़े का नहीं, उस जुलूस का जिसे कल यहां आते समय मैंने रास्ते से गुजरते देखा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को शायद ध्यान हो कि मैं कल विधान सभा के इस हाल में विलम्ब से आई थी। उसका कारण कल का यही जुलूस था जिसके कारण रास्ता रुका हुआ था। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में मैंने जो भी बयान दिया है वह पूरी जिम्मेदारी से दिया है। यदि इस बाबत कोई इन्क्वायरी बिठाई गई तो मैं पूरी जिम्मेदारी से उसका सामना करूंगी और मय शहादत माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने की कोशिश करूंगी।

(व्यवधान)

डा. हरिसिंह : मैं भी एक निवेदन कर रहा हूं। प्रो. केदार···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य, आपकी क्या इच्छा है? आप आसन को सहयोग देंगे या नहीं? मैं आपकी कन्सेन्ट के द्वारा ही स्पीकर के रूप में खड़ा हूं। अगर आपकी इच्छा है तो आप आसन को सहयोग दें। अन्यथा मुझे भी इस सम्बंध में गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। सदन की गरिमा रखना उतना ही आपका कर्तव्य है जितना कि आसन का। आसन और सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं है तो विधान सभा की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकती है। अतएव, मेरा अन्त में यही पुरजोर शब्दों में आपसे निवेदन है कि सदन की गरिमा और आसन की इज्जत रखना न रखना मेरा अकेले का उत्तरदायित्व नहीं है। अतएव आपको अगर सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलानी है तो अपने कर्तव्य को समझें। इससे अधिक मैं विशेष संकेत नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

मैं भी आखिरकार मनुष्य हूं और मेरी सहन-शक्ति की भी एक सीमा है। उसका उल्लंघन अगर हो तो मुझे विचार करना पड़ेगा इस सम्बन्ध में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं बोलेंगे।

श्री गुलमोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी चश्मदीद···

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर खड़ा है। This is not a big jock

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं। मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव है तो आप भी बोल लीजिये दो मिनट में। सबको बुलाया है तो आप भी बोल लें।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, बहुत चर्चा किसान प्रदर्शन को लेकर लाठी चार्ज पर हो चुकी है लेकिन जो कुछ बातें मुझे सूझी हैं, मैं आपके माध्यम से शेखावत सरकार को बताना चाहता हूं।

मेरा तो मुख्तसर में यही अर्ज करना है कि यह एक राजनैतिक खिलवाड़ है। यह किसान सम्मेलन और उन पर अश्रु गैस के गोले छोड़ना, एक राजनैतिक खिलवाड़ है, एक राजनैतिक चाल है। भोले किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार था, उनको मांग लेकर यहां आने का अधिकार था, कुछ लोग इसमें हैं राजनीतिज्ञ जिन्होंने उनसे खेलने के लिए यह सब कुछ किया है। यह राजनीतिज्ञ सबसे पहले दोषी है मेरी निगाह में।

दूसरी बात सदन के कई साथियों ने यह कही कि पुलिस को उकसाया गया। पुलिस बिना दिमाग की हो, यह मैं नहीं मानता। पुलिस कोई बच्चा नहीं है जिसको उकसा दिया। पुलिस के पास अच्छा खासा दिमाग है। इसमें बड़े लर्नेड आई. पी. एस. आफिसर्स हैं, उनके पास दिमाग होता है, उनकी भी आंखें होती हैं, कान होते हैं। इण्टेलिजेन्स के रहते रहते यह घटना हुई, अगर वह चाहती तो इस अप्रिय घटना को पहले से रोक सकती थी। इसलिए मैं राजनीतिज्ञों और पुलिस दोनों को दोषी मानता हूं। खास तौर से जनता पार्टी के राजनीतिज्ञों का दोष मानता हूं। इस पूरी घटना के लिये उन पर इल्जाम लगाता हूं। वह चाहते तो इस घटना को रोका जा सकता था। इसलिए किसानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसके लिये राजनीतिज्ञ दोषी हैं, साथ ही यहां का सतर्कता विभाग और पुलिस भी दोषी है। मैं मुख्तसर में यही अर्ज करूंगा कि इसकी जांच की जानी चाहिए और सब दोषी व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए।

धन्यवाद।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने, कल जयपुर जिला किसान यूनियन के द्वारा जो प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारी कुछ मांगों को लेकर यहां आये हुए थे, इस बारे में चर्चा की। अपनी मांगों के सम्बन्ध में उन्होंने जो ज्ञापन छपवाया है वह मुख्य मन्त्रीजी को सम्बोधित किया था। मुख्य मन्त्रीजी से एक शिष्टमण्डल उस वक्त मिला और जिस वक्त शिष्ट मण्डल से बातचीत चल रही थी उस वक्त यह अप्रिय घटना इस सदन के बाहर दरवाजे के पास हुई। यह तथ्य भी सामने आया कि प्रदर्शनकारियों को, जो कि अपनी उचित मांगों को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते थे, इस विधान सभा भवन तक नहीं आने दिया गया। यह तथ्य भी सामने आया कि उन्हें बड़ी चौपड़ पर रोक लिया गया। फिर श्रम मन्त्रीजी वहां पर गये और जिन

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रदर्शनकारियों को रोका गया था। उन्हें यहां पर लाये तो प्रदर्शनकारियों को रोकने का भी तथ्य सामने आया। अध्यक्ष महोदय, यह बात भी सामने आई कि संसद के एक माननीय सदस्य का भी वक्तव्य अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अध्यक्ष महोदय, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उनको लाठियों से पीटा गया। यही नहीं यह तथ्य भी सामने आया कि सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह इस सदन की गरिमा का प्रश्न है, इस सदन के मान और आपकी इज्जत का प्रश्न है, इस सदन के परिसर में लाठी चार्ज किया गया। माननीय सदस्य श्योपतसिंहजी ने यहां तक बताया कि गोली भी चली।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में मैं गंभीरतापूर्वक दरयाफ्त करूंगा और जो तथ्य होंगे उनके बारे में जानकारी करूंगा। पक्की बात।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही है कि सदन की ऊपरी मंजिल से अश्रु गैस छोड़ी गई। यह भाभाई जी की हवेली में भी कई माननीय सदस्यों ने देखा। यह बात गलत नहीं हो सकती है। यदि गलत नहीं है तो यह इस सदन का अपमान हुआ है और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। यह मसला भी सदन के सामने है।

अध्यक्ष महोदय, जब शिष्टमण्डल के साथ बातचीत हो रही थी उस समय यह अप्रिय घटना घटी। जिस तरह की बात रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि पहले लाठी कैसे चली। यह तथ्य भी सामने आया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी भी मौजूद थे जो गेट के पास खड़े हुए थे, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया। पहल किसने की और उग्र रूप कैसे धारण हुआ, यह जांच का विषय है। जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती, सही तथ्य सदन के सामने नहीं आ सकते। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि अप्रिय घटना घटी और इस घटना से एक दहशत बैठी है। इस दहशत के साथ ही एक धाक भी बैठी है कि सरकार के सामने दस हजार किसान अपनी मांगों को लेकर आये। यह देश का दुर्भाग्य है। राजस्थान में 33 हजार गांव हैं या 31 हजार गांव हैं, यह मैं भी पशोपेश में हूं, मुख्य मन्त्रीजी, लेकिन जो किसान सदा गांवों में रहते हैं वे अपनी समस्याओं को लेकर कोई फंक्शनल यूनियन नहीं बना सकते। बहुत बिखरे हुए हैं, आर्गेनाइज्ड नहीं हैं। जब आर्गेनाइज्ड नहीं हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान के लिये सरकार के सामने उनके प्रतिनिधि रखते हैं लेकिन वह स्वयं उपस्थित नहीं होते। यह पहला अवसर था "गंगानगर एजीटेशन के अलावा" कि सदन के सामने इतनी बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर आये। मांगों के सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हो सकता है कि सब मांगें सरकार मानती या नहीं, सरकार के सामने कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं और जब तक एग्जामिन नहीं कर लेते, सब मांगों को मानते या नहीं मानते, कुछ मांगें मान भी ली गई। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बिजली के सम्बन्ध में, और वित्त मन्त्री

(श्री परसराम मदेरणा)
महोदय के भाषण में ट्रेक्टर की जो समस्या है उसका उन्होंने कुछ उल्लेख भी किया है। लेकिन किसान अपनी उचित मांग को मनवाने के लिए यहां पर आए और विधान सभा के सामने प्रदर्शन करना चाहा। यह सदन ऐसा स्थान है जो राजस्थान की तीन करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार, जिस पर जनता के प्रतिनिधित्व का उत्तरदायित्व है, पर उन की मांगों को सुनने का, उन पर उचित गौर करने का दायित्व है, वह उसको पूरा करना चाहिए था। लेकिन प्रश्न परम्परा का आ गया और उस परम्परा के संबंध में मुख्य मंत्री बोलने वाले हैं। सदन के नेता का बोलने का जो टेक्निक है, वह जोश में आकर 30 साल के कांग्रेस शासन की परम्पराओं के उल्लेख करने का है, ऐसा मैं महसूस करके चलता हूं। लेकिन जब श्रम मंत्री हाथ में धोती लेकर बाहर घूम रहे थे, उस समय यह परम्परा कहां चली गई ? जब सरकार के एक मंत्री नीचे जाकर प्रदर्शनकारियों से दो बार मिल सकते हैं और वह चौपड़ तक प्रदर्शनकारियों को जुलूस में सम्मिलित करवाने में मदद करते हैं तो परम्परा तो रही नहीं। भाषण भी उन्होंने दिया....

कई माननीय सदस्य : दो बार।

श्री परसराम मदेरणा : दो बार। यदि यह भी तथ्य नहीं तो एक बार तो दिया ही है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुछ एबरप्टली झगड़ा हो गया या इसके पीछे आदेश दिए गए यह तथ्य का प्रश्न है और इस तथ्य की बिना जांच किए इस सदन को जानकारी नहीं मिल सकती।

किसानों का प्रदर्शन बहुत बड़ा था। हो सकता है, किसान आगे इस तरह के प्रदर्शन नहीं कर इसलिए दबोच दिया जाए, दहशत बिठा दी जाए कि किसान अगर इस तरह से आए तो उन पर लाठी के प्रहार होंगे, अश्रु गैस छोड़ी जायेगी, उनके ट्रेक्टर्स के लाइसेंस छीन लिए जायेंगे, उनको परेशान और तंग किया जायगा। अगर इसके पीछे यही षड़यंत्र है तो राजस्थान के किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह प्रदर्शन या मांगें केवल जयपुर जिले के किसानों की नहीं, बल्कि राजस्थान के विभिन्न जिलों की इसी प्रकार की समस्यायें हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए वे यूनियन बनाकर मांगें रखेंगे। इसलिए मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और वह उस समय हुआ जब इस सदन की बैठक नहीं थी, सदन स्थगित हो गया था, लेकिन उस समय मुख्य मंत्री इस सदन के परिसर में बिराजमान थे। जो भी भ्रांतियां फैली हैं और विरोधाभासी तथ्य रखे गए हैं, किसानों पर दोषारोपण किया गया है कि पत्थर लेकर आये थे। इस बात की सत्यता पर पहुंचने के लिए इन्क्वायरी होनी चाहिए। हमारी यह मांग है कि सत्य तभी प्रकट होगा, सही तथ्य तभी सदन के सम्मुख प्रस्तुत हो सकेंगे जब इस मामले में एक जुडीशियल इन्क्वायरी कराई जाए अन्य कोई जांच जैसा कि भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, लीपापोती होगी। इसलिए....

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान, मैंने लीपापोती की बात नहीं कही।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने आपके लिए नहीं कहा....

कुछ माननीय सदस्य : भीम से तो ये ही आए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मुख्य मंत्री जी, एक माननीय सदस्य ने कहा, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, विरोधी पक्ष में नहीं, उनका तैश में आकर आप उत्तर नहीं दें, गंभीरता से उत्तर दें, तो यह निश्चित बात है कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी साख तभी बढ़ने वाली है जब आप बढ़प्पन रखकर उत्तर दें। जनता सरकार के जो वायदे है, जनता के सामने खुले समाज और खुली सरकार के। मेरे साथ शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य राठोड साहब भी थे और वहां पर आपके एस. पी. और जिलाधीश भी खड़े थे। मैंने कहा प्रदर्शन शांत है, आप क्यों खड़े हैं ? अगर खुली सरकार और खुले समाज की बात है तो आपको इतना डरना नहीं चाहिये। प्रदर्शन शांत हो गया, भाषण हो रहे हैं, 5–10 मिनट में समाप्त होने वाले हैं। उसके बाद अप्रिय घटना घटी और आपके सम्मुख घटी। इसलिए सारे मामले की सच्चाई प्रकट हो, उसका एक ही विकल्प है वह यह कि इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी कराई जाए।

श्री सम्पत राम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मुख्य मंत्री जवाब देंगे, आप क्या जवाब देंगे ? यह गलत परम्परा है। हम पुलिस की मांग पर नहीं बोल रहे हैं। एक जुलूस पर लाठी चार्ज हुआ है। हम मुख्य मंत्री को सुनना चाहते हैं, हम कुछ बातें बताना चाहते हैं। पुलिस डिमांड पर भले ही आप जवाब दें। मगर सवाल आता है, विधान सभा के सामने प्रदर्शन हुआ, उस पर गोली चलाई जाए, अश्रुगैस छोड़ी जाय, लाठी चार्ज हो, गृह मंत्री का आदेश हो उसके लिए मुख्य मंत्री जिम्मेदार होंगे।

श्री सम्पत राम : मैं जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहा हूं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : नहीं नहीं।

श्री सम्पत राम : आप सुनिए।

अध्यक्षजी, जो कल इस सदन के बाहर दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उस सम्बन्ध में दोनों पक्षों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और सब प्रकार के तथ्य सामने लाने की कोशिश की है। मैं राज्य सरकार की तरफ से इसमें जो फैक्चुएल रिपोर्ट है, वह आपके सामने पेश करता हूं।

जयपुर जिला किसान यूनियन का लगभग ढाई हजार लोगों का जुलूस दिनांक 6-3-78 को प्रातः लगभग 11-30 बजे विधान सभा भवन के पूर्वी दरवाजे पर सिरह ड्योढ़ी बाजार पहुँचा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। जब आपने कहा कि हमारा स्थगन प्रस्ताव जवाब के लिए सरकार को भेज दिया है, तो फिर गृह मंत्री क्या जवाब दे रहे हैं फैक्चुअल रिपोर्ट, 2500 लोगों का जुलूस इत्यादि। आपने अपनी व्यवस्था दे दी है कि केस सरकार के पास भेज दिया है। आज सदन में किसी बात का जवाब देंगे तो मुख्य मंत्री ही देंगे।

श्री सम्पतराम : इनमें से लगभग एक डेढ़ हजार प्रदर्शनकारी जलेब चौक में होकर····

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं व्यवस्था चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : जो पाइंट आफ आर्डर रेज किया वह पांइट ऑफ आर्डर नहीं है, प्रभारी मंत्री को उत्तर देने का अधिकार है।

श्री सम्पतराम : जलेब चौक में होकर विधान सभा के जलेब चौक स्थित मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहां यह भीड़ नारे लगा रही थी और विधान सभा में जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। इस स्थिति में विधान सभा का जलेब चौक वाला मुख्य द्वार बन्द कर दिया गया। मुख्य द्वार पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे मुख्य द्वार से हट जायें एवं विधान सभा में जबरदस्ती घुसने का प्रयास न करें। इस अपील का प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ एवं प्रदर्शनकारी वहां तैनात पुलिस के साथ हाथापाई करने लग गए और एक सिपाही को खींचकर भीड़ में ले गये। उसका गला दबाया, कमीज फाड़ दी व बैजेज निकाल लिए। इस सिपाही को बचाने के लिए जब एक पुलिस अधिकारी ने कोशिश की तो उसके पेट पर घूंसों से चोट पहुंचाई व उसकी कैप फेंक दी गयी। इसी प्रकार एक अन्य सिपाही का साफा व डण्डा छीन लिया गया एवं जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उस सिपाही को छुड़ाने का प्रयास किया तो उन पर भी भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने लाठी का प्रहार किया जिससे उनके चोट आई। प्रदर्शनकारियों द्वारा इस प्रकार की उग्र कार्यवाही करने से पुलिस के दो अफसर एवं छः सिपाहियों को चोटें लगीं परन्तु इसके बावजूद भी पूर्ण संयम रखते हुए पुलिस द्वारा बिना किसी प्रकार का बल प्रयोग किये हुए विधान सभा के मुख्य द्वार से भीड़ को घुसने नहीं दिया। कुछ समय पश्चात् यह भीड़ मुख्य द्वार से हट कर विधान सभा के पूर्वी द्वार पर पहुँच गई।

इसके पश्चात् माननीय विधायक डाक्टर हरिसिंह एवं माननीय संसद सदस्य श्री दौलतराम सारण ने पूर्वी द्वार पर एकत्रित प्रदर्शनकारियों को कहा कि वे जब तक विधान सभा में बातचीत कर वापस न आ जायें तब तक सब लोग वहीं रहें। इस समय विधान सभा के पूर्वी द्वार पर लगभग ढाई हजार प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी। जिस समय माननीय सदस्य डाक्टर हरिसिंह एवं माननीय संसद सदस्य श्री दौलतराम सारण उक्त रूप से भीड़ को सम्बोधित कर रहे थे तब भी यह भीड़ वहां तैनात पुलिस कर्मचारियों को धक्का देकर विधान सभा के पूर्वी द्वार में घुसने का प्रयत्न कर रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उक्त माननीय सदस्यों से निवेदन किया कि वे कृपया प्रदर्शनकारियों को समझायें कि वे विधान सभा में जबरदस्ती घुसने का प्रयत्न न करें। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पुलिस कोर्डन तोड़ने का प्रयास करते रहे। माननीय सदस्य विधान सभा डाक्टर हरिसिंह एवं माननीय संसद सदस्य श्री दौलतराम सारण के विधान सभा में जाने के लगभग 20-25 मिनट पश्चात् प्रदर्शनकारियों ने उत्तेजित होकर यह नारा लगाया कि विधान सभा के अन्दर घुस जाओ। इस पर प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ कर पुलिस का कोर्डन तोड़ा और विधान सभा के पूर्वी द्वार पर आ गये। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को पूर्वी द्वार के अन्दर

(श्री सम्पतराम)

विधान सभा में जबरदस्ती घुसने से रोका तो उन्होंने एक सिपाही को पकड़ कर खींच लिया। इस सिपाही को बचाने के लिए जब उप पुलिस अधीक्षक आगे बढ़े तो उन पर लाठी का प्रहार किया जिससे उन्हें चोट पहुंची एवं सिपाही की घड़ी, टोपी, डंडा, व्हिसिल डोरी व बैज छीन लिया। इतने में ही उत्तेजित भीड़ ने भारी पथराव करना शुरू कर दिया एवं पुनः एक सिपाही को खींच कर उसको पीटना शुरू किया। भीड़ में से कुछ लोगों ने एक लगभग पांच फीट लम्बे लोहे के पोल को उखाड़ा व पोल व लाठियों से पुलिस पर हमला बोल दिया व पूर्वी द्वार से जबरदस्ती घुसने का प्रयास जारी रखा और भारी पथराव भी चलता रहा। यही नहीं पत्थर विधान सभा की ऊपरी मंजिल पर भी फेंके गये। मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट ने प्रदर्शनकारियों को आग्रह किया कि उनकी इस प्रकार की कार्यवाही गैर कानूनी है एवं वे पूर्वी द्वार से पीछे हट जायें। जब मजिस्ट्रेट की इस अपील का भी भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने भीड़ को मजमा खिलाफ कानून घोषित कर दिया। इसके उपरान्त भी भीड़ उग्र रूप से पूर्वी द्वार के अन्दर घुसने की कोशिश करती रही और भारी पथराव जारी रखा जिससे पुलिस के कई अधिकारी एवं कर्मचारी घायल हुए। इन परिस्थितियों में उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अश्रुगैस शैल्स छोड़े गये। प्रदर्शनकारी कुछ समय के लिए तितर-बितर हो गये किन्तु थोड़ी ही देर बाद फिर लौटकर इकट्ठे होकर पुनः विधान सभा में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने लगे व साथ साथ फिर भारी पथराव शुरू हो गया। इस पर पुनः अश्रुगैस का प्रयोग किया गया एवं उसके पश्चात् भीड़ तितर-बितर हो गई। पुलिस द्वारा कुल 1 अश्रुगैस शैल व 12 अश्रुगैस के गोले चलाये गये। लगभग 36 पुलिस कर्मचारियों के चोटें पहुंची।

मैंने इस घटना का विस्तृत विवरण इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है कि सदन को इसके विषय में पूर्ण जानकारी मिल सके। राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है कि किसी भी प्रकार के विवाद को विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाया जाये। इसी दृष्टिकोण से राज्य सरकार की ओर से किसान यूनियन की मांगों के विषय में किसान यूनियन के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने में राज्य सरकार ने किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि विचार विमर्श आरम्भ होने के पूर्व ही विधान सभा के जलेब चौक वाले मुख्य द्वार पर प्रदर्शनकारियों ने विधान सभा में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जब किसान यूनियन के नेतागण माननीय मुख्य मन्त्री जी एवं अन्य मन्त्री गणों से विधान सभा में विचार विमर्श कर रहे थे तो उसी बीच प्रदर्शनकारियों ने बातचीत के नतीजे का बिना इन्तजार किये उग्रता दिखाई, पथराव किया, विधान सभा में जबरदस्ती घुसने का प्रयत्न किया एवं इन्तजाम हेतु तैनात पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की व चोटें पहुंचाई। मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि ऐसी स्थिति में उग्र भीड़ जो कानून अपने हाथ म ले ले उस पर नियन्त्रण करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैंने जो विस्तृत विवरण दिया है उससे भी स्पष्ट है कि उग्र भीड़ द्वारा उपरोक्त वर्णित

(श्री सम्पतराम)

कार्यवाहियां करने के उपरान्त भी प्रशासन द्वारा कम से कम बल प्रयोग कर स्थिति को नियन्त्रण में रखा गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि कल जो घटना विधान सभा के बाहर घटी वह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उस घटना के लिये मुख्य मंत्री के नाते मुझे किसी प्रकार का खेद प्रगट करने में कोई संकोच प्रतीत नहीं होता। लोग अपनी मांगों को लेकर विधान सभा के सामने आये और उसके बाद में विधान सभा के सामने इस प्रकार की घटना हो यह निःसन्देह बहुत ही खेदजनक घटना है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। सरकार की आलोचना भी की, और तरह तरह की धमकियां भी दीं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का नेता होने के नाते सबसे पहले तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर यह समस्यायें कब पैदा हुईं? पहले भी यह समस्यायें थीं। कोई आज नयी पैदा नहीं हुई। इन समस्याओं को पहले हल क्यों नहीं किया गया? अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन किसान भाइयों की समस्याओं की ओर भी सबसे पहले ध्यान गया तो कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि जनता पार्टी के नेताओं का गया। आज जनता पार्टी के नेता लोग ही हैं जिन्हें किसानों के दुःख दर्द की बात का ध्यान आ रहा है। आज जनता पार्टी के नेताओं ने ही किसानों की समस्याओं की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी तो पिछले आठ महीनों से किसानों का दुःख दर्द तो बिल्कुल भूल गयी थी।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने, कांग्रेस के भाइयों ने यहां तक कहा कि बेचारा भूखा नंगा किसान विधान सभा के सामने आया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही कांग्रेस को ध्यान आया कि किसान भूखा नंगा है। इतने दिनों तक आपको ध्यान नहीं आया। किसानों पर बिजली का टैक्स किसने लगाया, किसान पर ट्रैक्टर और ट्रोली टैक्स किसने लगाया? क्या इतने दिनों तक आपको किसान के बिजली के टैक्स, और किसान के ट्रैक्टर और ट्रोली टैक्स के विषय में चिन्ता नहीं हुई? अध्यक्ष महोदय, चिन्ता भी अगर हुई तो, अध्यक्ष महोदय, वह भी जनता पार्टी के नेताओं को ही हुई। मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किये गये इस जुलूस के कारण आपको किसानों के प्रति दिखावटी आंसू बहाने के लिये मौका अच्छा मिल गया। इसके लिये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जनता पार्टी के नेताओं के प्रति आभार प्रगट करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे तो एक बात का अफसोस होता है, एक तरफ तो कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्य यह कहते हैं कि किसान भूखा और नंगा नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि कल भूखे और नंगे किसान राजस्थान की विधान सभा के बाहर आये। तो इन किसानों को भूखा और नंगा किसने बनाया?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जिन्होंने किसानों को भूखा नंगा बनाया वही यह कह रहे हैं कि किसान भूखा नंगा है। पिछले 30 वर्षों से किसका शासन राजस्थान में था ? जिन्होंने किसानों को भूखा नंगा किया वही आज यहां बैठ कर जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : भूखा और नंगा किया जनता पार्टी ने।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के पिछले तीस साल के शासन में गलत आर्थिक नीतियां रहीं उसका परिणाम है कि आज राजस्थान का वह भूखा और नंगा किसान हमारी विधान सभा के सामने आता है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आप चाहें तो इस सदन की समिति बना दी जाय या कोई कमीशन आप नियुक्त कर दें, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं निश्चित रूप से इतना जरूर कह सकता हूं कि पिछले आठ महीनों में किसानों का हित यहां राजस्थान में जितना हुआ उतना हित पहले पांच वर्षों में कांग्रेस राज्य में नहीं हुआ। किसानों के हित में इतना अधिक कभी कोई काम नहीं हुआ जितना कि जनता पार्टी के राज्य में हुआ। ढाई हैक्टेअर जमीन पर जनता पार्टी ने लगान माफी किया है। यह लाभ किसान को किसने दिया ? जनता पार्टी ने दिया है। किसान को लगान मुक्त किसने किया ? अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1967 में जब मैं विरोधी दल में था उस वक्त चुनावों के पहले सरकार ने ढाई हैक्टेअर जमीन से किसानों को लगान मुक्त करने की घोषणा की थी पर चुनाव समाप्त होते ही ज्यों ही कांग्रेस का शासन आया त्यों ही वह ढाई हैक्टेअर जमीन पर वापस टैक्स कांग्रेस गवर्नमेंट ने लगाया। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को विजयी बनाने के लिये किसानों को यह प्रलोभन दिया था। चुनावों का लाभ उठाने के बाद उन्होंने वापस कानून में संशोधन करके ढाई हैक्टेअर जमीन पर किसानों से लगान लेना शुरू कर दिया। मैं समझता हूं जनता पार्टी ने पावर में आते ही किसानों के भले के लिये पहला काम यह किया कि किसान से ढाई हैक्टेअर जमीन पर कोई लगान नहीं लिया जायेगा। इसके साथ-साथ सभी माननीय सदस्य यह भी जानते होंगे कि किसानों पर कामर्शियल सैस किसने लगाया ? वह तो कांग्रेस शासन में लगा था लेकिन हमने आते ही वह सैस भी किसानों पर से समाप्त कर दिया। सभी माननीय सदस्य यह जानते होंगे कि भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले कामर्शियल सैस लगाया था और ट्रैक्टर और ट्रोली टैक्स लगाया था उस वक्त मैं विरोधी पक्ष में बैठता था। मैंने उसका उस वक्त विरोध किया और दूसरे कई विधायकों ने विरोध किया लेकिन उस वक्त हमारा विरोध कोई काम नहीं आ सका था क्योंकि हम उस वक्त विरोध में थे और हमारी आवाज अल्पमत में थी। हमारी आवाज को उस वक्त अल्पमत की आवाज कह कर तत्कालीन सरकार ने सुना ही नहीं और कामर्शियल सैस लगा दिया। जनता पार्टी को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
सरकार ने आते ही किसानों पर वह कामशियल सैस फिर से हटा दिया।

इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसानों की बिजली की समस्या के बारे में कहा जाता है। आज मीटर प्रणाली, मिनिमम चार्जेज, सीलिंग की समस्या, बिजली की कमी की बात कही जाती है। लेकिन सदन का कोई भी माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष में बैठने वाला हो या उस पक्ष में बैठने वाला हो यह इल्जाम नहीं लगा सकता है कि जनता पार्टी का राज्य आने के बाद बिजली के उत्पादन में कमी हो गयी है, बिजली के वितरण में कमी हो गयी है या बिजली के सम्बन्ध में कोई समस्या पैदा हो गयी है। कोई प्राकृतिक समस्या है तो मैं कह सकता हूं कि उस समय भी ऐसी समस्या पैदा हो जाया करती थी। चाहे जनता पार्टी की सरकार हो या चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, यह नहीं कहा जा सकता कि यह समस्या होगी नहीं। बिजली के उत्पादन में गिरावट या बिजली के उपकरणों में खराबी तो न मैं जानबूझ कर करता हूं और न ही माननीय परसरामजी जानबूझ कर करते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर इस समस्या पर विचार करना होगा। जनता पार्टी की सरकार ने इन सब समस्याओं पर विचार करके यह किया कि मीटर प्रणाली को समाप्त किया और मिनिमम चार्जेज से किसान को मुक्ति दिलायी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने देखा होगा कि सारे सिस्टम को चेन्ज करके बिजली की खपत पर चार्जेज की सारी व्यवस्था करना चाहते हैं। माननीय सदस्यों को कम से कम इस बात की तारीफ तो करनी चाहिए थी, सरकार को श्रेय देना चाहिये था और सजेशन देने चाहिये थे कि फ्लेट रेट किस प्रकार इन्ट्रोड्यूस की जा सकती है, क्या क्या समस्यायें उत्पादन में आती हैं उनका किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है।

मैं भूतपूर्व मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन में स्माल फार्मर्स डवलपमेंट एजेन्सी, डी. पी. ए. पी. से दस किसानों को अनुदान या सहायता दिया करते थे। आप यदि उस समय चाहते तो सब ही किसानों को इस प्रकार की सहायता दिला सकते थे। यह जनता पार्टी की सरकार है कि राजस्थान के 16 जिलों में ही नहीं किन्तु 26 जिलों के किसानों को इस प्रकार की सहायता मिलेगी। न ट्रेक्टर और न ही ट्रेक्टर ट्रोली पर जनता पार्टी सरकार ने टैक्स लगाया, न बिक्री कर लगाया, न सैल्स टैक्स जनता पार्टी सरकार ने लगाया। यह टैक्स तो भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने लगाया। किन्तु यह तो जनता पार्टी की ही सरकार है जिसने ट्रेक्टर ट्रोली पर टैक्स माफ किया और बिक्री कर में कमी की।

मैं जानता हूं किसान के सामने जो समस्या है वह इस कारण से है कि पिछले तीस वर्ष में किसान की उपेक्षा की गयी। आज ग्रामीण समाज उन्नत हो, विकास में पैसा लगे इसलिए जैसी कि सदन को जानकारी है कि पंचायती सरकार के माध्यम से प्रति व्यक्ति 25 पैसे अनुदान मिलता था उसकी जगह ढाई रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम 5 करोड़ 56 लाख का अतिरिक्त अनुदान देने के लिए तैयार बैठे हैं। हम चाहते हैं कि

Page No 75

75

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ग्रामों का विकास हो। माननीय सदस्य कहते हैं कि 80 पर्सेन्ट जनता गांवों में बसती है। मैं जानता हूं इस बात को और इसलिए किसान की बहबूदी के लिए हमने यह अनुदान रखा है। राजस्थान सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ है उसको आप देखें। विकास के कार्यक्रम को देखें। चाहे आप आलोचना के लिए कह दें लेकिन मन में यह जानते होंगे कि इस सरकार ने सारे खजाने को गांवों के विकास में लगाने की नीति बना ली है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसान के हित का जहां तक सवाल है उसके प्रति हमारी हमदर्दी किसी से कम नहीं है। मुझे किसान मानें या न मानें।

एक माननीय सदस्य : आप हो क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप से ज्यादा नहीं। डिस्टर्ब न करें तो अच्छा है।

आप हमदर्दी के आंसू बहायें किसान के लिए लेकिन मैं उनसे हमदर्दी रखने में पीछे रहने वाला नहीं हूं। हमने किसान के साथ हमदर्दी रखी है।

विधान सभा के सामने जो कुछ हुआ उसके लिए आज आप लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं। इस बात की खुशी है कि जनता पार्टी का राज आने पर आपको लोकतन्त्र तो याद आया। इस बात की खुशी है कि जनता पार्टी का राज आने के पूर्व जिन्होंने लोकतन्त्र का गला घोंटा, जिन्होंने संविधान की हत्या की वे आज लोकतन्त्र की दुहाई देने लगे हैं। इस प्रकार की बात करने का श्रेय ही जनता पार्टी का है, जिसने आपको यह मौका दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : यह वाक्य कितनी बार कहा गया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि किसानों पर गोलियां चली हैं, लाठियां चली हैं, अश्रु गैस के गोले चले हैं। कांग्रेस की सरकार थी तब भी चले हैं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि जौहरी बाजार के अन्दर कांग्रेस के राज्य में गोलियां चलीं, इसलिए चलीं कि कांग्रेस की सरकार चाहती थी कि गोलियां चलें। माननीय श्योपतसिंहजी अच्छी तरह से जानते हैं कि गोलियां चलने के बाद लाशें गायब कर दी गयीं। इस जनता पार्टी की सरकार ने लेवी के नाम पर किसानों पर डंडे नहीं बरसाये। किन्तु कांग्रेस के राज में किसानों पर डंडे बरसाये जाकर उनसे लेवी वसूल की जाती थी। परसरामजी राजस्व मंत्री थे तो किसानों पर डंडे बरसा कर, किसानों को डंडे मार करके उनसे लेवी ली जाती थी। 150 रु. क्विन्टल गेहूं उस समय बिकता था, आप किसान से 105 रुपये क्विन्टल में 'लेवी का गेहूं लेते थे। हमने उस समय उसका विरोध किया था लेकिन आपने डंडे मारकर किसानों से लेवी ली। आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र भोपालगढ़ में गोलियां चलायीं लेवी के प्रश्न को लेकर और आज हमें आप उपदेश दे रहे हैं। हम इस बात का उपदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। इस घटना के प्रति मुझे पूरी सहानुभूति है।

डा. हरिसिंह जी जिस समय बात कर रहे थे अधिकांश बातों पर विचार विनिमय हो गया था। मैं न दिल से चाहता हूं और न शासन में रहने से चाहता हूं कि किसान पर पर गोली चले। गांव-गांव में एडमिनि-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

स्टेशन की दृष्टि से कोई घटना घटती है तो उसकी मेरी जिम्मेदारी है। किसी को पत्थर से चोट पहुंचती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पर है। मैं यह कह कर पिंड छुड़ाने वाला नहीं कि सरकारी कर्मचारियों ने यह किया, मैंने कुछ नहीं किया। सारी बातों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर चलता हूं। माननीय सदस्य यह समझ कर न चलें कि कुर्सी पर चिपकने के लिये यह जिम्मेदारी ले रहा हूं। उससे डरता नहीं हूं। माननीय सदस्यों, जिन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है, के कारण यहां खड़ा हूं, व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नहीं खड़ा हूं। आप यह कहें कि किसान के प्रति सरकार की कोई हमदर्दी नहीं है लेकिन माननीय सदस्य डेपुटेशन लेकर आये वे जानते हैं कि हमदर्दी कितनी है। हमने बैठ कर विचार किया। दो तीन दिन में उन समस्याओं का समाधान करने का विचार किया कि किस प्रकार से उनका समाधान किया जा सकता है। किसी प्रकार उनके साथ बैठने में या हाथ बंटाने में संकोच नहीं था। मेरे स्वयं के, इस जनता पार्टी के हित में है कि किसानों के हित में जितने काम किये जा सकते हैं निश्चित रूप से किये जाने चाहिये। किसानों ने हमको वोट दिये हैं, यह हम भूल नहीं सकते और अहसान फरामोश नहीं हो सकते। एक माननीय सदस्य ने जातीयता और संकीर्णता से किसान को बांटने की बात की है। मैं हाथ जोड़ कर करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे भैरोंसिंह इस कुर्सी पर रहे या न रहे चाहे और कोई कुर्सी पर रहे लेकिन देश के हित में और समाज के हित में भगवान के नाम पर किसान को जातीयता और संकीर्णता के आधार पर बटने नहीं दें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैंने इन्डिकेशन दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा किया। आपने इन्डिकेशन दिया वह अच्छा किया। मैं उसको बुरा नहीं मानता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसान के नाते मेरे और परसरामजी में कोई अन्तर नहीं है, किसान के नाते खेतसिंहजी और मेरे में कोई अन्तर नहीं है, किसान के नाते मेरे और रामरघुनाथजी में कोई अन्तर नहीं है। एक किसान पर जो टैक्स लगेगा परसरामजी पर उतना ही लगेगा जितना भैरोंसिंह पर लगेगा। इसमें कोई अन्तर आने वाला नहीं है। यह नहीं कि परसरामजी पर तो टैक्स लगेगा और भैरोंसिंह पर नहीं लगेगा। बिजली के चार्जेज परसरामजी को देने होंगे और भैरोंसिंह को नहीं देने होंगे। एक मीणे को देने पड़ेंगे और चौधरी को नहीं देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि जब बिजली की कमी हो तो ब्राह्मण को बिजली मिले और किसान रो रहा हो बिजली के लिये। कोई अन्तर नहीं आयेगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को भैरोंसिंह से दुश्मनी है और निकालना चाहते हैं और एक साथ मिल कर किसान भैरोंसिंह को हटाने के लिये तैयार हैं तो मैं कुर्सी से चिपकना नहीं चाहूंगा और जिस दिन मुझमें विश्वास नहीं रहेगा उस दिन मैं इस कुर्सी पर नहीं रहूंगा। लेकिन भगवान के नाम पर किसान को न बांटें। यह उन लोगों की चाल है जो लगातार किसान को बांट कर चर्चा करते रहे हैं। आज वे ताकतें फिर सिर उठा रही हैं और जातीयता के आधार पर किसानों को बांटना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहती हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का प्रसंग जहां भी आता हो वह खुले दिल से मेरे से बात करें, सरकार के किसी भी प्रतिनिधि से बात करें। हम इस प्रकार की चीजों को नहीं पनपने देंगे और न पनपने देना चाहते हैं। कोई यह कहे कि मैं तो धमका लूंगा तो मैं बता दूं कि मैं भी इन्सान हूं। कोई मिट्टी का बना हुआ नहीं हूं। जिस तरह से एक किसान में ताकत है उसी तरह से मेरे में भी ताकत है। मैं भी किसानों में जाना जानता हूं, मैं भी मजदूरों में जाना जानता हूं। किसानों से किस तरह से बात की जाय, वह भी जानता हूं, किसानों के क्या इन्ट्रेस्ट हैं वह भी जानता हूं, हानि कैसी हो रही है वह भी जानता हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसानों में जा नहीं सकता। आपको प्रमाण देता हूं कि यदि किसान लाठी चलायेगा तो लाठी खा लूंगा, किसान गोली चलायेगा तो गोली भी खा लूंगा। मैं गोलियों के बीच में जाने के लिये तैयार हूं...

श्री बजरंगलाल शर्मा : कल क्यों नहीं गए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे मन में एक बात थी। यह सही है कि पहले श्री दौलतराम जी आये मैंने उनसे मना किया। उनका ऐसा आग्रह नहीं था कि तुमको चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा, दौलतराम जी, एक बार बातचीत हो जाये। इसमें क्या निर्णय होगा वह देख लेंगे। उसके बाद डाक्टर हरिसिंह जी के नेतृत्व में वह आये तो माने या न माने मेरी इच्छा थी कि सब बातों का फैसला हो जाये तो इनके साथ मैं नीचे चला जाऊं। इसी बीच में मुझे खुद को आवाज सुनाई दी उस समय मेरे पास डाक्टर हरिसिंह, दौलतराम जी और बजरंगलाल जी बैठे हुए थे। मैंने खुद ने कहा कि नीचे जाओ, कोई गडबड़ हो रही है। मैं यहां पर 5 बजे तक रहा हूं और विरोधी दल के सदस्य भी मेरे चैम्बर में थे। इस बात को कोई नहीं कह सकता कि मैंने कोई लाठी चार्ज करने का आदेश दिया हो या अश्रु गैस छोड़ने का आदेश दिया हो। आखिर जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है उनको देखना है कि किस जगह लाठी चार्ज किया जाये, किस जगह अश्रु गैस छोड़ी जाये और किस जगह धारा 144 लगाई जाये। यह डिसीजन कोई मुख्य मंत्री नहीं लेता है और न मैंने लिया। तो मैं इस आधार पर आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कोई मुझे कहे कि मैं किसानों में जा नहीं सकता तो मैं किसानों में जा सकता हूं। यहां जितने किसान आये उनसे ज्यादा संख्या के बीच में जा सकता हूं, किसानों में खड़ा हो सकता हूं, किसानों की बातों को सुन सकता हूं, किसानों के डंडे खा सकता हूं, किसानों की गालियां खा सकता हूं, इस सब के लिये सक्षम हूं। लेकिन कोई किसानों को बहका कर यह कहे कि हम ही किसानों के लिये बोलने वाले हैं और दूसरा कोई भी बोलने वाला नहीं है तो इस स्थिति को मानने के लिये तैयार नहीं हूं....

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनता पार्टी आखिर किसानों की पार्टी है...

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनता पार्टी में कोई पूंजीपति और करोड़पति नहीं है। जनता पार्टी सीधे सादे किसानों की पार्टी है। जनता पार्टी मजदूरों की पार्टी है, जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। यह कोई करोड़पतियों की पार्टी नहीं है। यह करोड़पतियों से चन्दा नहीं लेती है और यह तो आपने चुनावों में देखा होगा। इसके परिणाम आपने देख लिए इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के हित में अलग से बैठना चाहें तो मैं अलग से बैठने के लिए तैयार हूं, उनकी कोई समिति बनाना चाहें तो समिति बनाने के लिए तैयार हूं।

यह बजट कल विधान सभा में पेश हुआ है आप इस बजट को देखिये सारे फाइनेन्सेज मेरे बनाये हुए नहीं हैं। आखिर तीस वर्षों की परम्परा चली आ रही है। जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति है उसमें 8 महीनों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया जिससे आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही हो। आखिर आम लोगों का बजट था जिसे हमने पिछली बार प्रस्तुत किया। उसी आधार पर हमने अपना बजट बनाया। जितनी रियायतें कर सकते थे वह करने की कोशिश की। कभी यह चिन्ता करके नहीं चले कि हम किसी प्रकार से किसान विरोधी कार्यवाही करें।

जो घटना कल हुई, उसके लिए मुझे दुःख है औरमैं खेद प्रकट करता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इससे सन्तोष होगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मुख्य मंत्री जी एक सवाल पूछना चाहता हूं···

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : बैठ जाओ, बैठ जाओ।

घोषणा

आय व्ययक 1978-79 पर सामान्य वाद-विवाद के लिये समय का बटवारा

श्री अध्यक्ष : बजट 1978–79 पर सामान्य वादविवाद हेतु समय के बंटवारे के संबंध में मेरी व्यवस्था है कि 4 दिनों में माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने हेतु लगभग 16 घंटे का समय उपलब्ध होगा। इस समय का दलवार सामान्य तौर पर इस प्रकार विभाजन करता हूं :

जनता पार्टी	–11 घंटे
कांग्रेस	–2½ घंटे
कांग्रेस (आई)	–1 घंटा
प्रगतिशील मोर्चा	–30 मिनट
सी. पी. एम.	–15 मिनट
सी. पी. आई.	–15 मिनट
निर्दलीय	–30 मिनट

श्री मूलचन्द डागा : विरोधी पार्टी को ज्यादा समय मिलना चाहिए।

श्री शिवचरण सिंह : आपने 30 मिनट केवल निर्दलीय सदस्यों को दिया वह बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष : 30 मिनट तो कोई रिजिड नहीं है। मेरा निर्णय नहीं है। सामान्यतः लगभग 30 मिनट के तो 35 मिनट 40 मिनट भी हो सकते हैं।

श्री शिवचरण सिंह : मैं आपका हुकम मानता हूं लेकिन....

श्री अध्यक्ष : मैं उदारता का व्यवहार करूंगा।

श्री शिवचरण सिंह : यह समय थोड़ा है। इसे संशोधित करके और बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले विरोधी दल को।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रगतिशील मोर्चा को आपने 30 मिनट दिये हैं। पहले भी आपने कहा था और उस समय आपने कहा था कि उदारता बरतूंगा लेकिन वह उदारता नहीं बरती गयी। उसके साथ ही साथ जो संशोधन प्रस्ताव रखा था उसके ऊपर भी नहीं बोलने दिया। यही उदारता है क्या ? आप तो चले जाते हैं . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। विरोधी दल के माननीय नेता यदि बोलना चाहें तो वह अवश्य बोल सकते हैं अन्यथा श्री रघुवीर सिंह जी बोलेंगे।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रगतिशील दल है उसको थोड़ा और समय देने की तो सोचें।

आय-व्ययक 1978-79 पर सामान्य वाद विवाद

श्री खेतसिंह राठौड (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट पेश किया · · · ·

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय मुख्य मंत्री जी यह चाहें कि आप बोलें तो मुझे आपत्ति नहीं है। सदन की परम्परा के अनुसार मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता बोलें तो वह बोल सकते हैं अन्यथा मैं सत्ता दल को बोलने का आदेश दे सकता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड : विरोधी दल के नेता कल बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपस में यह तय किया है कि आप बोलेंगे और विरोधी दल के नेता नहीं बोलेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड : वह कल बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जो वित्त मंत्री महोदय ने कल बजट पेश किया यह बजट निश्चित तौर पर बहुत ही निराशापूर्ण और दिशाहीन बजट है · · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस का लिखा हुआ है ?

श्री खेतसिंह राठौड : मैं तो बोल रहा हूं मेरी तरफ से।

न तो इस बजट में जनता पार्टी के द्वारा घोषित नीतियों के बारे में कोई भी बात कही गयी है और न जनता पार्टी ने जो चुनावों के वक्त में अपने घोषणा-पत्र में बातें दर्शाई थीं उनके बारे में भी इसमें कोई उल्लेख किया गया है। गत वर्ष जब बजट पेश हुआ था उस वक्त माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा था कि यह बजट तो सिर्फ 8 महीने का है। उन्होंने यह भी कहा था कि चूंकि कांग्रेस सरकार ने पहले बजट पेश कर दिया था इसलिए हमने इसमें कुछ संशोधन करके इस बजट को पेश किया है। हम सोचते थे कि जब नया बजट पेश होगा, जनता पार्टी जो एक साल के लिये अपना बजट पेश करेगी तो निश्चित तौर पर उस बजट के अन्दर वह इन सब बातों को अपने ध्यान में रखेगी। इन्होंने चुनाव के वक्त में यह जनता के सामने वायदा किया था कि हम आक्ट्राय ड्यूटी हटा देंगे, इन्होंने चुनाव के वक्त में यह कहा था कि हम सेल्स टैक्स हटा देंगे, इन्होंने चुनाव के वक्त में यह वायदा किया था कि

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, और यह भी कहा था कि हम सब गांवों के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था कर देंगे। मैं सोचता था कि इस बजट के अन्दर निश्चित तौर पर इन मुद्दों पर भी वित्त मंत्री जी अवश्य ही प्रकाश डालेंगे लेकिन जब यह सारा बजट पढ़ा तो निश्चित तौर पर हमें बहुत निराशा हुई। मुझे यह कहना पड़ेगा कि निश्चित तौर पर बहुत ही दिशाहीन बजट है। मैं नहीं कह सकता इसमें कोई दिशा दिखाई हो, यह दिशाहीन है। बजट वह अच्छा माना जाता है जिस बजट के अन्दर आम लोगों के हितों के लिये पर कैपिटा इन्कम के सोर्सेज बताये गये हों। बजट वह अच्छा माना जाता है जिसके अन्दर आम आदमी के बारे में कोई जिक्र किया गया हो। बजट वह अच्छा माना जाता है जिसके अन्दर रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान किये गये हों। बजट वह अच्छा माना जाता है जिसके अन्दर

(3.43 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बहुमुखी विकास को और आगे बढ़ाने के लिये कोई प्रावधान रखा हो। लेकिन जब हमने इस बजट को पढ़ा तो निश्चित तौर पर, मान्यवर, मैं कह सकता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं आपने इनके बारे में बजट में कुछ भी नहीं बतलाया है। निश्चित तौर पर इतना घाटा होते हुए भी आपने कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं दिया जिससे हम कहें कि इस बजट के अन्दर इन बातों के लिये कुछ तो किया है। हमें उम्मीद थी आपसे क्योंकि आपका वर्षों का तजुर्बा है, आप कुछ वर्ष हमारे साथ रहे हैं, बजट को बनाना जानते हैं लेकिन जब आप उधर गये तो निश्चित रूप से आप स्वयं दिशाहीन हो गये। आपमें कोई शक्ति नहीं रही है जिसके कारण बजट कुछ अच्छा बना सकते। इसके अन्दर कुछ ऐसी बात करते जिससे हम कहने को उत्सुक होते कि आपने कुछ किया है।

मान्यवर, 30 वर्षों के तजुर्बे के मुताबिक कह सकता हूं कि जब आम बजट पेश होता है तो साल भर, आने वाले वर्ष के अन्दर किन-किन मुद्दों पर क्या-क्या कार्यक्रम लिये जायेंगे, यह सारी बातें दर्शाई जाती हैं। आपने इस साल इस बजट के अन्दर कोई टैक्स लगाने की भी हिम्मत नहीं की। जिन लोगों के पास बहुत कुछ है उनके ऊपर टैक्स लगाने की आपको हिम्मत करनी चाहिये थी। जिनके पास कुछ नहीं है उनको आप और राहत देते तो कुछ समझ में आता। दक्षिण भारत के अन्दर जब आपकी पिटाई हुई तो आप घबरा गये और उस घबराहट के कारण आपकी हिम्मत नहीं हुई कि आप कोई नया टैक्स लगायें। सिर्फ मदिरा पर टैक्स लगाकर आपने बता दिया कि 2॥ करोड़ की आमदनी बढ़ा दी। आयरन ओर पर बिक्री कर बढ़ा दिया। यह तीन चार चीजें बताकर 6 करोड़ के टैक्स का प्रावधान रखा है। मैं आपसे कह सकता हूं कि जिस इरादे से आपने लाइसेन्स फी बढ़ाई है वह आमदनी आपकी होने वाली नहीं है। यह आपका कयास मात्र रहेगा। जो 6 करोड़ रुपये का लाभ सोच रहे हैं, वह होने वाला नहीं है। गत वर्ष जब आपने बजट पेश किया उस वक्त आपका 51 करोड़ 46 लाख का घाटा था। आपने उसके बाद में यह बात कही है कि वह घाटा हमने आगे

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कर दिया । आज आपने यह बताया है कि 22 करोड़ और 84 लाख का घाटा रहेगा । पेज नं. 27, पैरा नं. 67 के अन्दर आपने कहा है कि 'इस वर्ष के परिवर्तित अनुमानों में संभावित घाटा 51.46 करोड़ रुपया का था ।' आगे बढ़कर पेज नं. 28 पर आपने कहा है 'अतः कुल घाटे की मात्रा बढ़कर 61.85 करोड़ रुपये हो जानी चाहिये थी किन्तु प्रशासनिक खर्च में मितव्ययता, करों आदि की वसूली में सजगता बरतने तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण यह घाटा 22.84 करोड़ रुपये का रह जायेगा ।' मैं आपसे कहना चाहता हूं, मान्यवर, आपने स्वयं प्रश्न के जवाब में यह कहा था कि मितव्ययता से हमको 5 करोड़ का लाभ हुआ है । यह पांच करोड़ रुपये का लाभ कैसे हुआ ? आपने यह आदेश दे दिये कि जितने भी रिक्त स्थान हैं वे न भरे जायें । आपने यह आदेश दे दिये कि नई नियुक्तियां न की जायें । आज पूरे अध्यापक नहीं हैं । जहां 2 मास्टर बैठे हुए हैं, वहां लड़के 175 हैं । मेरे स्वयं के चुनाव क्षेत्र में कई स्कूल ऐसे हैं, मैं आपको ईमानदारी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे स्कूलों के अन्दर आपका पूरा स्टाफ नहीं है । मैंने मालूम किया कि इसका मुख्य कारण क्या है ? मुझे इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने कहा कि राज्य सरकार का आदेश है कि रिक्त स्थान न भरे जायें । इस प्रकार से अध्यापकों की कमी करके आप यह कहते हैं कि आपने मितव्ययता की है । यह कोई मितव्ययता नहीं है । उसके बाद आपने 39.01 करोड़ का सुधार कैसे कर दिया ? यह निश्चित रूप से कोई सुधार नहीं है जितनी योजनायें आपने मन्जूर की थीं चाहे पानी की हों, चाहे सड़कों की हों, चाहे बिल्डिंग्स की हों, चाहे वह स्कूलों के बारे में हों, इन सारी योजनाओं के अन्दर आपने निश्चित तौर पर बचत की । वह बचत अपने आप इसलिये हो गई कि फरवरी तक आपने मन्जूरियां नहीं निकालीं । इसकी वजह से कहते हैं कि हमने बचत की । पानी के महकमे में जब मैंने मालूम किया तो मालूम हुआ कि मुख्य मंत्री को समय नहीं मिलता, फाइलें निकल नहीं रही हैं । आपने उसकी आज तक मंजूरी नहीं निकाली जिसके कारण आपको 12.45 करोड़ रुपये की बचत हो गई । सड़कों का पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ । आपको ईमानदारी से कहता हूं कि आपने स्कूल खोले उनमें समय पर अध्यापक नहीं लगाये । इस बात से बचत हो गई । इसी तरह से आपने नई नियुक्तियां नहीं कीं, अस्पतालों में आपने आदमी नहीं भेजे, इसलिये अपने आप बचत हो गई, 39.01 करोड़ की बचत हो गई । इस तरह आप 22.84 करोड़ रुपये के घाटे की बात कहते हैं यह कोई तरीका नहीं है सरकार का काम करने का । आपने जो गत वर्ष के लिये पैसा रखा था उसको बचा-कर आप यह साबित करना चाहते हैं कि आपने बचत की है । उसके लिये आपने तीन बातें बतला दीं कि मितव्ययता कर दी, और करों आदि की वसूली में अच्छी प्रगति की इसलिये बचत कर दी और केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता प्राप्त की । वसूली के लिये मैं कहता हूं आपने सख्ती की है लेकिन मैं कहता हूं कि कांग्रेस राज्य में भी सख्ती हुई थी लेकिन इतनी सख्ती नहीं हुई थी कि गरीब की चीजें नीलाम हो जायं, यह आप के राज्य में हुआ है । आज राजस्थान में

(श्री खेतसिंह राठौड़)

तहसीलों में जहां वसूलियां की जा रही हैं वहां सारी वसूलियां एक साथ की जा रही हैं, कोआपरेटिव की वसूलियां की जा रही हैं, एस. टी. आर. की वसूलियां की जा रही हैं, पंचायत समितियों के द्वारा जो लोन दिया गया था, उसकी वसूलियां की जा रही हैं, बीगोड़ी की वसूलियां कर रहे हैं। यहां तक मैं कहूंगा मेरी तहसील में लगातार 18 साल अकाल रहा है लेकिन उस अकाल की वसूलियां भी आप एक मुश्त करने जा रहे हैं। लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन पर कुर्की निकाली जा रही है, उनके जानवरों को कुर्क किया जा रहा है और जानवर ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, उनके भगोने और देगचों तक कुर्क किये जा रहे हैं-इससे ज्यादा क्या जुल्म की पराकाष्ठा होगी। इससे भी ज्यादा जुल्म की पराकाष्ठा तो कल हुई जब किसान रैली पर लाठी चार्ज करवाया। मुख्य मंत्री जी ने सारी बातों को साइड ट्रेक कर दिया और यह कह दिया कि आपके राज्य ने क्या किया था, सांगरिया और भादरा में गोली चलाई थी। अगर आपको इसी से सन्तोष होता है तो आप भी गोलियां चलायें लेकिन मैं कह सकता हूं कांग्रेस के राज्य में 30 साल में जब कभी किसान विधान सभा के सामने आये हैं तो उनको इज्जत के साथ बुलाया गया और बातचीत की गई। आपने विधान सभा के सामने आये हुये किसानों पर लाठियां बरसाईं। आप जनतन्त्र की बात करते हैं और आप कहते हैं कि हमारी जनता की सरकार है तो उनको मिलने आने देना चाहिये था। अगर सैक्रेटेरियट में किसान गये होते और आप न मिलने देते तो कुछ समझ में आया होता। विधान सभा में आवाज उठाने का एकमात्र जनतन्त्र का तरीका है, वह उन्होंने अपनाया था। जनतन्त्र में यह तरीका विधान सभा के सदस्यों को आगाह करने का हुआ करता है। वे अपनी समस्याओं को लेकर आये थे तो समस्याओं को सुनना चाहिये था और उनका निराकरण करना चाहिये था लेकिन यह करना तो दूर रहा, आपने उन पर लाठी बरसाई और यह दहशत देने की कोशिश की कि आइन्दा शामिल होकर मत आना। यह कह कर प्रोफेसर साहब आपने गलती की है। अब आप ज्यादा रहने वाले नहीं हैं। न तो कोई आपने मितव्ययता की है और न आपने कोई सक्रियता बरती है। सक्रियता यह बरती है कि खूब जोरों से जुल्म करना शुरू कर दिया है। हमने कहीं जाकर 30 साल में जुल्म किये वहां आपने 8 महीने में जुल्म करना शुरू कर दिया....

श्री केदारनाथ (यातायात मंत्री) : यह ज्ञान देरी से आया आपको।

श्री किशनसिंह भाटी : आपने कबूल किया है।

श्री खेतसिंह राठौड : मैं निवेदन करना चाहता हूं फेमिली प्लानिंग में आपने कोई बात नहीं की। आप परिवार कल्याण योजना चलाना चाहते हैं। जो आबादी बढ़ती जा रही है, वह सबके लिये सोचने का विषय है। पिछले वर्षों में, हमारे वक्त में कुछ साथियों के साथ ज्यादती हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि जनता हमसे नाराज हो गई और उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। अब आपने इस महकमे को किस लिये रखा है? इस

(श्री खेतसिंह राठौड़)

महकमे को खतम कर दें, इससे एक करोड़ की बचत हो जायेगी। यह एक करोड़ का परिवार कल्याण का महकमा रख कर ढोंग कर रहे है। परिवार कल्याण में चाहें जितने बच्चे पैदा करें, उसको छूट दे दें। इस महकमे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह सही सलाह नहीं दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सही सलाह तो यह है कि देश के उत्थान के लिये कम बच्चे पैदा होने चाहिये लेकिन इस बात का यह तरीका नहीं है। दिल में तो मानते होंगे लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वोट आपने इसी आधार पर लिये है। बाकी न कोई कार्यक्रम था, न कोई दिशा थी, न यूनिटी थी, न दलबन्दी के हिसाब से एक विचार-धारा थी। महज इसलिये जीत गये कि एक तो 19 महीने जेल में रखे गये, यह एक सर्टिफिकेट मिल गया दूसरे नसबन्दी का कारण था। बाकी तो ये डिजर्व नहीं करते थे। वार्ड पंच बनने के भी काबिल नहीं थे और कूद-कर असेम्बली में आ गये। मैं कह सकता हूं अब आगे यदि चलना है तो निश्चित रूप से ऐसा कार्यक्रम लागू करें जिससे देश की समृद्धि बढ़े, लोगों का हित कर सकें और जो गरीब है उसको ऊपर उठाया जा सके। मुख्य मंत्री जी कहते हैं मैं जय प्रकाश का नुमाइन्दा हूं और जय प्रकाश जी से अच्छे अच्छे शब्द सीख लिये स्वास्थ्य मंत्री जी ने, इसीलिये अन्त्योदय योजना चलाई है। अन्त्योदय योजना में 5-5 परिवारों को छांटेंगे। पांच पांच परिवारों का चयन होगा। मुझे इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय कई माननीय सदस्यों ने राय प्रकट कर दी है। मैं कहना चाहूंगा, इस अन्त्योदय योजना में आपने क्या किया ? जो घोषणा की थी पहले उसमें यह कहा था कि पांच परिवारों को कोई धंधा देंगे ताकि वह धन्धा करके अपने परिवार को पाल सकें, अपनी आमदनी को बढ़ा सकें तथा गरीबी की रेखा पार करके आगे बढ़ सकें। आपने यह भी कहा था कि पेन्शन अलग से उन व्यक्तियों को देंगे जिनके पास आय का और कोई तरीका नहीं है। लेकिन जब इसका चयन किया, योजना प्रारम्भ की तो महज आपने पेन्शन दी है 40) रु.। आप उस गरीब परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना चाहते हैं तो क्या आप 40) रु. पेन्शन देकर ऊपर लाना चाहते हैं ? क्या उनको ऊपर लाने का यही तरीका है ? अन्त्योदय योजना के बारे में आज भाषण दिये जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता 40) रु. पेन्शन दे रहे हैं उससे वह कैसे गरीबी की रेखा को पार कर लेगा ? यह मेरे दिमाग में नहीं आता है कि जिसके औरत है, जिसके बच्चे हैं उसको आप 40) रु. देकर गरीबी की रेखा से ऊपर ला रहे हो।

आपने कहा 45 हजार को कर्जा दे दिया है और 45 हजार को और कर्जा दे देंगे। माननीय यातायात मंत्रीजी, आप अच्छी तरह जानते हैं रिजर्व बैंक ने आपको साफ मना कर दिया है। वह आपकी इस योजना को अप्रूव नहीं करते हैं। वे कहते हैं हमसे पूछ कर यह योजना नहीं ली गई है और न हमको जानकारी है इसलिये वह गारन्टी देने वाले नहीं

(श्री खेतसिंह राठौड़)

है। अब यह आपके लिये मुश्किल हो गया है। आप कहते हैं जामिन लावो। जमानत देने पर पैसा मिलेगा तो जामिन उससे पैसे खा जायेगा, जामिन उसकी भेड़ खा जायेगा, जामिन उसकी गायें खा जायेगा। ऐसी आपने यह फर्जी योजना राजस्थान में प्रारम्भ की है। इससे तो आपकी पोल खुल जायेगी। जो हाल हमारा परिवार नियोजन ने किया उसी प्रकार आपकी यह अन्त्योदय योजना आपका अन्त कर देगी। इसलिये मैं कहता हूं 104 गांवों की समृद्धि की, समग्र विकास की एक योजना ला रहे हैं। यह समग्र विकास का एक और नया अखाड़ा शुरू किया है। पहले तो अन्त्योदय योजना शुरू की। अब जयप्रकाश जी से स्वास्थ्य मंत्री जी योजना ले आते हैं और लाकर ऐसा नाम जोड़कर शुरू कर देते हैं। अब आपके पास 104 गांव की योजना है। 232 पंचायत समितियां हैं, उनमें से 104 गांव लेंगे तो एक समिति को एक गांव भी मिलने वाला नहीं है इसलिए विपक्ष के क्षेत्र में यह आपकी समग्र योजना प्रारम्भ होने वाली नहीं है। हमने 8 महीने में आपका काम करने का तरीका देख लिया है। आप कहते हैं हमने इतने स्कूल खोले हैं, आपने स्कूल क्या खोले हैं, मंजूरी तो हमने दी है। जितने आपने स्कूल खोले हैं, उनको भी हमने देख लिया। जितनी आपने डिस्पेन्सरीज खोली हैं उनको भी देख लिया। जितने आपने आयुर्वेदिक औषधालय खोलें हैं उनको भी देख लिया है। जितनी नई सड़कें खोली हैं, उनको भी देख लिया है। जितने नये अस्पताल खोले है, उनको भी देख लिया है। जितने नये बांध बनाये हैं उनको भी देख लिया है। जितने विकास के कार्य किये हैं उनको भी देख लिया है। प्रोफेसर साहब, आपको भी 20 साल का तजुर्बा हैं। मैं और आप आमने सामने बैठते थे, इत्तफाक से आज भी आप और मैं आमने सामने बैठे हैं। फर्क इतना ही है कि आप उधर बैठे हैं और मैं इधर बैठा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रोफेसर साहब, जब कभी हमने स्कूल खोले हैं, जब कभी हमने अन्य विकास के कार्य किये हैं तो विपक्ष का सदैव ध्यान रखा है। नये बांध बनाये हैं, तब भी विपक्ष का ध्यान रखा, नहरें बनाई हैं तो उनमें भी विपक्ष को पूरा हिस्सा दिया है, सड़कों में विपक्ष को हिस्सा दिया है। हर विकास के कार्य में विपक्ष का ध्यान रखा है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, वित्त मंत्री जी, आपने स्कूलों में, सड़कों में, आयुर्वेदिक औषधालयों में, जितने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोले हैं उन सबके अन्दर पक्षपात बरता है। इस लिमिट तक बरता है कि विपक्ष के दो माननीय सदस्य हैं, उनके इलाके में कहीं पर एक आध चीज दे दी तो कोई बात नहीं है लेकिन हमको तो कुछ नहीं दिया और हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब इस तरह से करते हैं तभी जाकर यह भावना पैदा होती है, जो कि हमने यहां पर बात कही थी। यह मरु प्रदेश कायम करने की आवाज क्यों आती है? इसका मुख्य कारण यही है कि आपकी आठ महीनों की कथनी और करनी में फर्क है। इसका मुख्य कारण यही है कि आपके काम करने का जरिया एक तरफा है। आपके अन्दर अभी तक वह बात नहीं आई जो आनी चाहिए, न आपके अन्दर बड़प्पन आया है जो एक मंत्री होने के बाद आना चाहिए था। आपको भी हमका

(श्री खेतसिंह राठौड़)
उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जिस तरह से हम करते थे। अगर आप हमारे इलाकों में काम कराते, भले ही हमारी मार्फत नहीं कराते, अपने कार्यकर्त्ताओं के मार्फत भी कराते तो भी हमको खुशी होती। हमने जो काम किए, प्रोफेसर साहब, आपको पूछ कर किए हैं और आपके कहने से किए हैं। आप हमको न कोई बात पूछते हैं, न कोई बात करते हैं। इस तरह से पूरे डिविजन को नजर अन्दाज कर रखा है। इसी का नतीजा है कि लोगों के अन्दर रोष है। इसी का नतीजा है कि आज लोग बार बार इस आवाज को उठाते हैं कि हमारा मरु प्रदेश अलग होना चाहिए। इसलिए खास तौर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकास की इस गति के अन्दर सब को बराबर समझना चाहिए। आपने स्वयं ने अपने भाषण में यह बात कही थी कि हम सब का सहयोग चाहते हैं। आपने स्वयं ने अपने भाषण में यह बात कही थी कि हम विपक्ष का हर मामले के अन्दर विश्वास हासिल करके काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि आप हमसे इतना कतराते हैं कि हमसे बात तक नहीं करना चाहते, न आप हमको तरजीह देते हैं। अगर आपको हम कभी टेलीफोन भी कर देते हैं तो आपका पी.ए. यही कह देता है कि साहब अभी नहीं है। साहब बाहर पधारे हुए हैं। मुख्य मंत्रीजी की तो यहां पर बात करना ही फिजूल है...

श्री केदारनाथ : मैंने तो आपको भोजन भी कराया है, आपको खीर खिलाई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं जानना चाहता हूं कि आप अभी कितना समय और लेंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : पांच मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री टीकमचन्द कान्त : मुख्य मंत्रीजी, आपसे जितनी बात करते हैं उतनी और किसी से नहीं करते, हमने तो यह सुना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। आपने इसमें कहा है कि हम सहकारिता को मजबूत करना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि आपने सहकारिता का गला घोंट दिया है। आपको इतने महीने हो गए, एक भी संस्था का आपने चुनाव नहीं कराया आप इनको लिए बैठे हैं।

आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है कि जल्दी ही चुनाव करा देंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपका यह फर्ज है और आपका यह दायित्व है कि जब आपने शुरुआत की थी तभी आप इनके चुनाव करा देते। गर्मी के दिन आ रहे हैं, वापस खरीफ की फसल आने वाली है, चुनावों में देरी होने से जो शोर्ट टर्म लोन किसानों को चाहिए वह नहीं मिल सकेगा। इनमें देरी लगेगी तो निर्धन लोगों को, गांव वाले लोगों को समय पर कर्जा नहीं मिलेगा। अगर कर्जा नहीं मिला तो किसान काश्त नहीं कर सकेंगे। इससे आपको भारी नुकसान होने वाला है।

आपने इसमें जो काम के बदले गेहूं देने की बात कही है, इसमें आपका क्या बड़प्पन है? हमारी सरकार ने लेवी से काफी गेहूं लेकर गोदाम भर दिया था। आपके कोठार भरे हुए हैं। गेहूं सड़ रहा है। सड़ा हुआ गेहूं कोई भी काम नहीं आने वाला है।

(श्री खेतसिंह राठौड)

आपने कहा है कि हम अकाल राहत कार्यों में लोगों को गेहूं दे करके उनसे काम लेंगे। लेकिन खाली गेहूं देने में काम नहीं चलने वाला है। सड़ा हुआ गेहूं खाने से इंसान और बीमार पड़ेंगे और अगर बाजार में बेचेंगे तो भाव और कम आएगा। उस गरीब को एक रुपया भी दिन का नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको मजदूरी रोकड़ में देनी चाहिए। गेहूं देने वाला जो आपने प्रावधान किया है वह गलत है, यह लोगों को गुमराह करने का प्रावधान है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर गेहूं ही देना है तो अच्छा गेहूं देना चाहिए।

खादी के लिए आपने जो प्रावधान किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन खादी के लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खादी का कार्य भी वहीं शुरू करना चाहिए जहां ऊन होती है, जहां पर ऊन के केन्द्र हैं और वह इलाका मरुस्थल है, वह इलाका मारवाड़ का क्षेत्र है जहां रेगिस्तान है, जहां ऊनी खादी का खास एरिया है। मैं कहूं आपको कि बजट में आपने बहुत बड़ा 11 करोड़ का प्रावधान रखा है लेकिन हमारे इलाके के अन्दर आपने इस दृष्टि से कोई भी कार्य इन आठ महीनों में शुरू नहीं किया है जब कि वहां सबसे ज्यादा खादी होती है, वहां पर सबसे ज्यादा ऊन होती है और वहां पर सबसे ज्यादा भेड़ें हैं। वहां की ऊन दूर दूर तक ब्यावर और दूसरे शहरों में भेजी जाती है। यह आपका फर्ज हो जाता है, यह आपका दायित्व हो जाता है कि आप उन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा ऊन कताई का कार्य शुरू करावें ताकि गरीब लोगों को रोजगार मिल सके, लोग कताई करके अपना भरण-पोषण कर सकें। यह कार्य भी जहां होना चाहिए वहां पर नहीं हुआ है और जहां नहीं होना चाहिए वहां आप किए जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस ओर भी ध्यान दीजिए।

आपने इस साल कुल मिलाकर 845 प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रावधान रखा है। 845 प्राइमरी स्कूलों में एक एक पंचायत समिति में तीन या चार प्राइमरी स्कूल आयेंगे। इससे ज्यादा प्राइमरी स्कूल आने वाले नहीं हैं जबकि प्राइमरी स्कूलों की इतनी मांग है, जब कि प्रति वर्ष एक करोड़ से ज्यादा आबादी देश में बढ़ती जा रही है। इन सब हालात में आपको हजारों की संख्या में स्कूल खोलने चाहिए। हमारे वक्त में हमने कभी पांच हजार से कम स्कूल नहीं खोले। 845 स्कूल खोल कर कौनसा बड़ा काम कर रहे हैं, कौन सा विकास का नया तरीका ढूंढ़ रहे हैं? आपने जो मिडिल स्कूल खोलने का प्रावधान रखा है जिससे एक एक मिडिल स्कूल भी एक पंचायत समिति को प्राप्त नहीं होगा। इससे झगड़े बढ़ेंगे। इससे तो अच्छा था कि आप न मिडिल स्कूल खोलते और न प्राइमरी स्कूल खोलते। इससे झगड़े तो बढ़ेंगे और

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लाभ किसी को नहीं होने वाला है।

मैं आपसे कहूंगा, कुल मिला कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि न आपकी इस राज्य पर पकड़ आई है, न आपके कमाण्ड के

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अन्दर अफसरशाही है। जैसा अफसरशाही ने चाहा उसी तरह से लिख कर आपको आंकड़े दे दिये और आपने वह यहां पर रख दिए। आप भले ही दिल से चाहते होंगे कि विकास होना चाहिए लेकिन आपसे इस बात का प्रावधान नहीं हो रहा है। आपको डर है कि अगर नए टैक्स लगायेंगे तो एजीटेशन हो जाएगा। इसलिए इस घबराहट में जो भी आंकड़े एकत्रित हुए उनको लेकर यहां पर पेश कर दिया। जैसे तैसे इस साल को पूरा करना है आपको तो। इस देश की समृद्धि के लिए, इस राजस्थान प्रदेश की समृद्धि के लिए न आपके पास कोई योजना है और न आप आगे कुछ करने वाले हैं। इसलिए मेरा निश्चित रूप से यह मानना है कि यह बजट निराशापूर्ण है, न इसमें स्कूल हैं, न अस्पताल हैं, न और कुछ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

विकास का सारा कार्य ठप्प हो जाएगा। यह बजट निराशापूर्ण होने के कारण, दिशाहीन होने के कारण मैं निश्चित रूप से निवेदन करूंगा कि यह बजट अच्छा बजट पेश नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान का एक अभिनव बजट प्रस्तुत किया है जो ग्रामोन्मुखी है, जो विकासोन्मुखी है। इस वर्ष विकास व्यय 507.84 करोड़ किया जा रहा है जो समग्र बजट का 70.04 पर्सेन्ट है और सारे विकास व्यय का 64.40 पर्सेन्ट ग्राम विकास पर खर्च होगा। ग्राम विकास के लिए जितने प्रावधान इस बजट में रखे गए हैं वह जनता पार्टी की रीति नीति के अनुकूल है। मेरे विचार में ऐसा ग्रामोन्मुखी बजट अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया। अब तक हम अन्त्योदय योजना की बात कर रहे थे। अन्त्योदय योजना के नाम से हमारे माननीय विरोधी दल के सदस्यों को बड़ी चिढ़ होती है। अन्त्योदय योजना की क्रियान्विति करने में मैं भी एक सदस्य हूं, विधान सभा का सदस्य होने के नाते मुझे भी गांव गांव जाने का अवसर मिला है। इस योजना का नाम सुनते ही गांव में आदमी के अन्दर आत्म विश्वास पैदा होता है। यह उनके मन में जनता पार्टी की सरकार के लिए आस्था पैदा करती है। मैं समझता हूं कि जो अन्त्योदय योजना के सब से ज्यादा आलोचक हैं, माननीय खेतसिंह जी, उनकी बात मैं इसलिए समझ सकता हूं, क्योंकि उन्होंने भी अन्त्योदय योजना के बारे में गांव वालों से बात की होगी और उन्हें यह लगा होगा कि जमीन उनके पैरों से खिसक रही है। किसानों को यह विश्वास होने लगा है कि उनकी चिन्ता की जाने लगी है। अब केवल हवा में ही बात नहीं हो रही है। दरअसल में गिनती में पांच परिवारों का विकास होगा। अन्त्योदय योजना चल ही रही थी कि अब ग्राम समग्र विकास योजना आ गई है, ग्रामोदय योजना। ग्राम एक तो हमारे समाज की निम्नतम इकाई है, गरीब इकाई, और वही राज्य की निम्नतम इकाई है वहां तक भी हम पहुंच रहे हैं। समग्र ग्रामोदय योजना, अन्त्योदय योजना दोनों ही एक दूसरे की पूरक हैं। यह दोनों योजनाएं एक

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

दूसरे की पूरक योजनाएं हैं। यह दोनों योजनाएं हमारे गांवों के विकास के लिए बनी हैं। इन दोनों योजनाओं के आधार पर निम्नतम आधार पर योजना निर्माण का हमारा लक्ष्य पूरा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय योजना वास्तव में कोई योजना नहीं है। अन्त्योदय योजना एक दर्शन है और जब दर्शन को व्यवहार में लाया जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, तब बड़ी कठिनाई होती है। कैसा भी दर्शन हो, चाहे वह जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, उसको व्यवहार में लाते हैं तो कठिनाई होती है। अन्त्योदय योजना के बारे में इसी प्रकार की कठिनाई हमारे सामने आ रही है। मैं विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे पोलिटिकल इश्यू न बनाया जाए। यह योजना गरीबों का उत्थान करने के लिए है। राजस्थान से गरीबी को हटाने के लिए है। इसमें उनको भी भागीदार बनना चाहिए जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल के विधायक है। हमारे मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत हैं, विरोधी दल के सदस्यों को यह डर है कि कहीं यह योजना सफल हो गई तो मुख्य मंत्री को यश मिलेगा। मुख्य मंत्री को यश मिलेगा तो यह राजस्थान को यश मिलेगा। इस यश में बराबर के भागीदार आप भी होंगे। इसलिए सभी इस अन्त्योदय योजना को सफल बनावें और उसमें सभी प्रकार की सहायता करें। गरीबी को हमारे प्रदेश से दूर करने के लिए उनका भी उतना ही अधिकार है, जितना सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों का है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो योजना बनी है। इस योजना में सब की बराबर की भागीदारी रही तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के बाहर अन्त्योदय योजना का नाम आएगा तो उनको भी उतना ही यश प्राप्त होगा जितना मुख्य मंत्री जी को प्राप्त होगा। इसलिए इस योजना की क्रियान्विति के लिए, इसके बारे में हमें ठीक प्रकार से विचार करना पड़ेगा। यह योजना पाखंड है, कुछ नहीं है, यह बात विरोधी दल के सदस्य जब कहते हैं तो मेरी समझ में यह बात आती है कि उन्होंने अब तक जो योजनाएं चलाई हैं, वे कभी पूरी नहीं हुई हैं। एक रजत जयन्ती गांव छांटा था। एक एक पंचायत समिति क्षेत्र में दो रजत जयन्ती गांव छांटे गये थे। उनमें मेरा भी एक गांव था। उनका चयन इसलिए किया गया था कि उनका समग्र विकास होगा, किन्तु चयन करने के बाद, उन गांवों की तरफ इन्होंने देखा भी नहीं। इसलिए जैसा करते आए हैं, वैसा ही विचार करते हैं। किन्तु जनता पार्टी की सरकार ने जो काम हाथ में लिया है, उसको क्रियान्वित करने के लिए, अन्त्योदय योजना हाथ में ली गई है। इसके लिए मुख्य मंत्री दूसरे प्रदेशों में भी गये हैं। इस बारे में उन्होंने उद्योगपतियों से भी बात की है। अन्त्योदय योजना में जो परिवार आये हैं, उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए, मकान बनाने के लिए उद्योगपतियों को विश्वास में लिया है ताकि जो निर्धनतम परिवार हैं, उनकी समृद्धि हो, विकास हो।

माननीय उपाध्यक्ष, अभी माननीय खेतसिंह जी एक बात कह रहे थे कि विकास में उनके क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है।...

एक माननीय सदस्य : इसलिए तो खेत रहे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं उनको मदान में ला रहा हूं।

पहले तो विकास में उनके क्षेत्र की उपेक्षा की जो बात है, उसके संबंध में निवेदन है कि हर क्षेत्र का विकास हो, किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा न हो, यह जनता पार्टी की नीति है। इसी नीति के आधार पर सरकार ने स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की जो योजना बनाई है, उसके अन्तर्गत एक क्राइटेरिया तय किया गया है। उसी क्राइटेरिया के आधार पर स्कूल खोले जाएंगे, स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे, डिस्पेन्सरियां खोली जाएंगी। यह नहीं होगा कि जनता पार्टी के विधायक के क्षेत्र में तो विकास हो जाए और कांग्रेस के विधायक के क्षेत्र में काम नहीं हो। उनका जो डर है, वह मैं समझता हूं। उन्होंने ऐसा ही किया है सत्ता में रहते हुए किन्तु जनता पार्टी ने चार सौ की आबादी वाले प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल खोलने का तय किया है। दो हजार की आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक मिडिल स्कूल खोलने का निर्णय किया है। तीन हजार की आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक हाई स्कूल होगा, माध्यमिक स्कूल होगा। एक क्राइटेरिया तय कर दिया गया है और उसके अन्तर्गत ही क्षेत्र छांटे जाएंगे। इसलिए यह सोचना कि हमारे क्षेत्र की उपेक्षा होगी, गलत है। इसके अन्तर्गत चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह क्षेत्र माननीय कांग्रेसी सदस्य का हो, चाहे जनता पार्टी के सदस्य का हो, इस क्राइटेरिया में जो आएगा, वहां पर स्कूल खोले जाएंगे। इसी प्रकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं। हर पंचायत समिति क्षेत्र में दो डिस्पेन्सरियां और एक एडपोस्ट होगी। उनकी बात समझ में आती है क्योंकि उनके क्षेत्र में पहले से ही डिस्पेन्सरियां हैं इसलिए अब वहां पर नहीं खुल सकेंगी। उनकी नाराजगी इसी बात पर है, यह मैं समझता हूं। परन्तु इससे क्षेत्रीय संतुलन बनेगा। अब तक क्षेत्रीय असन्तुलन हो गया था क्योंकि किन्हीं किन्हीं पंचायत समिति क्षेत्र में 6 डिस्पेन्सरियां हैं। भीनवाड़ा जाइये, छोटे-छोटे गांव मे हाई स्कूल है। चाहे वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थी 15 ही हों लेकिन वहां स्कूल है। इससे क्षेत्रीय असन्तुलन हो गया। इसलिए जो निश्चित क्राइटेरिया हमारे बजट में बनाया गया है स्कूल खोलने का, स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का, यह जो क्राइटेरिया है, उससे क्षेत्रीय असन्तुलन दूर होगा।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, एक आलोचना माननीय सदस्य ने की है, मैं भी इससे सहमत हूं कि जो स्कूल खुलेंगे उनमें अध्यापकों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस वर्ष स्कूलों में अध्यापकों की उचित व्यवस्था नहीं रही, इसके कारण गांव के लोगों के बच्चों की शिक्षा समुचित प्रकार से नही हो पाई। यदि पढ़ाई में बच्चा प्रारम्भ से ही कमजोर रह जाता है तो उसका भविष्य अन्धकारमय हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी क्रियान्विति में सरकार यह ध्यान रखे कि गांव के स्कूलों की उपेक्षा न हो। गांवों में अच्छे डाक्टर, मास्टर नहीं जा रहे हैं, न जाना चाहते हैं, कर्मचारी नहीं जाना चाहते। क्यों जाएं? गांवों में सुविधा क्या है? आज शहरों में उनके बच्चों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था है। उनको यहां पर पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलता है, बिजली है, यातायात के साधन हैं, अच्छे मकान हैं, मनोरंजन के साधन हैं। ये

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)
सारे साधन आज शहरों में उपलब्ध हैं, गांवों में इन साधनों का अभाव है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं, निवेदन कर देना चाहता हूं कि कोई भी वक्ता दस मिनट से अधिक समय न ले क्योंकि सूची में काफी सदस्य हैं। यह देखा गया है कि वक्ता महोदय काफी समय ले लेते हैं और दूसरे सदस्यों को, जो बाद में बोलते हैं, समय नहीं मिलता। इसलिए समय का ध्यान रखें और दस मिनट से अधिक समय न लें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : गांव में इन सब बातों का अभाव है। वहां पर अच्छे डाक्टर, डाक्टरनी नहीं हैं। शहरों की सुविधाओं का अभाव है। यहां पर मकान भत्ते की सुविधा मिलती है। इसलिए गांवों में अच्छे डाक्टर, डाक्टरनियों को भेजने के लिए, उनको गांव की तरफ आकर्षित करने के लिए रूरल अलाउन्स उनको दिया जाना चाहिए ताकि गांव में जाने का उनका आकर्षण बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मरु क्षेत्र के विकास की बात चली है। मरु क्षेत्र के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उनको यह सुन कर प्रसन्नता होनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए था कि जिस मरु क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने सैकड़ों, हजारों टन रद्दी बेकार कर दी, वर्ल्ड बैंक की टीम निरीक्षण कर गई और वे आज तक कुछ नहीं कर पाये किन्तु 11 करोड़ रुपये का प्रावधान मरु क्षेत्र के विकास के लिए जनता सरकार ने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स की बात आई है। मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शराब पर टैक्स बढ़ा कर एक साहसिक कदम उठाया है। आम जनता पर किसी टैक्स का भार नहीं आया है किन्तु फिर भी किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली है। किसानों को, वित्त मन्त्री जी, आपने सुविधा देने की बात कह कर उनमें आत्म विश्वास पैदा किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन अभी तक सुविधा मिली नहीं है। मैं पिछले 15 साल से मांग कर रहा हूं लेकिन खुशहाली टैक्स अभी तक हटाया नहीं गया है। पंजाब में ट्राली और ट्रैक्टर पर टैक्स नहीं है। राजस्थान के किसान पंजाब से ट्रैक्टर ला रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज आप सम्भवतः यह साहसिक कदम नहीं उठा पा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा।

बजट में गांव के गरीब किसान की चिन्ता की गई है लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा, पर्यटन की कोई चर्चा नहीं की गई है। राज्यपाल महोदय ने पर्यटन निगम बनाने की चर्चा की थी। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से संसार का सर्वोत्तम स्थान है। एक भी विदेशी मुद्रा आती है एक भी डालर आता है तो वह नाई, धोबी, रिक्शावाला, फर्राश, इन सब को जाती है। उससे हमारी पूंजी बढ़ती है। मैं निवेदन करूंगा कि जब बजट पर हुए वाद-विवाद का उत्तर दें तो अगर आपको घाटे का डर है, तो आप इसे

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

उद्योग घोषित करें। अगर आप घोषणा नहीं करें तो सदन के चार सदस्यों की एक समिति बना दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बजट के सभी घाटों को पूरा किया जा सकता है और यह बताया जा सकता है, गांवों की योजना क्या बनेगी, किस प्रकार का उद्योग लगेगा और जनता किस प्रकार से राहत प्राप्त करेगी।

बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है। जितने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है उसके बारे में मैं निवेदन करूं कि यह अल्प संख्या है। ढाई करोड़ की जनता में यह अल्प संख्या है। किन्तु फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप बेरोजगारी को कार्यक्रम बनाकर खतम कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अन्त में मैं वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देता हुआ समाप्त करता हूं।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, 12 साल के बाद बजट पर बोलने का मौका मिला है। उस समय योजना परिव्यय 17–18 करोड़ का था और अब यह 194.24 करोड़ का हो गया है। इतना विकास का खर्चा बताने के बाद 30 साल में जो भूतपूर्व कांग्रेस सरकार थी उसने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। जिस झालावाड़ जिले से मैं आता हूं, उस जिले में 12 महीने बहने वाली छोटी छोटी नदियां हैं जिनके किनारे किसानों की खेती है। अगर यह सरकार कृषि के विकास पर ध्यान देती तो वहां पर बहुत विकास हो सकता था। बिजली हमारे घर के पास से आती है। रावतभाटा डैम से आती है लेकिन ढंग से झालावाड़ जिला 50 किलोमीटर दूर होते हुए वहां पर बिजली नहीं दी गई है। इस जिले में महाराजा श्री हरिश्चन्द्र पैदा हुए थे। यह झालावाड़ जिला हमेशा से उपेक्षित रहा है। मैं भी पहले वहां से चुनाव जीत कर आया था और इन्हीं सत्ता पक्ष की सीटों पर बैठकर बोलता था। लेकिन मुझे गलत सिद्धान्त व शर्तें बरदाश्त नहीं हुईं। जब नेता जी कहते थे कि बेकारी और अशिक्षा को मिटायेंगे तो जनता गलत समझती थी। मगर वह अपने बेटे की बात सोचते थे। अभी 194.24 करोड़ का विकास व्यय का बजट पेश हुआ है यह कागजी बजट है। मेरा निवेदन है कि समान रूप से निष्पक्ष भाव से बजट को योजनाओं पर खर्च करें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं सत्ता पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं। हमारे विरोधी पक्ष के लोग आपको गलत तरीके पर चलाना चाहते हैं, जोर जोर से बोलकर यह सिखाना चाहते हैं कि हम जिस रास्ते पर चले हैं, उसी रास्ते पर जनता सरकार के मन्त्री लोग भी चलें। तो जो दिन हमने देखा है, वही इनके लिए भी आ जाय। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनके कहने के रास्ते पर नहीं चलें। अपने विश्वास पर चलें। किसी क्षेत्र में काम करना है तो वहां के सदस्य को विश्वास में लेकर काम करें। मेरे क्षेत्र में क्या निर्माण कार्य होंगे, कल निर्माण मन्त्री जी महोदय इसका जवाब दें। अब तो निर्माण के आंकड़े आ गये होंगे उनमें से अधूरे कामों को पूरा करने के लिये मन्त्री जी लिख दें तो काम पूरे हो जायेंगे। आज अधूरा काम जहां का तहां पड़ा हुआ है। मैं गया तो लोगों ने पुनः मांग की कि आप

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

वह काम पूरा करायें। मैं जनता का काम पूरा कराने की जिम्मेदारी लेकर आया हूं। मुझे जनता पार्टी की घोषणा पर विश्वास है। जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि वह निश्चित रूप से काम करे।

हमारे गांव में विद्युत् योजना नहीं पहुंची है। विद्युत् मन्त्री श्री सम्पतराम जी ने कह दिया था कि इसी महीने में विद्युत् का काम चालू हो जायगा। तीन महीने हो गये हैं मगर काम चालू होने की अभी कोई सम्भावना नजर नहीं आती है। अब यह विभाग दूसरे मंत्री जी के हाथ में आ गया है। अब यह भी कहते हैं कि यह आश्वासन तो भूतपूर्व मन्त्री ने दिया था।

श्री मूलचन्द डागा : कहने वाले के खिलाफ कमेटी में रिपोर्ट करो।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मैंने झालावाड जिले के बारे में मुख्य मन्त्री महोदय से मांग की थी कि वहां अफीम के डोडे के छिलकों से कागज बनाने का एक कारखाना लगा दें तो लोगों को काम मिल जाएगा। कागज का कारखाना केलवर में लगाया है। जहां अफीम होती है, वहां के बारे में वित्त मन्त्री जी को निवेदन है, ऐसा कारखाना लगाने पर वह अवश्य विचार करें।

पंचायतों के चुनाव हुए, बड़ी खुशी की बात है। कांग्रेस सरकार ने 13 वर्ष तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराये। कांग्रेस के सदस्य जनतन्त्र की दुहाई देते है लेकिन उन्होंने प्रजातन्त्र का गला घोट दिया। पंचायतों के चुनाव हुए तो एक बात हो गई। पुराने सरपंचों में से पांच पांच और सात सात की संख्या में खड़े होकर, कुछ धोखा घड़ी से पुराने सरपंच आ गये। अब जनता उन पुराने आदमियों को देख कर आश्चर्यचकित हो गई है। यह आदमी पुनः आ गये हैं, मगर आ गये हैं। मैं पंचायत मंत्रीजी से आशा करूंगा कि 13 साल के गबन घोटालों का आडिट नहीं हुआ है इसलिये जो पुराने सरपंचों के वक्त के हिसाब की पहले तो जांच की जाय, उसका आडिट किया जाय जिससे पुराने आदमियों के कारनामे सामने आ सकें। उनको सस्पेण्ड तो नहीं कर सकते लेकिन जांच तो उनके खिलाफ करवाई जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस का रवैया बदलना चाहिये। मैंने देखा है कि पुराने जमाने में पुलिस के किस प्रकार के अत्याचार होते थे, महिलाओं को नंगा किया जाता था और उनके गुप्तांगों में मिर्ची डाल दी जाती थी। यह सब पिछली सरकार ने किया, गांवों के गांव उजाड़ दिये थे। इनको बहुत से हथियार भी मिले थे। अब इनसे पूछिये कि वह हथियार कहां गये? लाखों की सम्पत्ति थी, वह कहां गई? पुलिस के अत्याचारों को दबाने के लिये इस हाउस में झूठा आश्वासन दिया गया था कि जांच करवायेंगे, मगर उसका कोई फल नहीं निकला। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस को अपना रवैया बदलना चाहिये। आज भी पुलिस में पुराने जमाने के अधिकारी है। मैं कहना नहीं चाहता था, उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मुझे गृह मंत्रीजी महोदय ने आश्वासन दे दिया है और मुख्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि सही तरीके से जांच करवायेंगे। लेकिन · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, जरा सी बात और है

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

अजमेर के अन्दर 24 तारीख को बाबू लाल थानेदार, जिसे पहले पांच साल मर्डर केस में सस्पेण्ड रखा था, को जनता पार्टी की सरकार ने बहाल कर दिया। वह ड्यूटी पर चला। उसने क्या किया? वह हिस्ट्री शीटर है। वह पालनपुर से भागा हुआ था, दो साल से अजमेर में रह रहा था। वह जानता था कि चोरी कौन करता है, चोरियां हुई अजमेर में तो उसने क्या किया, रेलवे कालोनी में जो अधिकतर रेलवे कर्मचारी अनुसूचित जनजाति के थे, जो निर्दोष थे उनके ऊपर उसने हमला किया, उनके डण्डे मारे और सरे बाजार उनको थाने में ले गया। उनके बिजली के करेन्ट लगाये। जो लोग सरकार में ड्यूटी दे रहे थे ···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनके साथ मारपीट की गई। उसके बारे में होम मिनिस्टर साहब को तार दिया गया। उसके बाद उनको छोड़ा। अभी भी कुछ लोगों को इतना मारा है और उनको छोड़ा नहीं गया है·····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, उनको रिमाण्ड लेकर बाद में छोड़ा गया। अजमेर पुलिस ने आई.जी. को झूठ-मूठ कह दिया कि चोरी का माल बरामद हो रहा है। होम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि ऐसा हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावा करता हूं कि चोर कोई और है और अत्याचार उन अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किये गये। जिस प्रकार के अत्याचार पुलिस राजाशाही के जमाने में करती थी वह अब भी कर रही है। यह पुलिस के लिये बहुत बदनामी की बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए आप इसकी जांच करवाइये। कोई चोरी करता है तो उसको सजा दीजिये लेकिन बाबूलालजी, जिसने जुल्म किये हैं, को सस्पेन्ड करिये और सी. आई. डी. से इन्क्वायरी करवाइए।

इतना कह कर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बार-बार घंटी बजाने के बाद भी मैं बोलता रहा, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया उसके लिये माफी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीशकुमार शर्मा।

श्री हरीश कुमार शर्मा (रामगंज मंडी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बजट पढ़ा था। विद्यार्थियों के बारे में और शिक्षण-संस्थाओं के बारे में बजट से पूर्व कहा गया था विचार किया जायगा, लेकिन बजट प्रस्तावों में इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बजट ग्रामीण जन जीवन की ओर आगे बढ़ा है। राजस्व अभियान और सिंचाई योजनाओं में जो ग्रामीण जनता सदियों से पिछड़ रही थी और जिसकी साज-संभाल करने वाला कोई नहीं था, उसी ग्रामीण जनता के जब अधिकारी लोग गांव-गांव में जाकर कार्य करने लगे और उनकी समस्याओं को सुलझाने लगे तो उन्होंने आभास किया कि इधर भी सूर्योदय हुआ है। जिनकी ओर अधिकारियों का रुख नहीं होता था उनकी

(श्री हरीश कुमार शर्मा)

समस्याओं से अधिकारी चिन्तित होने लगे हैं, यह खुशी की बात है। आज उनमें लोक तन्त्र के प्रति आस्था पैदा हुई है। जो मानसिक रूप से गुलाम थे और सरकारी अधिकारियों के सामने हाथ जोड़े और साफा उतार कर खड़े रहते थे, आज उनमें स्वाभिमान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत ही अच्छी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, कोटा एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर पानी की कमी नहीं है। वहां पर तकनीकी शिक्षा का विकास किया जाना चाहिये। वहां पर पोलीटेक्निक स्कूल खोला जाय, इन्जीनियरिंग कालेज खोला जाय, वहां के लोगों को हेवी वाटर की ट्रेनिंग दी जाय, वहां के नौजवानों को तैयार किया जाय ताकि उन्हें औद्योगिक संस्थाओं में खपाया जा सके। इस बजट में इस पर कोई विचार नहीं किया गया है, कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

जब हम गांवों की बेकारी की समस्या के बारे में विचार करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि पंचायतों को जो अधिक पैसा दिया गया है जिससे वहां विकास कार्य होंगे और वहां के लोगों को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे गांव के आदमियों को खुशी होगी।

सड़कों के बारे में निवेदन करूं, मेरे क्षेत्र में 13 किलोमीटर लम्बी एक सड़क में से 6 किलोमीटर के लिए तो प्रावधान किया लेकिन सात किलोमीटर के लिए नहीं किया। ऐसी बात क्यों? ग्रामीण जन-जीवन जंगलों में रहता है, जंगलों की हालत यह है कि गांव के लोगों को जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं मिलती है, आज यह स्थिति है।

फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन करूंगा और वित्त मन्त्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गांवों और किसानों की ओर देखा है, ट्रोली टैक्स कम किया है और शराब पर टैक्स बढ़ाया है। मेरे क्षेत्र को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाता तो अच्छा होता।

एक माननीय सदस्य : मजदूर बहुत हैं, उनके पास पैसा है, वह शराब पीते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : रात को नींद आती है या नहीं? भंवरलाल को तो बीमारी हो गई है, उनको नींद नहीं आती है।

श्री हरीश कुमार शर्मा : हमारा क्षेत्र आज भी पानी के अभाव से पीड़ित है। राज्य और केन्द्र की ओर हमारी निगाहें हैं। उसके बावजूद जल प्रदाय योजनाओं को आखिर हम कब तक पूरा कर सकेंगे, कब तक गांव वालों को पानी दिला सकेंगे, इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं। सिंचाई मंत्री से भी मैं कहूंगा कि जितना पानी जो फालतू जाने से रोका जा सकता है, एनीकट्स बनाकर उस पानी को रोक कर उस क्षेत्र को सिंचाई के योग्य बनाया जाए। मेरे क्षेत्र में बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उन पर पुल बनाए जा सकते हैं, बंध बनाए जा सकते हैं। बांध बनाकर एक लाख एकड़ भूमि सिंचित की जा सकती है। उस बारे में इस भाषण में कोई जिक्र नहीं हुआ है। गांवों के विकास की दृष्टि से एक बात निवेदन करना चाहता हूं, हम भी गांव में जाते हैं, और कहते हैं कि यह सही है, सरकार का पूरे का पूरा ध्यान

(श्री हीरश कुमार शर्मा)

गांवों की ओर है। लेकिन जब जयपुर नगर में घूमते हैं तो यह देखते हैं कि डामर की सड़क पर एक और सड़क बनाई जा रही है, उस पर रोलर घूम रहा है। गांवों में कच्ची सड़क है उसको देखकर मन में पीड़ा होती है और लगता है कि कभी यहां पर भी रोलर घूमेगा या नहीं ....

श्री मूलचन्द डागा : तो आपके दिल पर रोलर घूम जाता है।

श्री हरीश कुमार शर्मा : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि अन्त्योदय योजना और राजस्व अभियान से आपको यह खतरा हो गया है कि आने वाले चुनाव में आपके इतने सदस्य आयेंगे भी या नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो आपके साथ होने वाला है, हमें कोई खतरा नहीं।

श्री हरिश कुमार शर्मा : तो जिस ग्रामीण क्षेत्र में सीमेंट या पत्थर का उद्योग लगने वाला है उस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए, इससे कई बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता था। सरकार अपने अनुदान के द्वारा वहां पर कितने उद्योग खड़े कर सकती थी उस बारे में हमारे बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं रखा गया है, इसका मुझे दुःख है।

गृह मंत्रीजी, कानून व व्यवस्था का जहां तक सवाल है, पुलिस विभाग को इस बात की छूट नहीं हो कि हर किसी पर डंडा चलाये। और लोगों को जैसे राक्षस का भय होता है उसी प्रकार सिपाही से डर जाए। जो असामाजिक तत्व हैं, जो हमारी मां बहिनों की इज्जत लूटते हैं, जो चोर हैं उनके विरुद्ध डंडा उठाने में पुलिस को हिचकिचाहट न हो। जो अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा का दायित्व पुलिस विभाग पर है। जहां अवैध शराब की दुकानें हैं, सट्टे लगते हैं, चोरियां होती हैं, उनको पकड़ना चाहिए। मैं इस बात को कतई पसंद नहीं करता कि पत्थर फेंके जायं और ज्यादतियां की जायं। मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। संविधान के अन्तर्गत जो अधिकार हैं उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए।

इस बजट के प्रस्तुत होने के बाद जब मैं जनता में घूम रहा था, तो प्रेस गैलरी में बैठे लोगों व दूसरे लोगों ने बजट की प्रशंसा की। कुछ लोगों का काम है केवल विरोध करना, वे तो करेंगे, बिना विरोध किए उनका खाना पचेगा नहीं। इसलिए विरोध तो करना ही चाहिए, पर वास्तविकता यह है कि जो यह बजट आपने प्रस्तुत किया है यह वास्तव में अच्छा बजट है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री व सारे मंत्रिमण्डल को धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

श्री वृद्धि चंद्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 1978-79 का बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इसका मैंने अध्ययन किया है और यह पाया है कि जैसे हमारी कांग्रेस सरकार में बजट प्रस्तुत किए जाते थे, वैसा ही बजट अब भी प्रस्तुत किया गया है। पहले भी घाटे के बजट थे और अभी भी घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। जो बजट केन्द्र ने प्रस्तुत किया है, वह बहुत अधिक घाटे का है और राज्य ने भी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। इससे मुद्रा स्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और जब मंहगाई बढ़ेगी तो गरीब आदमियों पर इसका अधिक भार पड़ेगा।

इसमें यह बताने की कोशिश की है कि हमने 39.01 करोड़ रुपये की प्रशासनिक खर्चे में मितव्ययता, करों आदि की वसूली में सजगता और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से घाटा कम किया है। इस प्रकार की राज्य सरकार ने कोशिश की है कि 39.01 करोड़ रुपये का घाटा प्रशासनिक खर्चे में मितव्ययता करके और करों आदि की अच्छी तरह से वसूली करके कम किया है। मैं जानना चाहता हूं कि 1977–78 के बजट में जो प्रावधान किए गए थे उनमें से विभिन्न विभागों में जो व्यय किया गया वह किस प्रकार का व्यय किया गया? यह जानकारी आती तो पिक्चर स्पष्ट हो जाती। जो प्रावधान विभागों में किए गए थे उनमें कम खर्चा अगर आप करते हैं और बचत करते हैं तो यह आपकी योग्यता नहीं है। जो प्रावधान आप करें, वह खर्च भी करें। अधिक व्यय भी किया जाता है परन्तु उन प्रावधानों के आधार पर खर्च अगर कम करके विकास न करें और अपनी परफार्मेन्स बतायें तो मैं यह परफार्मेन्स नहीं मानता। मैंने देखा है, मेरे क्षेत्र में 5 हजार की आबादी के गांवों को सड़कों से मिलाने के बारे में कम खर्चा हुआ है। स्वीकृत धन राशि का 1/10 भी खर्चा नहीं हुआ है। सूखा संभावित क्षेत्र का कार्यक्रम है उसमें जिस कमेटी का गठन होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हुआ, मीटिंग भी नहीं हुई। हमारे एरिया में डी. पी. ए. पी. के कार्यक्रम चले उसके लिए यदि आथोरिटी का गठन नहीं हुआ तो फिर बाद में किस प्रकार कार्यक्रम चल सकते हैं। अगर खर्चा न हो. आपको बचत हो जाए और आप मान लें कि यह हमारी उपलब्धि है तो वह सही नहीं है।

मैं यह भी चाहता हूँ कि जिलेवार बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिलेवार कितना व्यय किया गया, किन किन विभागों के अन्तर्गत किया गया, यह जिलेवार पिक्चर अवेलेबल हो जाती है तो पता लग सकता है कि किन जिलों में कम व्यय किया गया। जब कम व्यय किया गया तो पिक्चर मालूम हो सकती है कि इन जिलों को नेग्लेक्ट किया गया। प्रश्न उठता है मरु प्रदेश का। पूर्वी राजस्थान वाले कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कम खर्चा करते हैं, मरु प्रदेश में अधिक करते हैं। इसको जानने के लिए यह जानकारी जरूरी है कि विभिन्न जिलों में आप कितना व्यय करते है, किन-किन विभागों में कितना व्यय करते हैं। आप 31 दिसम्बर तक की जानकारी बजट के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं और योजनायें भी बना सकते हैं कि इन जिलों में क्या व्यय करेंगे। बाद में हम डिस्कस भी कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र की आपने उपेक्षा की। अब हम कैसे डिस्कस करें कि 1978-79 में हमारे क्षेत्र की उपेक्षा की है या नहीं। इसलिए जरूरी है कि प्रस्तावित योजनायें विभागवार विभिन्न जिलों की बनाई जायं ताकि पिक्चर सामने आ सके। मैं यह जानकारी करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिन जिलों में हमारी पांच पंचवर्षीय योजनाओं में जो भी धनराशि व्यय हुई वह कितनी-कितनी हुई। जिन जिलों में पांच पंचवर्षीय योजनाओं में कम व्यय हुआ और जिन जिलों में ज्यादा व्यय

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

हुआ उन सभी को ध्यान से देखें और आप यह व्यवस्था करने की कोशिश करें कि जिन जिलों में पिछली पांच पंचवर्षीय योजना में कम व्यय हुआ, आगे दस वर्षों में छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखा जावे कि आगे से उन जिलों में ज्यादा पैसा विकास के काम में खर्च किया जायेगा ताकि उन जिलों में भी विकास के कार्यक्रम हो सकें तथा वे पिछड़े जिले भी दूसरे विकसित जिलों के बराबर विकास में आ सकें। इसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि प्रति व्यक्ति कितना विकास का काम हुआ, कितना खर्च हुआ। जिन जिलों में विकास के कार्यक्रमों पर कम खर्च हुआ उन जिलों का हमें धीरे-धीरे दस वर्षों में कोशिश करके विकास करना है। अगर आप इस तरह की नीति अपनायेंगे तो मैं समझता हूं कि जनता में कोई आक्रोश नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज जिन जिलों में विकास का काम नहीं हुआ है और जहां पिछड़ापन अधिक है उनके मन में एक भावना रहती है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। आज कई क्षेत्रों में खास तौर से हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, उस इलाके में विकास का कार्य बहुत कम हुआ है, उस इलाके के साथ हमेशा से ही उपेक्षा बरती गयी है। पूर्वी राजस्थान के अन्दर ज्यादा विकास का काम हुआ है। आज यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान के अन्दर अन्दर ही ज्वाला भड़क रही है और उसी की वजह से मरु क्षेत्र की, मरुप्रदेश की मांग उठायी जा रही है। अगर आप इस उपेक्षापूर्ण नीति को नहीं छोड़ेंगे तो हो सकता है यह मरुप्रदेश की आग ज्यादा भड़क जाय, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता हूं कि मरुप्रदेश बनाया जाय। मैं तो एकीकृत राजस्थान के पक्ष में हूं क्योंकि इस राजस्थान को बनाने में हमारी कांग्रेस संस्था को बहुत बड़ी सेक्रीफाइसेज करनी पड़ी थीं। राजाओं के राज लेने में हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल ने काम किया हालांकि उसमें कई बाधायें राजाओं द्वारा पहुंचाई गयीं पर अन्त में राजस्थान बना। जब इतने परिश्रम के बाद इस राजस्थान का निर्माण हुआ है तो हमें इसके विकास में बाधा नहीं पहुंचानी है। इसके टुकड़े हों यह एक अच्छी बात नहीं। हम इतना जरूर निवेदन करना चाहते हैं, जो जिले पिछड़े हैं जहां विकास का कार्य नहीं के बराबर हुआ है, जो जिले राजस्थान के पश्चिमी भाग के हैं, खास तौर पर जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर का इलाका है यह वह क्षेत्र है जो हमारे देश के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि वह हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है। एक तरह से वह प्रदेश हमारे देश का प्रहरी है। इनकी ओर तो राज्य सरकार को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जितना महत्वपूर्ण इलाका यह हमारे देश के लिये है उतना ही आज तक उपेक्षित इलाका रहा है। वहां विकास के कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा शुरू किये जाने चाहिये ताकि वहां के लोगों का पिछड़ापन समाप्त हो सके। आज न केवल सड़कों के मामले में बल्कि उद्योगों के मामले में, बिजली के मामलें में जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर का इलाका हमारे प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

है। आज क्या कारण है कि 132 के. वी. लाइन, जो कि बालोतरा तक आ गयी है, बाड़मेर तक नहीं लाई जा रही है। बालोतरा तक जो विद्युत् की 132 के. वी. लाइन है, वह जालौर तक जल्दी से जल्दी पहुंचाई जानी चाहिये। इसी प्रकार पोकरण तक जो 132 के. वी. लाइन का कार्य चल रहा है उसको जैसलमेर तक ले जाया जाना चाहिये ताकि वहां का विकास हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप 132 के. वी. लाइन का काम इन जिलों में नहीं करायेंगे तो वहां विकास के कार्य नहीं हो सकेंगे। अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं तो आपको 132 के. वी. लाइन को वहां पर लाना पड़ेगा। नहीं तो वहां पर प्रोग्रेस नहीं हो सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिना विद्युत् के कोई विकास का कार्य सम्भव नहीं हो सकता है। आज जो जिले पिछड़े हुए हैं उनमें खास तौर से बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर के क्षेत्र में विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर खास तौर से बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर के इलाकों में पेय जल की बहुत भारी समस्या है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान की पेयजल की समस्या को सुधारने के लिये मैं विशेष रूप से ध्यान दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के इलाकों में पेयजल की बहुत भारी समस्या है। मुख्य मंत्री जी ने पेयजल की समस्या को हल करने के लिये प्राथमिकता की घोषणा तो कर दी पर बजट में आप देखें, उन्होंने क्या प्रोविजन गांवों में पेयजल की समस्या के हल के लिये किया है। उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ 9 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है। मेरा निवेदन है कि इस 9 करोड़ रुपयों से आप क्या राजस्थान की भीषण पेयजल की समस्या को हल कर सकेंगे। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि इसके लिये राज्य सरकार को पहले उन स्कीम्स को हाथ में लेना चाहिये जो स्कीम्स आलरेडी अधूरी पड़ी हुई हैं। उन अधूरी चल रही स्कीमों को पहले पूरा किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इन 9 करोड़ रुपयों से तो यह अधूरी जो योजनायें जल की चल रही हैं वह भी पूरी नहीं हो सकेंगी तो आप नई जल योजनाओं को कैसे हाथ में ले पावेंगे? आज हमारे राजस्थान में करीब 33 हजार गांव हैं जिनमे 22 हजार गांव ऐसे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो कि पेयजल की समस्याओं से भरे हुए हैं। उसके लिये राज्य सरकार 300 करोड़ रुपये खर्च करे तो कहीं जाकर यह पेयजल की समस्या का हल हो सकता है वरना इन 9 करोड़ रुपयों से तो आपको करीब 30 वर्ष लगेंगे इस राजस्थान की पेयजल की समस्या को हल करने में। इसके साथ यहां हमें यह भी देखना है कि क्या हमारे राजस्थान की जनता इतना इन्तजार कर सकती है। मैं समझता हूं राजस्थान की जनता अब पेयजल की समस्या के हल के लिये तीस वर्षों तक इन्तजार नहीं कर सकती है। इसके लिये आपको अगर विश्व बैंक से पैसा लेना हो तो आप उससे पैसा लें। अगर आप विश्व बैंक से पैसा लेकर इस पेय जल की समस्या का समाधान करते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे। पेयजल की समस्या

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

के लिये अगर आप कोई निगम बनाना चाहते हैं तो बनाइये। लेकिन इस पानी की समस्या को पूरी ताकत लगाकार जल्दी से जल्दी हल करने की व्यवस्था आपको करनी चाहिये। इसकी स्कीम बना कर पूरी ताकत के साथ लागू करना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है अकाल के बारे में।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो तीन मिनट रहे हैं। मैं अभी समाप्त कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको दस मिनट का समय दिया गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सिर्फ अकाल के बारे में दो एक बात निवेदन कर दूं फिर समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल के बारे में सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण के पेज नम्बर दो पर यह लिखा है, "19 जिलों के 12,200 ग्रामों में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। राज्य सरकार ने इस विषम स्थिति से निपटने के लिए सामाजिक एवं समुचित कदम उठाये हैं।" उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बाड़मेर जिले में कुल 852 गांव हैं उनमें से 355 गांव हैं जो कि अकालग्रस्त घोषित हुए हैं। वहां पर आपने कितने वर्क्स चालू किये हैं? सिर्फ तीन। उन तीन वर्क्स में कितने मजदूर काम करते हैं? सिर्फ 300 मजदूर काम करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 355 गांव हैं और सिर्फ तीन सौ मजदूर ही काम करते हैं तो क्या हालत होगी वहां पर। आज अगर कांग्रेस का राज्य होता तो इन 355 गांवों में कम से कम 15 हजार मजदूर आपको काम में लगे हुए मिलते। तो आप देखें एक तो वह इलाका पहले ही पिछड़ा हुआ है दूसरे वहां के लोग गरीब हैं। आप एक तरफ तो अन्त्योदय योजना की घोषणा कर रहे हैं आप गरीबों का भला करने की घोषणा कर रहे हैं। दूसरी ओर पूरा इलाका ही अकालग्रस्त रहे, गरीब रहे तो आप क्या गरीबों की भलाई करेंगे और आपकी यह अन्त्योदय योजना और यह समग्र विकास योजना वगैरह कैसे चलेगी? मैं समझता हूं कि आपने जो पांच परिवार अन्त्योदय योजना के तहत छांटे हैं उनकी हालत बद से बदतर हो जायेगी। जिन लोगों को आप गरीबी की रेखा से ऊपर लाने की योजना बना रहे हैं वह लोग गरीबी की रेखा को पार नहीं कर सकेंगे।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन मजदूरों को जो मजदूरी देते हैं वह देते हैं गेहूं के रूप में, वह गेहूं भी बहुत ही सड़ा गला होता है जो कि स्वास्थ्य के लिये बहुत ही हानिकारक है। उसे कोई खा नहीं सकता। उन तीन किलो गेहूं की कीमत है चार रुपये आठ पैसे। अगर आप उसे मार्केट में बेचने जायं तो आपको उसके दो रुपये भी नहीं मिल सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जिस तरह आप शहरों में राशन की दुकानों पर अच्छा गेहूं बेचते हैं वही अच्छा गेहूं वहां पर भेजा जाना चाहिये। अच्छी क्वालिटी का गेहूं सप्लाई किया जाय।

इसके अलावा आज आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स से तो पुरानी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

वसूलियां बन्द करने के आदेश दे चुके हैं पर जहां की गरीबी के कारण सभी की हालत खराब है वहां कैसे वसूलियां चुकायेंगे ? इसलिये मेरा निवेदन है कि अकालग्रस्त क्षेत्र, खास तौर से बाड़मेर, जैसलमेर के एरिया में जितनी भी वसूलियां हैं उन्हें तुरन्त रुकवाने की व्यवस्था करें और कुर्की न करायी जाय।

इसके अलावा आपने जो बजट में देशी और विदेशी शराब के ऊपर टैक्स बढ़ाया है उसका हम स्वागत करते हैं। इसी प्रकार आपने लाइसेंस फी शराब की बढ़ाई वह भी स्वागत योग्य है। आपने तीन जिलों में और शराबबन्दी की है वह भी स्वागत योग्य है। इसके अलावा शराबबन्दी के बारे में आपने जो कदम उठाये हैं वह भी स्वागत योग्य है। इससे ऐसा विश्वास हो जाता है कि जब तक हमारे वित्त मन्त्री श्री आदित्येन्द्रजी हैं तब तक मैं समझता हूं कि शराबबन्दी की ओर विशेष ध्यान राज्य सरकार का रहेगा। जब तक आप शराबबन्दी नहीं करेंगे तब तक आपकी यह अन्त्योदय योजना सफल नहीं हो सकेगी। अगर आप अन्त्योदय योजना और समग्र विकास योजना वगैरह जो भी हैं इन्हें सफल बनाना चाहते हैं तो आपको शराबबन्दी सख्ती से करनी पड़ेगी।

इसके अलावा जो समग्र क्रान्ति के लिये आदर्श गांव की बात कही, आपने 104 गांव आदर्श गांव के लिये चुने हैं उसके लिये मेरा सुझाव है कि हमारे राजस्थान में दो सौ कान्स्टीट्यूएंसीज हैं उनमें 15 कान्स्टीट्यूएंसीज को छोड़कर आप 185 चुनाव क्षेत्रों में हर चुनाव क्षेत्र में एक-एक गांव ऐसा रखें कि जिसका विकास हो। इसके लिये आप वहां के जो विधान सभा के सदस्य हैं उनको जिम्मेदार बनायें। जहां पर आप 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं उसके बदले आपको सिर्फ 1 करोड 80 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। उनमें गांव वाइज कम्पीटीशन हो कि किस गांव का अधिक विकास हुआ, उसके बाद में आदर्श गांव का जिलेवाइज कम्पीटीशन हो अच्छे गांव के लिये, फिर उसका प्रान्त-वाइज कम्पीटीशन हो। ऐसा करने पर यह आपकी योजना अधिक सफल हो सकती है। यह आपकी आदर्श गांव की योजना अच्छी है पर इसकी क्रियान्विति अच्छी तरह होनी चाहिये। अगर आपने इन कार्यक्रमों को एम. एल. ए. के हाथों, सरपंचों की मदद से नहीं करवाया तो यह आपकी योजनायें गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के हाथों असफल हो जायेंगी। इसके लिये आपको जन प्रतिनिधियों को कान्फीडेन्स में लेना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि सदन का समय समाप्त हुआ चाहता है।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 8-3-78 के सुबह 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे बुधवार, दिनांक 8 मार्च, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

कविता बेनीफिट प्राइवेट लिमिटेड

60. श्री मूलचन्द (दौसा)

श्री कुंजीलाल (बामनवास)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जयपुर के लोगों का लगभग ढाई करोड़ रु. लेकर चम्पत हो जाने वाले कविता बेनीफिट प्राइवेट लिमिटेड के कर्ताधर्ताओं का अभी तक पता नहीं चला है ? यदि हां, तो क्यों तथा भविष्य में इस संबंध में कब तक आवश्यक कार्यवाही हो जाने की उम्मीद है ?

उत्तर

जी नहीं, दिनांक 4–3–78 को सभी चारों अभियुक्त अदालत ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 1 में उपस्थित हो चुके हैं।

एक उद्योग में एक यूनियन का सिद्धांत

61. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि एक उद्योग में एक यूनियन के सिद्धांत को राज्य सरकार मानती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये हैं ?

(2) क्या गुप्त मतदान द्वारा यूनियन के चयन के बारे में राज्य सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां। जहां सभी यूनियन तथा नियोजक मतदान के लिये सहमत हो गये हैं वहां मतदान कराये जा रहे हैं।

राज्य सरकार को परिवार कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि

62. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष केन्द्रीय सरकार से कुल कितनी धनराशि राज्य सरकार को परिवार कल्याण के लिए दी गई है और उसके आधार पर राज्य में कुल कितने नसबन्दी के केसेज हुए और किस किस जिले में कितने कितने और किन किन के ?

(2) इस वर्ष फेमिली वेलफेयर का कुल कितना लक्ष्य है और उसमें से कितना प्राप्त (अचिव) कर लिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस बात की चेतावनी (वार्निंग) दी गई है कि वह अपने लक्ष्य (टार्गेट) पूरे करने में असफल रही है इसलिए केन्द्रीय सरकार धनराशि उपलब्ध नहीं करायेगी ? यदि हां, तो वह चेतावनी (वार्निंग) कब दी गई है ? उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष 77–78 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा परिवार कल्याण के लिए रुपये 379.15 लाख का प्रावधान

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)
किया है। राज्य में अप्रेल, 77 से दिसम्बर, 77 तक कुल 8812 स्वेच्छित नसबन्दी हुई हैं जिनमें से 1146 पुरुष नसबन्दी एवं 7666 महिला नसबन्दी आपरेशन किये गये हैं। नसबन्दी के जिलेवार पुरुष महिला नसबन्दी आंकड़े परिशिष्ट (अ) में दर्शाये गये हैं।

(2) केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष में स्वेच्छित नसबन्दी के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं। फिर भी राज्य में अप्रेल, 77 से दिसम्बर, 77 तक कुल 1146 पुरुष नसबन्दी एवं 7666 महिला नसबन्दी आपरेशन किये गये हैं।

(3) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई है।

परिशिष्ट (अ)

नसबन्दी के जिलेवार पुरुष एवं महिला नसबन्दी के आंकड़े

अप्रेल, 77 से दिसम्बर, 77 तक

क्र. सं. 1	जिले का नाम 2	पुरुष 3	महिला 4	योग 5
(1)	अजमेर	51	331	382
	मेडिकल कॉलेज	26	435	461
(2)	अलवर	41	114	155
(3)	भरतपुर	27	80	107
	धौलपुर	5	27	32
(4)	जयपुर–प्रथम	68	544	612
	जयपुर–द्वितीय	49	167	216
	मेडिकल कॉलेज	67	900	967
(5)	सीकर	24	142	166
(6)	झुंझुनू	71	530	601
(7)	टोंक	13	40	53
(8)	सवाई माधोपुर	20	16	36
(9)	बीकानेर	19	74	93
	मेडिकल कॉलेज	95	299	394
(10)	गंगानगर	76	265	341
(11)	चूरू	46	244	290
(12)	नागौर	37	167	204
(13)	जोधपुर	21	109	130

1	2	3	4	5
	मेडिकल कॉलेज	59	765	824
(14)	जालौर	5	83	88
(15)	बाड़मेर	7	42	49
(16)	जैसलमेर	2	2	4
(17)	पाली	23	242	265
(18)	सिरोही	17	222	239
(19)	कोटा	43	274	317
(20)	बूंदी	2	32	34
(21)	झालावाड़	23	143	166
(22)	उदयपुर	51	84	135
	मेडिकल कॉलेज	37	464	501
(23)	चित्तौड़गढ़	33	214	247
(24)	भीलवाड़ा	56	136	192
(25)	डूंगरपुर	7	215	222
(26)	बांसवाड़ा	25	264	289
राजस्थान (योग)		1146	7666	8812
अप्रेल, 76 से सितम्बर, 76 तक राजस्थान (योग)		323484	41216	364700

राजस्थान बाघ परियोजना को विदेशों से सहायता

63. श्री चुन्नीलाल (खंडार) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बाघ परियोजना, रणथम्भोर, सवाई माधोपुर कब लागू की गई तथा इसका उद्देश्य क्या है ?

(2) क्या बाघ परियोजना, रणथम्भोर, सवाई माधोपुर को विदेशी सहायता भी मिलती है ? यदि हां, तो वार्षिक या मासिक सहायता कितनी मिलती है ? तथा उसे किन किन मदों में खर्च किया जाता है ?

(3) क्या राज्य सरकार काश्तकारों की परेशानी को देखते हुए इसे हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बाघ परियोजना, रणथम्भोर 1974 में लागू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य बाघों, अन्य वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण के साथ-साथ वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक मूल्यों का अध्ययन करना है।

(2) विदेशी सहायता संबंधी समुचित जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। यह केन्द्रीय अर्थ प्रबंधित योजना है और भारत

(वन मंत्री)
सरकार ने समय समय पर विदेशी उपकरण भी उपलब्ध कराये हैं जो परियोजना क्षेत्र में अनुसंधान के काम आते हैं।

(3) जी नहीं।

श्री संजय गांधी की बीकानेर यात्रा पर बनाई गई फिल्म

64. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी की आपातकाल के दौरान सन् 1976 में बीकानेर यात्रा के समय नगर विकास न्यास बीकानेर ने उनके आगमन से लेकर प्रस्थान तक जुलूस आदि की मूविंग फिल्म खिचवाई? यदि हां, तो किसके आदेश से यह मूविंग फिल्म खिचवाई गई? किसे व किसके आदेश से इसका कितने रुपये का पेमेंन्ट किया गया?

(2) अब यह फिल्म कहां किसके कब्जे में है?

(3) यह फिल्म किस प्रयोजन के लिए खिचवाई गई और इसका कहां कहां प्रदर्शन किया गया है?

(4) क्या यह सही है कि संजय गांधी की उपरोक्त यात्रा के दौरान नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा उनके स्वागतार्थ मुख्य मार्गों पर स्वागत द्वार बनवाये गये? यदि हां, तो इन पर कितना खर्च किया गया और किसके आदेश से किया गया?

उत्तर

(1) जी हां, फिल्म तत्कालीन अध्यक्ष, नगर विकास न्यास ने तत्कालीन राज्य मंत्री स्वायत्त शासन के मौखिक आदेश से बनवाई। अध्यक्ष महोदय के आदेश से कुल 4,460–00 रु. का भुगतान मैसर्स के एल. एण्ड सन्स फोटोग्राफर्स, बीकानेर को किया गया था। इस व्यय का अनुमोदन न्यास बैठक दिनांक 5–11–76 को प्रस्ताव सं. 6 के द्वारा दिया गया।

(2) यह फिल्म जयपुर में तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा तत्कालीन राज्य मंत्री स्वायत्त शासन के मौखिक आदेशानुसार श्री सतपाल कपूर, भूतपूर्व संसद सदस्य को दी गई थी। जो राजस्थान के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम के पर्यवेक्षक (observer) थे और अभी तक वापस नहीं आई है।

(3) न्यास द्वारा यह फिल्म श्री संजय गांधी की बीकानेर यात्रा के अवसर पर बनायी गई थी। इस फिल्म का प्रदर्शन नगर विकास न्यास कार्यालय में तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय एवं तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के समक्ष दिनांक 5–11–76 को किया गया। दूसरी बार गंगा थियेटर बीकानेर में सर्वसाधारण के लिए प्रदर्शन किया गया था।

(4) जी हां, नगर विकास ने केवल तीन स्वागत द्वार बनवाये थे जिन पर कुल 5,973.65 (पांच हजार नौ सौ तेहत्तर रुपये व पैंसठ पैसे) मात्र खर्च किया गया था। वह तत्कालीन अध्यक्ष महोदय नगर विकास न्यास की अनुमति से किया गया था। जिसकी सम्पुष्टी न्यास ने अपनी बैठक

(नगर आयोजना मंत्री)
दिनांक 12-4-76 को प्रस्ताव संख्या 10 द्वारा की।

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल व अकादमी में फेल हुए सब-इन्स्पेक्टर

65. श्री सूर्यप्रकाश डोडा (खेरवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में सन् 1974 से 1977 तक कितने सब-इन्स्पेक्टर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल व अकादमी से फेल हुए व कितनों का रिवर्शन (पदावनत) किया गया और कितनों का रिवर्शन नहीं किया गया?

(2) उदयपुर रेन्ज की सही सूची क्या है? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पुलिस ट्रेनिंग स्कूल व अकादमी से वर्ष 1974 से 1977 तक 39 उप निरीक्षक असफल हुए उनमें से 20 को पदावनत किया गया व 19 का रिवर्शन नहीं किया गया। पदावनत व्यक्तियों में से 14 व्यक्तियों को पुनः तदर्थ पदोन्नति दी जा चुकी है शेष व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति बीकानेर रेंज के हैं जहां अप्रूव्ड सूची के व्यक्ति उपलब्ध होने से उन्हें पदावनत करना आवश्यक था। उदयपुर रेंज के तीन व्यक्ति सर्व श्री धूला, हेमा व केसर द्वितीय बार भी अनुत्तीर्ण होने से पदावनत ही रखे गये हैं।

(2) उदयपुर रेंज की सूची संलग्न है।

उदयपुर रेन्ज के उप-निरीक्षकों की सूची (जो अनुत्तीर्ण हुए)

क्रमांक	नाम		वर्तमान पदस्थापन
(1)	श्री धूला		एम. बी. सी. यूनिट खेरवाड़ा
(2)	श्री केसर		,, ,,
(3)	श्री भीमजी		,, ,,
(4)	श्री हेमा		,, ,,
(5)	श्री गणेशराम		रिटायर्ड
(6)	श्री दयाराम,	उ. नि.	ट्राफिक ब्रांच, उदयपुर
(7)	श्री खादिम हुसैन,	उ. नि.	पुलिस लाइन्स, भीलवाड़ा
(8)	श्री शमशुदीन	,,	भीलवाड़ा
(9)	श्री हरिसिंह	,,	भदेसर, चित्तौड़गढ़
(10)	श्री जीतमल	,,	थाना कलारा, उदयपुर
(11)	श्री नाहरसिंह	,,	लालगढ़, चित्तौड़गढ़
(12)	श्री छतरसिंह	,,	ऋषभदेव (उदयपुर)
(13)	श्री पुरुषोत्तमदास	,,	बदनोर (भीलवाड़ा)
(14)	श्री नूर मोहम्मद	,,	झाडोल (उदयपुर)
(15)	श्री लालजी	,,	एम. बी. सी. भीलवाड़ा
(16)	श्री फखरुद्दीन	,,	पुलिस लाइन्स, उदयपुर
(17)	श्री सत्यदानसिंह	,,	,, ,,
(18)	श्री केसरसिंह	,,	,, ,,

Page No 106

(108)

वक्फ की जायदादों पर अनधिकृत कब्जे

66. श्री अब्दुल अजीज (मकराना): क्या वक्फ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वक्फ की जायदादों पर किये गये अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिए राज्य सरकार ने क्या उपाय किए हैं तथा इस प्रकार के कब्जों की रोक थाम की क्या व्यवस्था है ?

(2) वक्फ प्रापर्टी से राज्य सरकार को कितनी सालाना आमदनी होती है और उसको खर्च किस प्रकार किया जाता है ?

(3) मकराना में कितनी वक्फ प्रापर्टीज है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) वक्फ की सालाना रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने की राज्य सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) वक्फ की जायदादों पर अधिकार पूर्णतः राजस्थान वक्फ बोर्ड में निहित है। अनधिकृत कब्जों को हटाने हेतु वक्फ बोर्ड स्वयं कार्यवाही कर सकता है। राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड पर निहित जायदादों पर नाजायज कब्जों की रोक थाम के लिए समय समय पर सभी जिलाधीशों, विभागाध्यक्षों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। जब भी वक्फ बोर्ड द्वारा अनधिकृत कब्जे के बारे में मामला राज्य सरकार के नोटिस में लाया जाता है, संबंधित जिलाधीश को निर्देश दिया जाता है।

(2) वक्फ प्रोपर्टी से राज्य सरकार को कोई आमदनी नहीं होती है।

(3) मकराना में स्थित वक्फ प्रोपर्टीज की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) वक्फ अधिनियम में वक्फ को सालाना रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है।

LIST OF WAQF PROPERTIES, SITUATED AT MAKRANA

1. Shahi Masjid in Bazar 2 stories—shops 7 Nohra 1 Mazar 4.
2. Madarsa, Ten Rooms Anjuman Inlahul Muslemeen-1 Big.
3. Shops 5 Madarsa Inlahul Muslemeen.
4. Madarsa Deshwali Building.
5. Dargah-Peer-ki with well and land 11 Bigs. 7 Bis.
6. Masjid Modi 18 Bis. land 2 Bigs. 15 Bis. Kh. 732 with well.
7. Chhapra Masjid.
8. Masjid Teliyan, Kothri.
9. Qalandri Masjid.

10. Masjid Tibaji.
11. Eidghah, Masjid Nohra 1 Kothries 3.
12. Hathai-Ki-Masjid with well 1 Nohra, Shops 8, Room 1, Kothries 12.
13. Masjid Ahlay Hadis.
14. Masjid Godha-Bas-Ki-shops with well.
15. Graveyard Kh. No. 78-3 Bigs. 9 Bis.
16. Graveyard Kh. No. 685-30 Bigs. 9 Bis.
17. Masjid, Peer-Ki-Dargah.
18. Karbala 1 Big.
19. Qazi well ½ Big.

राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बसें

67. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पास कितनी बसें हैं और उनमें से कितनी बसें चालू हालत में हैं ?

(2) क्या यह सही है कि निगम की बसों के रख रखाव व परिचालन व्यय अन्य राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक हैं परन्तु सेवा स्तर उन राज्यों से कम है ?

(3) यदि यह सत्य है तो राज्य सरकार रख रखाव व परिचालन व्यय में कमी और सेवा स्तर में सुधार लाने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है ?

(4) राज्य में अब तक कितने प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है ? शत प्रतिशत राष्ट्रीयकरण कब तक सम्भव है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पास कुल 1779 वाहन हैं। इनमें से 1406 वाहन चालू हालत में हैं।

(2) जी नहीं, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का रख रखाव तथा परिचालन व्यय अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। यहां का सेवा स्तर भी अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा है।

(3) प्रश्न नहीं उठता। निगम द्वारा रख रखाव व परिचालन व्यय में कमी करने हेतु प्रयत्न जारी हैं।

(4) अब तक राज्य में 35.17 प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। छठी पंचवर्षीय योजना (1979-80 से 1983-84) के अन्त तक 81 प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव है।

(108)

तहसील बेगूं के ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था

68. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की बेगूं तहसील के किन किन गांवों के द्वारा पानी की सुविधा हेतु अपना कन्ट्रीब्यूशन जलदाय विभाग को जमा कराया गया है ? उन गांवों की सूची मय रकम दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यह रकम किस साल में जमा करवाई गई है ?

(2) ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण ग्रामवासियों के द्वारा अपना अनुदान जमा करा देने पर भी पीने के पानी की समस्या का हल नहीं किया जा सका है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार इसी प्रकार की रकम ग्रामीणों द्वारा जमा कराये गए ग्राम पारसोली एवं ग्राम भीचौर में इस वर्ष पानी की उचित व्यवस्था करने जा रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जल प्रदाय योजनाएं जन सहयोग की राशि जमा करवाने पर ही स्वीकृत नहीं की जाती हैं। नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं जिला आयोजना समिति से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार प्राथमिकता, तकनीकी उपयुक्तता एवं धन की उपलब्धि के अनुसार ही स्वीकृत की जाती हैं।

(3) ग्राम पारसोली एव भीचौर जिला आयोजना समिति, चित्तौड़गढ़ द्वारा वर्ष 1977–78 के लिए प्रस्तावित हैं। इन प्रस्तावों की तकनीकी जांच की जा रही है। तत्पश्चात् प्राथमिकता एवं धन की उपलब्धियों के अनुसार ही स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

(प्रश्न के भाग 1 की सूची)

बेगूं तहसील के ग्राम जिनकी जल प्रदाय योजनाओं हेतु जन सहयोग की राशि जमा करा दी गई है।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	जन सहयोग की जमा कराई गई राशि	वर्ष
1.	पारसोली	2500	2-3-1973
2.	भीचौर	2500	जनवरी, 1977

अकलेरा ग्राम पंचायत को नगरपालिका में परिवर्तन करने का मामला

70. श्री विठ्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अकलेरा ग्राम पंचायत को नगरपालिका में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को वहां की जनता ने निवेदन किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या इस पर वैधानिक आपत्तियां मांग ली गई हैं ?

(3) राज्य सरकार अकलेरा ग्राम पंचायत को कब तक नगरपालिका बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम पंचायत, अकलेरा को नगरपालिका में परिवर्तित किये जाने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 6 को विज्ञप्ति दिनांक 17-12-77 को वास्ते आपत्तियां आमंत्रित किये जाने हेतु जारी कर दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जिलाधीश से रिपोर्ट प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

पुलिस विभाग में सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों का कोटा

71. श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अब तक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पुलिस विभाग में सिपाही भर्ती करने के मामले में पक्षपात बरता गया है ? यदि हां, तो भविष्य में जब तक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का रिजर्व कोटा पूरा न हो तब तक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही इस पद पर सिपाही भर्ती किया जाये ? क्या ऐसा आदेश राज्य सरकार देने का विचार रखती है ?

(2) फिलहाल सिपाहियों की भर्ती में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

जहां तक रिजर्व कोटा पूरा न होने तक अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति भर्ती किये जाने का प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार आरक्षण कोटा के अन्तर्गत रिक्त रहे स्थानों को उस वर्ष के अगले दो वर्षों तक कैरी फोरवर्ड किया जाता है। इस प्रक्रिया में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) अनुसूचित जाति का रिजर्व कोटा वर्तमान में 16% है।

राज्य के गांवों में डिस्पेन्सरी एवं एडपोस्ट डिस्पेन्सरी

72. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1977-78 में किस किस गांव में डिस्पेन्सरी एवं एड पोस्ट

(श्री रामनारायण चौधरी)
डिस्पेन्सरी खोली गई ? तथा किन किन स्थानों पर मंजूरी के बावजूद भी उपरोक्त डिस्पेन्सरी नहीं खोली गई, तथा वे अब कब तक खोली जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्ष 1977-78 में जिन ग्रामों में स्वीकृत डिस्पेन्सरी/एडपोस्ट चालू हो गई है उसकी सूची संलग्न है। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में कम से कम दो चिकित्सालय व एक एडपोस्ट की घोषित नीति के अनुरूप पुर्नवितरण कर 84 चिकित्सालय व 64 एड-पोस्ट खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

वर्ष 1977-78 में खोली गई डिस्पेन्सरी एवं एडपोस्टों की तालिका

जिला	पंचायत समिति	डिस्पेन्सरी के ग्राम का नाम	एडपोस्ट के ग्राम का नाम
1	2	3	4
अजमेर	भिनाय	(1) कारनोस	—
	केकड़ी	(2) प्राहेड़ा	(1) देवगढ़
	श्रीनगर		(2) नरवर
			(3) गेंगल
	रूपनगढ़		(4) त्योद
			(5) जाजोता
अलवर	मुण्डावर	(3) मुण्डान कलां	(6) खानपुर अहीर
		(4) करनी कोट	(7) मानका
			(8) जसई
	बहरोड	(5) जखराना	(9) जीनायचा खुर्द
			(10) कानावास
			(11) खेड़ा
	रेणी	(6) गढ़ी सवाईराम	
	किशनगढ़वास	(7) बहादुरपुर	(12) खानपुरमेवान
	उमरेन		(13) पृथ्वीपुरा
	राजगढ़		(14) राजपुर बड़ा
			(15) गोला का बास
	थानागाजी		(16) किशोरी
बांसवाड़ा	गढ़ी	(8) सरेडी	(17) खोडन
			(18) भतार
	भूखिया		(19) उदयपुरा
	पीपलखूंट		(20) कुशलपुरा

Page No 111

1	2	3	4
बीकानेर	बीकानेर	(9) वरसिंहसर	
		(10) जैमलसर	
बूंदी	हिंडोली		(21) उमर
भीलवाड़ा	माण्डल	(11) वैमाली	
	हुरडा	(12) आगूचा	
	सुहाना	(13) सुहाना	
	जहाजपुर	(14) रोपा	
		(15) पीपलूंद	
	मांडलगढ़	(16) वरुदनी	(22) लाडपुरा
	सहाडा	(17) पोटला	(23) महेन्द्रगढ़
	रायपुर		(24) वोरियापुर
भरतपुर	धौलपुर		(25) विरोधा
चित्तौड़गढ़	छोटी सादड़ी		(26) विनोता
	चित्तौड़गढ़	(18) विजयपुर	
चूरू	रतनगढ़	(19) टिडियासर	(27) लोहा
	सुजानगढ़	(20) चाडवास	
	डूंगरगढ़	(21) लखासर	
	सरदारशहर	(22) शिमला	
	तारानगर	(23) वाय	(28) भालेरी
गंगानगर	हनुमानगढ		(29) ढाबा
	भादरा	(24) -रदावास	(30) मेहूराना
	सादुलशहर		(31) नुकेरा
जयपुर	सांभर	(25) हिंगोनिया	
	दौसा	(26) लवाण	
	सिकराय	(27) सिकन्दरा	
जालौर	जसवन्तपुरा	(28) जसवन्तपुरा	
	सांचौर	(29) झाव	(32) भवातड़ा
			(33) डूंगरीग्राम
झुन्झुनूं	झुन्झुनूं	(30) भारु	
	उदयपुर वाटी	(31) मंडावरा	
	खेतड़ी	(32) शिमला	
		(33) त्योदा	

Page No 112

112

1	2	3	4
जोधपुर	ोरगढ	(34) टेना	
	ू ंणी	(35) भावर	
	विलाड़ा		(34) लाम्बा
	ग्रोसियां	(36) तिवारी	
		(37) गेगनी	
कोटा	छीपावड़ोद	(38) हरनावदशाहजी	
नागौर	ीयां	(39) बगड	(35) लिलीया
	ेगाना	(40) बावरेला	
	मकराना		(36) बैसरोहली
	कुचामनसिटी	(41) पांचवा	
	लाडनूं	(42) मिठडी	
पाली	ाली	(43) मुण्डावरा	(37) कोट
	सुमेरपुर	(44) चाणोद	
	रोहत		(38) मुण्डावास
	ायपुर	(45) गिरि	(39) रास
	ानी	(46) जवाली	
सवाई माधोपुर	गगापुर	(47) बजीरपुर	
	महुआ	(48) खेडला	
सिरोही	सिरोही	(49) वराडा	
टोंक	ालपुरा	(50) टोरडी	
उदयपुर	रियावद	(51) पारसोला	
	मावली	(52) फतेहनगर	
	खमनौर	(53) भालान की मदार	
	कुम्भलगढ़	(54) मजेरा	
जयपुर	जयपुर शहर	(55) झोटवाड़ा	
		(56) नाहरी का नाका	
जोधपुर	जोधपुर शहर	(57) महामन्दिर	(40) रतानाड़ा
			(41) उदय मन्दिर
नागौर	नागौर शहर	(58) लुहारपुरा बस्ती	

अजमेर में हवाई अड्डे का मामला

73. श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अजमेर के ऐतिहासिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं औद्योगिक महत्व को देखते हुये क्या राज्य सरकार अजमेर में शीघ्र हवाई अड्डा स्थापित करने का कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक सम्भव है ?

उत्तर

यह विषय केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है। राज्य सरकार को अजमेर में हवाई अड्डा निर्माण हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जिस पर केन्द्र सरकार को संदर्भ करने पर केन्द्र सरकार ने अर्थाभाव के कारण निकट भविष्य में इस प्रस्ताव क स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की है।

झुन्झुनूं जिले में कालेज

75. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले में राज्य सरकार का एक भी कॉलेज नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक और कहां कहां इस जिले में राज्य सरकार कालेज खोल रही है ?

उत्तर

जी हां। इस जिले में करीब आठ निजी महाविद्यालय पहले से ही उपलब्ध हैं। वर्तमान में झुन्झुनूं जिले में सरकार द्वारा महाविद्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

धौलपुर में डकैती समस्या को समाप्त करने की योजना

76. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) धौलपुर में डकैती समस्या को समाप्त करने की राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या यह भी सही है कि धौलपुर में डकैती, राहजनी की घटनायें काबू में नहीं आ रही हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि वित्त मंत्री ने सिफारिश की थी कि धौलपुर, सवाई माधोपुर जिले के लिए एक डी. आई. जी. की पोस्ट कायम की जावे ? यदि हां, तो उस पर क्या राज्य सरकार कोई ठोस कदम उठा चुकी है ? अथवा अभी विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने रुपये 13.65 करोड़ की एक सात वर्षीय योजना बनाकर केन्द्र सरकार को अनुमोदनार्थ भेजी है। योजना के मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार से है:—

(1) रुपये 5.89 करोड़ की लागत से 22,000 हैक्टेअर भूमि पर वृक्षारोपण कार्य करना।

(2) रुपये 2.76 करोड़ की लागत से 19,200 हैक्टेअर भूमि पर भू-संरक्षण कार्य करना।

(3) रुपये 2.00 करोड़ की लागत से इस क्षेत्र में 443 किलोमीटर सड़कों का निर्माण / सुधार करना।

इसके अलावा डकैती उन्मूलन के लिए पुलिस, सशस्त्र दल (Anti Dacoity Force) पर्याप्त संख्या में वहां रखा जाता है जो इलाके में ग्रस्त करता रहता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

राज्य में 150 रोगी शैय्याओं के अस्पताल

77. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में 150 रोगी शैय्याओं के कितने अस्पताल किन किन स्थानों पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा रोगी शैय्याओं के अस्पताल खोले जाने के लिये किन-किन आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक होता है ?

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिला उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ? यदि हां, तो जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में राजकीय चिकित्सालय में 100 शैय्याओं को 150 रोगी शैय्याओं में बढ़ाने के लिये राज्य सरकार कब तक कदम उठायेगी।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला चिकित्सालयों में रोगी शैय्या बढ़ाने के लिए जो मापदण्ड निर्धारित किये गए हैं उनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

150 रोगी शैय्याओं वाले चिकित्सालय की सूची:—

जिला	अस्पताल का नाम	शैय्याओं की संख्या
अजमेर	ए.के. होस्पीटल, ब्यावर	130
भरतपुर	सादत अस्पताल, धौलपुर	150
भीलवाड़ा	एम.जी. अस्पताल, भीलवाड़ा	150
डूंगरपुर	जनरल अस्पताल, डूंगरपुर	150
सीकर	एस. के. अस्पताल, सीकर	150
पाली	बांगड़ अस्पताल, पाली	150

उदयपुर जिले में पेयजल व्यवस्था

79. श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार ने उदयपुर जिले की 18 लाख की ग्रामीण जन संख्या के पेयजल की समस्या के समाधान के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो चालू वर्ष में उदयपुर जिले की ग्रामीण पेय जल योजना से कितने गांवों में हैण्ड पम्प लगाने की योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है ?

(2) केन्द्र सरकार ने उदयपुर जिले के लिए ग्रामीण पेय जल योजना हेतु कितनी राशि प्रदान की थी ?

उत्तर

(1) हैण्ड पम्प योजनायें जिला आयोजना समिति (आदिवासी क्षेत्र को छोड़कर) से प्राप्त प्रस्तावों एवं आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र विकास आयोग से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ही धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत की जाती हैं। वर्ष 77–78 के लिये जिला आयोजना समिति उदयपुर एवं आदिवासी क्षेत्र विकास आयोग से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। हां इस वर्ष त्वरित कार्यक्रम के तहत चार पम्प एवं टैन्क योजनायें 16.28 लाख लागत की स्वीकृत की जा रही हैं।

(2) उदयपुर जिले के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अलग से कोई राशि नहीं दी है। त्वरित कार्यक्रम के तहत पूर्ण राजस्थान के लिये 250 लाख रु. की राशि दी गई इसके तहत उदयपुर जिले की स्वीकृत चार पम्प एवं टैंक योजनाओं पर इस वर्ष 4.50 लाख की राशि आवंटित की गई है।

ग्राम गोवटी खनि हरतवास के ग्रामवासी द्वारा दिया गया शिकायती पत्र

80. श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दांतारामगढ़ तहसील के ग्राम गोवटी खनि हरतवास के श्री हरबक्स राम ने माननीय गृह मंत्री को एक शिकायत पेश की थी ? अगर हां, तो क्या तथा किस के खिलाफ ?

(2) क्या यह सही है कि डीवाई. एस. पी. फतेहपुर ने इस मामले की जांच की ? तथा राज्य सरकार को रिपोर्ट भी दे दी है ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? पूर्ण विवरण रिपोर्ट सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। यह शिकायत सागर पुत्र मोगू, गणपत, हनुमान वंशी एवं मोगू राम को, जाटन निवासी हरीतवालों की ढाणी तथा श्री सूबेसिंह, भूतपूर्व एस. एच. ओ. थाना खाटू के खिलाफ थी।

(2) जी हां। माननीय गृह मंत्री जी को भेजी गई रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। माननीय गृह मंत्री जी ने उस पर दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिसकी पालना में भूतपूर्व एस. एच. ओ., खाटू श्री सूबेसिंह व मुख्य आरक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(116)

कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक फतेहपुर जिला सीकर

क्रमांक 1026–27 दिनांक 3–9–77

श्रीमान पुलिस अधीक्षक,
महोदय सीकर (राज.)

विषय :—जांच दरखवास्त श्री हरबक्सराम कौम जाट निवासी हरितवालों की तन गोवटी थाना खाटू जिला सीकर विरुद्ध सुबेसिह उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना खाटू।

प्रसंग :—श्रीमान गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 22–7–77.

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 22–7–77 को श्री हरबक्सराम पुत्र भूराराम कौम जाट निवासी ढाणी हरितवालों की तन गोवटी थाना खाटू ने एक लिखित रिपोर्ट श्रीमान गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर के मार्फत ठाकुर श्री मदनसिंह दांता विधायक, राजस्थान विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ के पेश की "कि दिनांक 21–6–77 को सायंकाल मेरे को गणपत, हनुमान, बंशी, सागर, मांगू कौम जाट निवासी ढाणी हरितवालों ने मारपीट किया और मेरे कान का सोने का मुर्का तोड़कर ले गये जिससे मेरा कान फट गया जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना खाटू में की तो मेरा गुड़दा बरामद नहीं किया एवं उल्टा मुझे डराया कि राजीनामा करलें उसकी शिकायत मैंने एस. पी. साहब सीकर से भी की तो उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया थानेदार खाटू मुल्जिमों से पैसा खाकर मिल गया है। इत्यादि रिपोर्ट लिखित विधायक ठाकुर श्री मदनसिंह के पेश की, जिस पर विधायक महोदय ने लिखा कि "माननीय गृह मंत्री जी आपको माननीय मुख्य मंत्रीजी को खाटू के थानेदार के बारे में मैंने कई दफा शिष्टमण्डल मिला, आये दिन चुनावों के बाद एक न एक उस थानेदार की घटना आ रही है। आपने जितनी ताकत थी वो अजमाली, लोग चोरी के मुकदमें लेकर आते हैं वो धमका देते हैं और अन्त में आत्म हत्या करते हैं जनता पार्टी सरकार एक तरफ थानेदार एक तरफ मैं बहुत बीमार हूं, मुझे यह सुनकर बड़ी चोटें थानेदार खाटू द्वारा चुपचाप में ही सारी कार्यवाही लगती है, मैं है जबकि प्रार्थी को पता भी नहीं है यह आखरी पत्र लिखूंगा और जनता से विवश होकर अलान करना पड़ेगा कि तुम जैसे थानेदार चाहता है वैसे करो। यह सब इसलिए होता है कि आप लोगों की प्रार्थना पत्र पढ़ते नहीं है" यह लिखकर माननीय गृहमंत्री महोदय को भेज दी जिस पर श्रीमान गृहमंत्री महोदय ने आदेश फरमाया कि डीवाई. एस. पी., फतेहपुर "प्लिज टेक इमीडियेट एक्शन एण्ड रिपोर्ट विद इन वीक" यह उक्त आदेश श्रीमान गृहमंत्री महोदय राजस्थान का सीधा मुझे सी. ओ. को दिनांक 25–11–77 को प्राप्त हुआ जो संलग्न अनेक्स "ए" पर है।

उक्त दरख्वास्त की जांच घटनास्थल ग्राम ढाणी हरितवालों की तन गोवटी में पहुंच कर की गई निम्नलिखित गवाहान एवं सम्बन्धित व्यक्तियों के बयान लिये गये जिनका सूक्ष्म विवरण पृथक् 2 निम्न प्रकार है।

श्री हरबक्सराम पुत्र भूराराम कौम जाट निवासी ढाणी हरितवालों की तन गोवटी दरख्वास्त देहन्दा एवं मुस्तगीस मुकदमा नं. 48 दिनांक 23–7–77 धारा 147, 379, 323 आइ. पी. एस. थाना खाटू ने बयान किया कि दि 23-6-77 की शाम को मेरे हणमान, गणपत किया कि दिनांक 23·6-77 की शाम को मेरे को हणमान, गणपत, मांगू, बंशी व सागर ने मेरे को मारपीट किया मेरे कान का गुड़दा तोड़ लिया जिससे मेरा गुड़दा की जगह से कान कट गया जिस जगह अब भी टांकों के निशान हैं। बालू व भूथा जाटान ने मुझे छुड़ाया, घटना की रिपोर्ट में व भगवानसहाय सरपंच थाना खाटू में गये थानेदारजी ने हमारी रिपोर्ट जो लिखकर ले गये थे इत्यादि बयान किये जो संलग्न हैं एवं पूर्व में लिखित रिपोर्ट की प्रतिलिपि पेश की जो भी संलग्न है एवं जो रिपोर्ट श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय सीकर के पेश की, उसकी नकल पेश की जो संलग्न है।

बयान गवाहान श्री भगवान सहाय सरपंच ग्राम पंचायत गोवट श्री दुलीचन्द पुत्र श्री बोदूराम कुमावत निवासी गोवटी भूतपूर्व चैयरमेन न्याय पंचायत गोवटी श्री जोराराम कौम जाट निवासी हरितवालों की तब गोवटी भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गोवटी श्री बालूराम जाट निवासी ढाणी हरितवालों की श्री श्रवण लाल जाट ढाणी हरितवालों की श्री भूथा राम जाट ढाणी हरितवालों की श्री छोटूसिंह जाट निवासी पलसाना श्री बजरंग लाल कौम पुरोहित निवासी पलसाना के बयानात लिये गये हैं जो संलग्न है।

श्री सुबेसिंह एस. एच. ओ. थाना खाटू के बयान लिये गये जो संलग्न हैं अभियोग में वाद अनुसंधान प्रूफ बतलाया गया एवं राय ए.पी.पी. II सीकर की गई कि प्रतिलिपि ली गई जो भी संलग्न है आमद रवानगी एस. आई. श्री सुबेसिंह दिनांक 23–6–77 की नकल रपट रोजनामचा आम ली गई जो संलग्न है।

बयानात गवाहान एवं अध्ययन पत्रावली सी.ओ. दफ्तर सीकर मुकदमा सदर एवं मालूमात से हालात निम्न प्रकार पाये गये।

उक्त जांच दरख्वास्त मुझ सी.ओ. को दिनांक 25–7–77 को प्राप्त हुई श्री सुबेसिंह एस.आई. को जब यह मालूम हुआ कि इस सम्बन्ध में मेरी शिकायत हो चुकी है तो एस. आई. ने उक्त अभियोग का चालान दिनांक 20–7–77 को ही अपराध धारा 147, 323 ता. हि. में पेश अदालत कर दिया एवं गुडदा छीनकर ले जाने वाली बात झूठी मानी और यह कि लड़ाई झगड़ों में गुडदा किसी कपड़े में अटक कर टूट गया, पीच गया जिससे उसका कान छिद गया और गुडदा वहीं घटनास्थल पर ही गिर गया, परन्तु ऐसा नहीं मुस्तगीस का गुडदा वास्तव में मुलजिम पार्टी से उसके कान के झटका देकर तोड़

(118)

लिया जिससे कान फट गया जिससे खून भी निकला और बाद में मुस्तगीस ने अपना डाक्टरी भी करवाया तथा अपने कान के टाके भी लगवाये, अब सी.ओ. ने भी मुस्तगीस के कान को देखा है जिसके टांकों के निशान मौजूद हैं मुस्तगीस ने गुडदा कान के झटका देकर छीनकर ले गये जो अभी तक मुस्तगीस को नहीं मिला है और ना ही पुलिस ने उस गुडदे को बरामद या जब्त करने की कोई कार्यवाही की है।

एस. एच. ओ. ने अपनी तफतीश व बयानों में बताया है कि श्री दुलीचन्द व जोरा राम मुझे बताया कि गुडदा वापिस हरबख्श राम को मिल गया है परन्तु जोराराम ने अपने बयानों में बताया है कि मेरे सामने कोई गुडदा हरबख्शाराम को नहीं दिया है।

अनुसंधानकर्ताओं की त्रुटियां

1. वजह देरी एफ.आई.आर. में न तो कार्यवाही पुलिस में अंकित की और ना ही धारा 161 जा.फो. के कथनों में स्पष्ट की।

2. गवाहान के बयानात से अपराध धारा 392 ता.हि. का घटित होना पाया जाता है परन्तु अभियोग में धारा 399 ता.हि. में एफ आई.आर. पंजीबद्ध की और बाद में उसे बिना शाहदत बिना किसी आधार के हटाई और हटाने के कोई कारण तथा हटाने का जिक्र व नोट अंकित पत्रावली में कहीं अंकित नहीं किया। और काबिल जमानात अपराध मानकर अपराधीगण को जमानत पर रिहा कर दिया।

3. दरख्वास्त देहिन्दा मुस्तगीस को पुलिस द्वारा तफतीश किये जाने पर सन्तोष नहीं के सम्बन्ध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सीकर के समक्ष उपस्थित होकर दो प्रार्थना-पत्र पेश किये पुलिस अधीक्षक महोदय ने उस प्रार्थना-पत्रों को थाने में भेज दिया। परन्तु एस.एच. ओ. ने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की और ना ही कहीं उनका अनुसंधान पत्रावली में जिक्र किया।

4. मुस्तगीस व चश्मदीद गवाहान सभी ने यह अपने बयानों में बताया है कि गुडदा हरबक्स के कान से झटका देकर तोड़कर ले गया परन्तु एस. एच. ओ. ने कोई कार्यवाही नहीं की।

अनुसंधान पत्रावली के अध्ययन से एवम् घटनास्थल ग्राम हरितवालों की ढाणी में पहुंच कर सम्बन्धित आधार पर यह सही पाया गया कि:–

1–मुस्तगीस श्री हरबख्श जाट ने जो लिखित रिपोर्ट पेश की जिसमें गुडदा छीन कर ले जाने का जिक्र था को दर्ज नहीं की गई।

2–गुडदा सोने का वास्तव में छीना गया लेकिन स्थानीय पुलिस ने बरामद नहीं किया और जो कहानी यह बनाई कि श्री दुलीचन्द चेजारा भूतपूर्व न्याय पंचायत अध्यक्ष II को मिल गया और उसने वापिस लौटा दिया यह सरासर शत प्रतिशत गलत है गुडदा मुलजिम

ने दुलीचन्द को दे दिया जो अब भी उसके पास है उस तथ्य की काफी गहराई से मालूमात की गई तो सही पाया गया है कि मुशरका मुस्तगीस को नहीं मिला है और वास्तव में छीना गया है।

3. एस. एच. ओ. खाटू ने धारा 379 ता. हि. के हटाने का कोई कारण केस डायरी में दर्ज नहीं किये और ना ही अपने कथनों में संतोषप्रद उत्तर दिया है।

4. अनुसंधान सही ढंग से सत्यता के आधार पर एस. एच. ओ. ने नहीं की एवम् श्री हरबक्साराम मुस्तगीस को न्यायोचित सच्ची बात को ठुकराकर एक तरफ अपराधीगणों का सरासर पक्ष लिया है।

निम्नांकित तथ्यों के आधार पर एवम् अपनी कर्तव्य परायणता से विमुख होकर पुलिस प्रतिष्ठा को गिराकर सर्व साधारण में पुलिस के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न की है।

(1) मजमून एफ. आई. आर. में और बयानात धारा 161 सी. आर. पी. सी. में गुडदा की बाबत स्पष्ट लिखा है फिर भी धारा 392 या 379 आई.पी.सी. की धारा आमद नहीं की और हटाने का कोई कारण नहीं बताया।

(2) मानचित्र में वह जगह नहीं बताई जहां से गुडदा छीना गया था या उठाकर ले गये।

(3) गवाहान के बयान लिये उनको गुडदा छीनने की बात का जिक्र नहीं किया और छीनने की बात को छुपाया है।

(4) श्री दुलीचन्द चेजारा ने गुडदा वापस देना बताया किन्तु उसका कोई सत्यापन बिल मुकाबिल अनुसंधान कर नहीं किया गया बिना उचित कारणों के धारा 379 आई. पी.सी. हटाई जबकि समस्त साक्षीगण व मुस्तगीस अब भी वास्तव में गुडदा नहीं मिलना कहते है।

(5) गुडदा दुलीचन्द के पास है जिसकी जब्ती आदि की कार्यवाही नहीं की गई और ना ही स्पष्टीकरण किया गया।

(6) गुडदा श्री दुलीचन्द के पास है जो भूतपूर्व न्याय पंचायत का चेयरमैन है उसी ने समय समय पर रिपोर्ट नहीं करने दी उसकी बाबत कोई स्पष्ट नहीं किया।

(7) सर्व प्रथम मुस्तगीस की तहरीरी रिपोर्ट को वापिस लौटादी जो संगीन अपराध की थी परन्तु पुलिस ने साधारण जुर्म की रिपोर्ट लेकर अपराध पंजीबद्ध किया।

प्रतिवेदन श्रीमान् की सेवा में पेश कर निवेदन है कि मुस्तगीस श्री हरबक्साराम जाट का सोने का गुडदा अपराधीगण कान के झटका देकर ले गये परन्तु स्थानीय पुलिस

ने उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की एवम् इस घटना को छिपाई है अतः प्रतिवेदन उचित कार्यवाही हेतु सेवा में समर्पित है।

ह. पुलिस उप अधीक्षक,
फतेहपुर।

प्रतिलिपिः–श्री गौरीशंकरजी पटवारी, सचिव माननीय गृह मंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर की सेवा में उनके आदेश दिनांक 22–7–77 के संदर्भ में बाद जांच समर्पित है।

ह. पुलिस उप अधीक्षक,
फतेहपुर।

श्रीमान् गृह मंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

Dy. S. P. Fatehpur.
Please take immediate action and report within a week.
Sd/—Home Minister
22–1–77

विषयः–थानेदार खाटू द्वारा मुकदमें की तफतीश नहीं करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 21–6–77 सायंकाल 6 बजे मेरे लड़के श्रवण को सागर पुत्र मांगू जाट निवासी हरितवालों की ढाणी तहसील गोवटी गालियां दे रहे थे मैंने जब उन्हें गाली देने से मना किया तो इतने में ही गणपत, हनुमान बन्सी, सागर पुत्रगण मांगू राम व मांगूराम पुत्र नारायण कौम जाटान हरितवालों की ढाणी ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे काफी मारा-पीटा तथा एक कान में सोने का गुडदा तोड़कर ले गये जिससे मेरा कान भी कट गया था।

मैंने उपरोक्त वाका की रिपोर्ट खाटू थाना में कर दी जिसपर खाटू थानेदार द्वारा गुडदा बरामद करने की कोई कार्यवाही नहीं की उल्टा मुझे ही डराया धमकाया कि तुम राजीनामा करलो। मैंने इसकी शिकायत डी. वाई. एस. पी. सीकर को की तो उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया।

अब निवेदन है कि किसी अन्य थानेदार द्वारा इसकी जांच तफतीश कराने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। क्योंकि थानेदार खाटू मुलजिमों से पैसे खाकर मिल गया है। मुझे इससे कोई आशा, विश्वास नहीं रहा है। इसकी काफी शिकायत पूर्व में भी मैं कर चुका हूँ।

प्रार्थी,
दस्तखत–हरबक्सारामका

माननीय गृह मंत्री जी,

आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी को खाटू के थानेदार के बारे में कई दफा शिष्ट मण्डल मिला आये दिन चुनावों के बाद एक न एक इस थानेदार की घटना आ रही है। आपमें जितनी ताकत थी वो अजमा ली लोग चोरी के मुकदमे लेकर जाते हैं वो धमकाये जाते हैं और अन्त में आत्म हत्या करते हैं। जनता पार्टी की सरकार एक तरफ थानेदार एक तरफ मैं बहुत बीमार हूं मुझे यह सुनकर बड़ी चोटें थानेदार खाटू द्वारा चुपचाप में ही सारी कार्यवाही लगती है। जबकि प्रार्थी को पता भी नहीं है यह आखिरी पत्र लिखूंगा और जनता से विवश होकर ऐलान करना पड़ेगा कि तुम जैसे थानेदार चाहता है वैसे करो। यह सब इसलिए होता है कि आप लोगों के प्रार्थना-पत्र को पढ़ते नहीं।

भवदीय,

ह. मदनसिंह

सदस्य राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

कोटपूतली की स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण

81. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील कोटपूतली की स्वास्थ्य संस्थाओं का सी. एम. एच. ओ. ने दो वर्ष में कब कब निरीक्षण किया? क्या विभाग के अन्य अधिकारियों ने भी मुआयना किया?

(2) दो वर्ष में उक्त तहसील की किस-किस संस्था का अधिकारियों ने निरीक्षण नहीं किया?

(3) निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गयी?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) निम्न चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण नहीं किया गया :—

1. डिस्पेन्सरी वडनगर
2. डिस्पेन्सरी गोनेडा
3. एडपोस्ट केशवाना राजपूत
4. एडपोस्ट के भाकरी
5. एडपोस्ट छाजेडा

निरीक्षण के आधार पर जो भी कमियां पाई गईं उन्हें पूरा कराने की व्यवस्था की गई।

गत दो वर्षों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के द्वारा कोटपूतली क्षेत्र की चिकित्सा संस्थाओं के निरीक्षण का विवरण:—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर।

क्र. सं.	संस्था का नाम	निरीक्षण की तिथि
1	2	3
(1)	सामान्य चिकित्सालय, कोटपूतली	22-11-76 21-1-77 7-6-77

Page No 122

(122)

1	2	3
(2)	जनाना चिकित्सालय, कोटपूतली	22–11–76 13–6–77
(3)	प्रा. स्वा. केन्द्र, नरेड़ा	22–11–76 22–2–77
(4)	राजकीय डिस्पेन्सरी, पावटा	3–12–76 13–8–77 17–4–77
(5)	डिस्पेन्सरी, रघुनाथपुरा	21–3–77
(6)	डिस्पेन्सरी, बनेठी	21–3–77
(7)	एड पोस्ट, दांतिल	17–4–77
(8)	एड पोस्ट, कल्याणपुरा	27–2–77 21–3–77 17–4 77
(9)	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, परागपुरा	13–8–77

जिला भीलवाडा में बसों के परमिट

8. **श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)**: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पुर से सांगानेर के बीच भीलवाडा में केवल 4 सिटी बस चलती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि भीलवाड़ा की आबादी एवं बसों में भीड़ को देखते हुये यह अपर्याप्त है ?

(3) क्या यह भी सही है कि आर. टी. ओ. उदयपुर द्वारा 4 अन्य बसों के परमिट देने के बाद भी बसें नहीं लगीं ?

(4) क्या बसें न लगने का कारण केवल 4 मास के लिए अस्थाई परमिट देने की व्यवस्था है ?

(5) राज्य सरकार नागरिकों की असुविधा दूर करने के लिये क्या कदम उठाएगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पुर से सांगानेर के बीच छः बसें चल रही हैं।

(2) यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये मार्ग का स्कोप बढ़ाकर आठ कर दिया गया है। अब इस मार्ग पर 6 बसें चलती हैं। शेष दो रिक्त स्थानों के लिये परमिट देने की कार्यवाही जारी है।

(3) आर.टी.ए. द्वारा चार अस्थायी परमिट स्वीकृत किये गये थे परन्तु दो ने ही परमिट उठाये हैं।

(4) जी नहीं, अस्थायी परमिट पर दो बसें लगाई हुई हैं।

(5) दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये कार्यवाही की जा रही है।